

**अर्थशास्त्र के मूलतत्व भाग दो**  
**जीईईसी – 02**

**(Fundamentals of Economics Part Two)**

**GEEC – 02**



**उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय**

तीनपानी बाई पास रोड, ट्रांसपोर्ट नगर क पास, हल्द्वानी - 263139  
फोन नं. 05946 - 261122, 261123 (अर्थशास्त्र विभाग 05946-286041)

फैक्स नम्बर - 05946-264232,

ई-मेल [info@uou.ac.in](mailto:info@uou.ac.in)

<http://uou.ac.in>

---

## अध्ययन मण्डल

---

अध्यक्ष	संयोजक
कुलपति	निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल	हल्द्वानी, नैनीताल

---

## अध्ययन मण्डल के सदस्यों के नाम

---

प्रोफेसर बिक्रम केशरी पटनायक, (सदस्य), निदेशक, विस्तार एवं विकास अध्ययन विद्याशाखा, ँदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
प्रोफेसर एम. सी. सती, (सदस्य), प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, हम्मवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (कन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर, गढ़वाल
प्रोफेसर आर. पी. ममगाई, (सदस्य), प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, दून विश्वविद्यालय, दहरादून
डॉ. शालिनी चौधरी, (सदस्य), सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल
डॉ. नमिता वर्मा, (मनोनीत सदस्य), सहायक प्राध्यापक (ए.सी.), अर्थशास्त्र विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

---

## पाठ्यक्रम समन्वयक

---

### डॉ. शालिनी चौधरी

सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

---

## इकाई लेखन

---

इकाई लेखक	इकाई संख्या
डॉ मंजुला उपाध्याय	1,2,3,4
असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग ए. पी .सेन महाविद्यालयलखनऊ उत्तर प्रदेश	
डॉ सुरजीत सिंह	5,6,7,8
अर्थशास्त्र विभाग बी. एस. एम. पी .जी. कॉलेज रुड़की, उत्तराखण्ड	

---

## सम्पादन

---

### डॉ. नमिता वर्मा

सहायक प्राध्यापक (ए.सी.), अर्थशास्त्र विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

---

आई.एस.बी.एन.

:

प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशन वर्ष : 2023

---

Published By : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी,

नैनीताल – 263139

Printed at

:

प्रतियाँ:

---

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी अंश उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन सन्धुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

---

विषय-सूची

इकाई का नाम Name of the Unit	पृष्ठ संख्या 1-141
<b>खण्ड- 1. आर्थिक नियोजन (Economic Planning)</b>	
इकाई- 1. आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता एवं योजना निर्माण प्रक्रिया (Relevance of Economic Planning and Process of Planning)	1-17
इकाई- 2. आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक) (Achievements of Economic Planning (Till the Eleventh Five Year Plan)	18-36
इकाई- 3. केन्द्र-राज्य सम्बन्ध (Center-State Relation)	37-53
इकाई- 4. योजना का वित्तीयन (Financing of Planning)	54-60
<b>खण्ड-2. उत्तराखण्ड का नियोजन (Economic Planning of Uttarakhand)</b>	
इकाई- 5. आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं रणनीतियां (Objectives and Strategies of Economic Planning)	70-84
इकाई- 6. नियोजन के साठ वर्ष एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (Sixty years of Planning and Eleventh Five Year Plan)	85-105
इकाई- 7. गरीबी और बेरोजगारी (Poverty and Unemployment)	106-124
इकाई- 8. क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास (Regional Disparity and Tribal Development)	125-141

**Suggested Readings:**

1. *Uttarakhand Development Report: Planning Commission*, (2009) Planning commission, Government of India, Academic Foundation, New Delhi.
2. Mehta, G.S., *Uttarakhand Prospects of Development*, Indu Publishing Company, New Delhi.
3. Agrawal J.C., and S.P. Agrawal, *Uttarakhand Past Present and Future*, Concept publishing Company, New Delhi.
4. Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi
5. Mehta, G.S., *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi
6. Planning Commission, Government of India, *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi
7. Sati, V.P. & Kamlesh Kumar, *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi

---

## इकाई 1 आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता एवं योजना निर्माण प्रक्रिया (Relevance of economic planning and planning process)

---

- 1.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 1.2 उद्देश्य (Objectives)
- 1.3 भारत में नियोजन का इतिहास (History of planning in India)
- 1.4 आर्थिक नियोजन से अभिप्राय (Meaning of economic planning)
- 1.5 अल्पविकसित देशों में आयोजन का औचित्य (Rationale for planning events in underdeveloped countries)
- 1.6 अल्पविकसित देशों में आयोजन की सफलता की शर्तें (Conditions for success of planning in underdeveloped countries)
- 1.7 भारत में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता (Relevance of economic planning in India)
- 1.8 नियोजन के प्रकार (Types of planning)
- 1.9 भारत में योजना निर्माण प्रक्रिया (Planning process in India)
- 1.10 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 1.11 सारांश (Summary)
- 1.12 शब्दावली (Glossary)
- 1.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 1.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 1.15 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री /Useful/Helpful Text)
- 1.16 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

## 1.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह पहली इकाई है। इससे पहले की इकाइयों से आपको अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पाश्चात्य विकसित देशों में विकास की जिम्मेदारी व्यक्तिगत साहसियों पर सौंप दी गई। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को चक्रात्मक परिवर्तन देखने पड़ते हैं। 1930 की विश्व मन्दी के बाद सरकारों ने रोजगार बढ़ाने और श्रम उत्पादकता में वृद्धि की जिम्मेदारी ले ली। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत जैसे अल्पविकसित देश उपनिवेशवाद के चंगुल से जब मुक्त हुए तो वहाँ की सरकारों ने आर्थिक विकास के लिए नियोजन का रास्ता चुना जिससे सीमित साधनों में अधिकतम सामाजिक कल्याण किया जा सके। इस इकाई में हम देखेंगे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र हमारे नीति निर्धारकों ने अपनायी। आयोजन की शुरुआत में सरकार ने अर्थ व्यवस्था को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में रखा निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता कम रही। अस्सी के दशक के अन्त से धीरे-धीरे बन्धकों को सरकार हटाती जा रही है। वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सरकार निर्देशात्मक आयोजन विधि का अधिक सहारा ले रही है। आयोजित अर्थव्यवस्था में मूल्य यंत्र के स्थान पर आयोजन अधिकारी अथवा केन्द्रीय संगठन विद्यमान रहता है जो समस्त आर्थिक क्रियाओं को संचालित तथा नियंत्रित करता है। आयोजित अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन सम्पूर्ण समाज की आवश्यकता तथा सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की प्रवृत्ति से नियंत्रित होता है। भारत में आर्थिक नियोजन प्रासंगिक है क्योंकि विशाल जनसंख्या को नियंत्रित करना एवं उसकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र नहीं लेगा, उसके लिए कर्मबद्ध, मजबूत एवं ईमानदार सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है। इस इकाई में हम देखेंगे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार जो योजना बनाती है, उसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है और उसमें कौन-कौन से संगठन सम्मिलित हैं।

## 1.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि का वर्णन कर सकेंगे।
- ✓ भारत ने स्वतंत्रता पश्चात आर्थिक नियोजन का जो रास्ता अपनाया, को जान सकेंगे।
- ✓ नियोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं और भारतीय नियोजन व्यवस्था में किस-किस प्रणाली के गुण आते हैं, का वर्णन कर सकेंगे।
- ✓ भारत के योजना निर्माण प्रक्रिया में सरकार - केन्द्र एवं राज्य और विभिन्न संगठनों की क्या
- ✓ भूमिका को जान सकेंगे।

### 1.3 भारत में नियोजन का इतिहास (History of planning in India)

1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक "Planned Economy of India" में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की जिसका मूल उद्देश्य 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दुगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, लघु एवं बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना था। राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू थे जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे इसलिए इस समिति के विचार 1950 में आयोजन की प्रक्रिया का आधार बने। मूल उद्योगों और सेवाओं, खनिज साधनों, रेलों, जल मार्गों, नौ-परिवहन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना चाहिए तथा उन बड़े पैमाने के उद्योगों पर थी जिनमें एकाधिकार कायम होने की सम्भावना हो। आर्थिक विकास के लिए अर्थ व्यवस्था का आद्योगिकीकरण, कुटीर उद्योगों सहित आवश्यक है। कृषि क्षेत्र का विकास भी जरूरी है इसके लिए समिति ने सिफारिश की कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन क्षतिपूर्ति देकर हो, सहकारी खेती और ऊँची कृषि आय पर आयकर की भाँति आरोही कर लगाया जाय। इसके आठ उद्योगपतियों ने मिलकर बम्बई योजना के नाम से एक योजना बनाई। आचार्य श्रीमन्नारायण ने गाँधीवादी योजना बनाई जिसमें 10 वर्ष के अन्दर न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। कृषि एवं उद्योगों का एक साथ एवं संतुलित विकास पर बल दिया। कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। क्रान्तिकारी श्री एन. राय ने जनता योजना बनाई। यह रूसी आयोजन से प्रेरित थी और इसमें सामूहिक या सरकारी खेती एवं भूमि के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की गई। ये सभी कागजी योजनाएं थीं किन्तु ये सभी योजनाओं ने भारत में आयोजन की सोच के लिए प्रेरक का कार्य किया। 1950-51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तत्पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला चालू हो गयी। आर्थिक विकास के लिए मिश्रित प्रणाली को चुना गया जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को समाहित किया गया।

### 1.4 आर्थिक नियोजन से अभिप्राय (Meaning of economic planning)

आर्थिक नियोजन से अर्थ एक संगठित आर्थिक प्रयास से है जिसमें एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं-

- ❖ लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण - सोच समझकर लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनकी प्राप्ति हेतु प्राथमिकताओं के क्रम को निश्चित करना ।
- ❖ संगठित प्रणाली द्वारा कार्य करना ।
- ❖ केन्द्रीय नियोजन संस्था जो योजनाएं बनायें उन्हें समन्वयित करें और उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था करें।
- ❖ आर्थिक नियोजन एक निश्चित अवधि हेतु होता है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। यह सरकारी रणनीति का हिस्सा होता है। राज्य हस्तक्षेपक का कार्य करता है और निजी संस्थाओं को भी सरकारी निर्देशों का पालन करना पड़ता है ।
- ❖ इसका उद्देश्य समाज का विकास करना, रहन सहन के स्तर को उठाना, आय में वृद्धि करना और सामाजिक बुराइयों का अन्त करना है।
- ❖ साधन किसी भी देश के सीमित होते हैं इसलिए उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ।
- ❖ यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है ।
- ❖ वर्तमान साधनों का ज्ञान तथा उनका सर्वोत्तम आवंटन।

संविधान के निदेशक सिद्धान्तों (Directive Principles of Constitution) में राज्य की नीतियों के संचालन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये:-

- ❖ नागरिकों- पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान रूप से जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिलेगा ।
- ❖ भौतिक साधनों के स्वामित्व का वितरण और नियंत्रण सर्वकल्याणकारी हो ।
- ❖ धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण आम जनता के हितों के विरुद्ध न हो ।

आयोजन के फलस्वरूप आर्थिक विकास की गति ऐसी हो कि आम जनता उसे महसूस कर सके जिससे अनियोजित समाज की अपेक्षा प्रगति अल्पकाल में प्राप्त की जा सके। भारत में आयोजन के प्रमुख लक्ष्य निम्नांकित हैं -

- ❖ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- ❖ सामाजिक न्याय
- ❖ पूर्ण रोजगार की प्राप्ति
- ❖ गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन

- ❖ आत्म निर्भरता की प्राप्ति
- ❖ निवेश एवं पूँजी निर्माण को बढ़ावा
- ❖ आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करना
- ❖ आधुनिकीकरण जिसे छठी योजना में लागू किया गया।
- ❖ मानव संसाधन का विकास जिसे आठवीं योजना में लागू किया गया।
- ❖ निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के दौर में गरीबों को सुरक्षा जाल प्रदान करना ।
- ❖ तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास जिसे ग्यारहवीं योजना में लागू किया गया।
- ❖ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में असंतुलन को कम करना है।

---

## 1.5 अल्पविकसित देशों में आयोजन का औचित्य (Rationale for planning in underdeveloped countries)

---

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारत जैसे देश उपनिवेशवाद की जकड़न से छूटे तब उनके सामने समस्या थी कि किस प्रकार वे अपने सीमित संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करें जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। अल्पविकसित देशों में उपभोग की सीमान्त इच्छा बहुत तीव्र होती है तथा प्रदर्शन प्रभाव बहुत बलवती होता है इसलिए पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है। इसलिए भारत जैसे गरीब देशों ने पूँजी निर्माण की दर में बढोत्तरी लाने के लिए मूल्य मंत्र प्रणाली को छोड़कर सरकारी हस्तक्षेप प्रधान आयोजन का रास्ता चुना। अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास को प्रारम्भ कराने तथा उसे बनाये रखने के लिए आर्थिक आयोजन का सुझाव दिया गया। इन देशों में आर्थिक विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप की नीति इसलिए भी अपनायी जाती है क्योंकि इन देशों में श्रम बेरोजगारी प्रचुर मात्रा में है। मूल्य यंत्र द्वारा संचालित आर्थिक विकास सन्तुलित नहीं होता क्योंकि निजी उद्यमी वहीं विनियोग करते हैं जो क्षेत्र विकसित होते हैं और जहाँ लाभ अधिक हो। इसलिए अल्पविकसित देशों में तीव्र तथा सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए राज्य को आधारभूत संरचना में विनियोग करना पड़ता है। आयोजन ही एकमात्र विकल्प बचता है गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने और सन्तुलित विकास के लिए। इन देशों में साहसियों की कमी होती है। इस स्थिति में सरकार को साहसी का काम करना पड़ता है और आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ता है। आयोजन

इसलिए भी जरूरी है जिससे पूँजी तथा शक्ति का केन्द्रीयकरण कुछ ही हाथों में न हो तथा सबको ठीक ढंग से जीने व कार्य करने का अवसर मिल सके।

## 1.6 अल्पविकसित देशों में आयोजन की सफलता की शर्तें (Conditions for success of planning in underdeveloped countries)

1. आयोजन की सफलता के लिए जरूरी है कि सरकार शक्तिशाली तथा कुशल हो तथा आर्थिक संगठन मजबूत हो। योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर होता है इसलिए कमजोर तथा अस्थायी सरकार विकासात्मक कार्यक्रमों को सफल नहीं बना पायेगी। अल्पविकसित देशों में जहाँ प्रजातांत्रिक सरकारें हैं आयोजन बहुत सफल नहीं हुआ है क्योंकि योजना के सम्बन्ध में विभिन्न दलों की स्वीकृति लेना बहुत कठिन है। संघीय व्यवस्था में आयोजन के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक है। संघीय शासन व्यवस्था में केन्द्र का शक्तिशाली होना जरूरी है।
2. आर्थिक योजना की क्रिया विश्वसनीय तथा उचित मात्रा में सांख्यिकी आँकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ज्वेइंग के अनुसार "प्रभावपूर्ण आयोजन का रास्ता शोध तथा तथ्यों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान के बीच से होकर जाता है। अच्छे प्रशासन तथा प्रोपोगण्डा के अतिरिक्त सन्तोषप्रद आँकड़े, जाँच, रिपोर्ट तथा लागत लेखा आदि आयोजन को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। "
3. एक निश्चित उद्देश्य हों जिनकी पूर्ति का प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सके।
4. योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक कुशलता पर निर्भर करता है। अल्पविकसित देशों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत अधिक पाया जाता है जिसके फलस्वरूप आयोजन के प्रति असन्तोष लोगों में बढ़ता जा रहा है।
5. जन सहयोग- प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आयोजन की सफलता में जन सहयोग का महत्व बढ़ जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आयोजन सम्बन्धी नीतियों में जनता का विश्वास हो और सरकार उन्हीं के हित के लिए आयोजन करे और यह निर्भर करता है आयोजन के उद्देश्य, उसके क्रियान्वयन एवं उससे प्राप्त लाभ के वितरण पर।

## 1.7 भारत में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता (Relevance of economic planning in India)

जीवन स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना जिससे लोगों की क्रयशक्ति बढ़े और देश से गरीबी को दूर किया जा सके। इसके लिए कृषि, उद्योग, सेवाक्षेत्र, संचालन शक्ति, परिवहन एवं

संचार और सभी क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करना। न्याय के साथ विकास, गरीबी हटाओ, समावेशी विकास इस बात की पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रीय आय वृद्धि के साथ इसका समान वितरण जरूरी है। नियोजन प्रारम्भ होने पर यह सोचा गया कि कृषि एवं औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने से कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि के साथ बेरोजगारी, अल्परोजगार एवं अदृश्य बेरोजगारी की समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जीवन स्तर उन्नतशील होगा। जब नियोजनों ने इस बात का अनुभव किया कि कृषि तथा औद्योगिक विकास की वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसे रोजगार प्रधान बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये गये जो अनवरत सभी योजनाओं में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। आय की असमानताओं में कमी और समाजवादी समाज की स्थापना से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर दिये जा सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत के आर्थिक आयोजन की दीर्घकालीन उद्देश्य इस प्रकार है- “अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति जो कि वर्तमान परिस्थिति में आयोजन के स्वीकार्य उद्देश्य समझे जाते हैं, भिन्न-भिन्न विचार नहीं हैं बल्कि उन सम्बन्धित उद्देश्यों की श्रृंखला है जिनकी प्राप्ति के लिए देश को प्रयास करना है। इनमें से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति दूसरे को छोड़कर नहीं की जा सकती, विकास की योजना में इन सबको सन्तुलित महत्व देना अनिवार्य है। आयोजकों को दीर्घकालीन उद्देश्यों के साथ अल्पकालीन उद्देश्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है। परन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि अल्पकालीन लक्ष्य चाहे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न लगे दीर्घकालीन उद्देश्यों पर हावी नहीं होने चाहिए। आयोजन का सशक्त दार्शनिक आधार होना चाहिए। शोषण खत्म करने के लिए निजी स्वामित्व समाप्त करना आवश्यक है। मार्क्स और एंजल्स से प्रेरित हो सोवियत रूस में समग्र राष्ट्रीयकरण को आधार बनाये हुए आयोजन का सर्वप्रथम विकास हुआ जिसमें पहली बार निर्धनता, भूख और बेरोजगारी मिटाने के लिए संगठित प्रयास हुआ। रूसी आयोजकों को भारी सफलता का विश्व के पूंजीवादी देशों पर प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत को व्यापक निर्धनता, व्यापक बेरोजगारी, निरक्षर और अप्रशिक्षित श्रमिकों जैसी संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अतः भारत ने सामाजिक और आर्थिक उत्तोलक के रूप में आयोजन का सहारा लिया। समाजवादी आयोजन से प्रभावित होने के साथ-साथ न्यायोचित समाज के पूर्ण विकास के लिए पूंजीवादी समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों को भी अपरिहार्य माना गया। भारत ने समाज के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को अपनाया जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण न हो और व्यक्ति को आत्माभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता हो जिससे मानवीय व्यक्तित्व का अपेक्षाकृत पूर्ण और मुक्त विकास लोकतांत्रिक समाजवाद का

सर्वोच्च लक्ष्य है। हाल ही में सोवियत रूस ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था चालू की है। भारत ने भी 1990 के बाद अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को अपनाया और सरकारी नियंत्रण एवं विनियमन को कम करता जा रहा है, परन्तु साथ ही साथ नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद के दर्शन का परित्याग नहीं कर रहा है। सिर्फ भौतिक समृद्धि, मानव जीवन को सुखी और सम्पन्न नहीं बना सकी। भौतिक समृद्धि के साथ सभी नागरिकों को समान अवसर मिलने चाहिए जिससे वैयक्तिक और सामूहिक विकास की नीतियाँ अपनायी जा सकें। अनुकूलतम उत्पादन के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास नियोजनकर्ताओं को करना होगा। भारत ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया है उसमें अन्तर्विरोधी प्रेरणाओं में एक और है निजी हित और दूसरी ओर है सामाजिक लाभ। आयोजन का लक्ष्य है इन प्रतिद्वन्दी हितों में तालमेल बिठाकर राष्ट्रीय हित को उन्नतशील करना-

- योजना परिव्यय का महत्वपूर्ण अनुपात प्रतिरक्षा, भारी तथा मूल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया गया जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिक आधार स्थापित किया गया।
- आर्थिक आधार संरचना में विस्तार जिससे कृषि एवं उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और प्रत्यक्ष उत्पादक विनियोग क्षेत्र का विस्तार सम्भव हो।
- राज्य ने वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण रखा और जीवन बीमा निगम और वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1991 के बाद वित्तीय संस्थानों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा है किन्तु सरकार उनको यथासम्भव निर्देशित कर सकती है।
- एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग की स्थापना की गई जिससे व्यापारिक घराने या अन्य पूँजीपति उपभोक्ताओं का शोषण न करें किन्तु नये आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत इसको समाप्त कर दिया गया जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े।
- ❖ कीमतों को नियंत्रित रखना जिससे जनमानस को कठिनाई का सामना न करना पड़े आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए किन्तु राज्य कीमतों की वृद्धि को रोकने में सफल नहीं हो पाया है। व्यापारी दुर्लभता की कृत्रिम परिस्थितियाँ कायम कर कीमतों में वृद्धि कर देते हैं। इससे निपटना सरकार की जिम्मेदारी है। इस दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए सरकार वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध कराती है।
- ❖ शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से कमजोर वर्ग के बच्चों को सहायता देना जिससे उन्हें रोजगार मिले और उनका जीवन स्तर ऊँचा उठे।

- ❖ निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकाओं में ढालने की जरूरत है। खासतौर से 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जिसमें पूँजीवादी समाज की परिग्रहणशील प्रवृत्ति और लाभ प्रेरणा आयोजन प्रक्रिया में विकृति पैदा कर सकती है।
- ❖ 1991 में चालू किये उदारीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल ने भारतीय नियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किये। सरकार ने अर्थव्यवस्था को कई बन्धनों से मुक्त किया जिससे आर्थिक संवृद्धि को गति मिले। आज इस नीति का विश्लेषण करने पर हम पायेंगे कि आर्थिक संवृद्धि तो ऊँची दर पर हुई किन्तु असमानताएं बढ़ी चाहे वह वैयक्तिक हो चाहे क्षेत्रीय और इनके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। भारतीय दर्शन के मूल्यों का ह्रास हो रहा है और एक समाज जो स्वार्थ से प्रेरित है, अपने लाभ को अधिकतम करने पर लगा है उसे चाहे जितना नीचे गिरना पड़े और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियाँ चरम की तरफ जा रही हैं। जबकि नियोजन का आधार एक आदर्शवादी, दार्शनिक सोच होना चाहिए तभी विकास टिक पायेगा।

डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपने विजन 2020 में गरीबी दूर करने और गाँवों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि "पूरा प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ इन रूलर एरिया' (Provision of Urban Amenities in Rural Areas-PURA) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग हमारे गाँवों को उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों में तब्दील करने के लिए किया जायेगा।" पूरा मॉडल के अन्तर्गत चार प्रकार के सम्पर्क हैं -

1. **भौतिक सम्पर्क**-15-25 गाँवों को सड़कों से जोड़कर इसके इर्द-गिर्द एक रिंग रोड का निर्माण साथ ही साथ बिजली, परिवहन आदि की सुविधाएं।
2. **डिजिटल सम्पर्क**-इन गाँवों के समूहों में दूर संचार और सूचना टेक्नोलॉजी सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराना जैसे- पी.सी.ओ., साइबर कैफे आदि।
3. **ज्ञान आधारित सम्पर्क**- रिंग रोड पर हर पाँच-सात किलोमीटर की दूरी पर स्कूल, उच्च शिक्षा केन्द्र, अस्पताल आदि।
4. **आर्थिक सम्पर्क**-गाँवों के समूहों में बढ़िया विपणन सुविधाओं की उपलब्धता इस मॉडल के लागू होने से ग्राम क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के प्रवसन को नियंत्रित किया जा सकता है।

सामाजिक एवं आर्थिक आधार संरचना को गाँवों में स्थापित करना जिससे वहाँ निवेश बढ़ने के साथ विकास हो। यह माडल रोजगार और सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। सरकार ने पूरा माँडल का प्रयोग सीमित रखा है, 2004 से यह चल रहा है किन्तु इसे और विस्तृत करने की आवश्यकता है।

## 1.8 नियोजन के प्रकार (Types of planning)

**साम्यवादी तथा प्रजातांत्रिक नियोजन-** नियोजन में सभी आर्थिक निर्णय केन्द्रीय संगठन द्वारा लिये जाते हैं और इसमें निजी क्षेत्र एवं बाजार व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। प्रजातांत्रिक नियोजन व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है:

- ❖ **उदार या नरम प्रजातांत्रिक नियोजन-** इसका इस्तेमाल तीसा (1930) की मन्दी से उबरने के लिए यू.एस.ए. एवं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात पुनर्गठित करने के लिए किया गया। राज्य बाजार यंत्र की पूरक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है और इसे बाजार मिश्रित प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरी व्यवस्था अधिक केन्द्रीकृत होती है। इसमें राज्य हस्तक्षेप करने वाली व्यवस्था होती है।
- ❖ **प्रेरणा द्वारा आयोजन या निर्देशात्मक आयोजन तथा आदेशात्मक नियोजन-** निर्देशात्मक आयोजन में केन्द्रीय नियोजन संस्था लक्ष्यों का निर्धारण करती है तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के विनियोग तथा उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को समन्वित करती है। निर्णय विकेन्द्रित रूप में लिये जाते हैं पर सभी क्षेत्रों को निर्धारित लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया जाता है। बाजार व्यवस्था बनी रहती है परन्तु निर्णय से सम्बन्धित अनिश्चितता कम हो जाती है। यह सहभागिता पर आधारित होती है। आठवीं योजना में निर्देशात्मक नियोजन की धारणा स्वीकारी गई। आदेशात्मक आयोजन में अनिवार्यता के लक्षण पाये जाते हैं। प्रशासनिक मशीनरी को यह पावर होती है कि वह विनियोग एवं उत्पादन सम्बन्धी सभी निर्णयों को विभिन्न आर्थिक इकाइयों को आदेशित करें। भारत में पहली से चौथी योजना तक इस प्रकार के आयोजन के महत्वपूर्ण लक्षण मिलते हैं।
- ❖ **केन्द्रीयकृत एवं विकेन्द्रीयकृत नियोजन -** केन्द्रीय नियोजन में एक केन्द्रीय संगठन की योजना को बनाने, पूरा करने और निरीक्षण करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। विकेन्द्रीकृत नियोजन में सरकार, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत उद्यमी आदि मिलकर योजना से सम्बन्धित निर्णय लेते हैं।

ग्राम पंचायतों की भागीदारी बढ़ जाती है। जनता सरकार (1977 से 1979) ने भारत में इस मॉडल का प्रयोग किया।

- ❖ **दीर्घकालीन नियोजन एवं चक्रीय योजना-** अवधि के आधार पर योजना अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकती है। अल्पकालीन योजनाएं पंचवर्षीय, सात वर्षीय या एक वर्षीय हो सकती हैं। अल्पकालीन योजनाएं दीर्घकालीन योजनाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनायी जाती हैं। दीर्घकालीन योजनायें 20 से 25 वर्ष के दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनायी जाती हैं। रोलिंग योजना में प्रत्येक वर्ष की योजना पूरी योजना की आवर्ती योजना होती है। यह योजना में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की योजना को समायोजित किया जाता है। भारत में इसको 1978 में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत तीन योजनायें तैयार की जाती हैं - एक योजना चालू वर्ष के लिए अर्थात् अल्पकालीन योजना, दूसरी मध्यकालीन स्वरूप की तीन से पाँच वर्ष की योजना तथा तीसरी दीर्घकालीन योजना जो 10 वर्ष से अधिक की होती है और यह आर्थिक नियोजन की रणनीति बताती हैं। अल्पकालीन एवं मध्य कालीन योजनाएं दीर्घकालीन योजनाओं पर आधारित होती हैं। चक्रीय योजना की धारणा का प्रतिपादन गुनार मिर्डाल ने किया तथा भारत में इसका प्रयोग डी.टी. लकड़वाला ने किया जब वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे।
- ❖ **संरचनात्मक एवं क्रियात्मक नियोजन-** संरचनात्मक आयोजन वह आयोजन है जो प्रचलित ढाँचे में आमूल परिवर्तन करके नये ढाँचे में लागू किया जाये। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचे को पूर्णतया परिवर्तित कर देना होता है। अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए इसको अपनाया जाता है क्योंकि इन देशों में चालू ढाँचे में आमूल परिवर्तन लाना जरूरी है। इन देशों में आर्थिक विकास लाने के लिए परम्परागत उत्पादन के तरीकों की जगह नये टेक्नोलॉजी परिवर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। क्रियात्मक आयोजन का उद्देश्य समाज के ढाँचे में परिवर्तन लाये बगैर सुधार करना है। इसमें किसी नये सामाजिक ढाँचे का निर्माण नहीं होता। भारत जैसे देश जिनका उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास करना है वहाँ संरचनात्मक नियोजन अपनाया जाता है।
- ❖ **भौतिक तथा वित्तीय नियोजन-** भौतिक नियोजन का सम्बन्ध मानव शक्ति, मशीनों और कच्चे माल के अनुकूलतम वितरण एवं राशनिंग से है जो देश के उत्पादन में वृद्धि करके विकास प्रक्रिया को गति प्रदान कर सके। इसके अन्तर्गत उपलब्ध सम्पूर्ण वास्तविक साधनों तथा इन्हें प्राप्त करने के तरीके के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जाता है जिससे योजना के सम्पादन के दौरान किसी भी

प्रकार का अवरोध न उत्पन्न हो। जब भौतिक लक्ष्यों को मुद्रा के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे वित्तीय नियोजन कहते हैं। इसमें योजना में होने वाले कुलव्यय को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा राष्ट्रीय आय, उपभोग, आयात आदि की वृद्धि के द्वारा होने वाले कुल व्यय को पूरा करने के सम्बन्ध में अनुमान लगाये जाते हैं। वित्त भौतिक आयोजन का गतिशीलक है।

- ❖ **क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आयोजन** - क्षेत्रीय नियोजन किसी अर्थव्यवस्था के एक विशिष्ट क्षेत्र या भाग तक ही सीमित रहता है। इसे आंशिक नियोजन भी कहते हैं। जब नियोजन सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित हो और इसका संचालन देश की किसी केन्द्रीय संस्था द्वारा हो तो उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। इसे विस्तृत नियोजन भी कहते हैं। क्षेत्रीय नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन का ही अंग होता है और विकेन्द्रीयकरण की नीति के कारण क्षेत्र विशेष का प्रभार क्षेत्रीय अधिकारियों को दे दिया जाता है।

## 1.9 भारत में योजना निर्माण प्रक्रिया (Planning process in India)

भारत में योजना निर्माण के अन्तर्गत स्वीकृति से लेकर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न चरणों पर योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें शामिल होती हैं। योजना निर्माण आयोजन की पहली अवस्था है। इसके अन्तर्गत सरकार की नीतियों को ध्यान में रख कर अथवा सरकार की राय के अनुसार योजना आयोग आयोजन का उद्देश्य, लक्ष्य, विनियोग की मात्रा, साधनों की उपलब्धता आदि से सम्बन्धित रूपरेखा तैयार करता है। योजना आयोग अनेक खण्डों तथा सेक्शनस के द्वारा कार्य करता है। इन खण्डों को मुख्य रूप से पाँच खण्डों में बांटा जा सकता है:-

1. **सामान्य खण्ड**- यह पूरी अर्थव्यवस्था के कुछ विशिष्ट पहलुओं से सम्बन्धित होता है। जैसे- आर्थिक खण्ड, पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन, श्रम तथा रोजगार खण्ड, सांख्यिकीय तथा सर्वेक्षण खण्ड, कार्यक्रम प्रशासन खण्ड, संसाधन एवं वैज्ञानिक शोध खण्ड, सामाजिक, आर्थिक शोध खण्ड तथा योजना समन्वय खण्ड आते हैं।
2. **विषय खण्ड**- जो विकास के विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित होता है, इसमें कृषि खण्ड, सिंचाई तथा शक्ति खण्ड, भूमि सुधार खण्ड, उद्योग तथा खनिज, ग्रामीण तथा लघु उद्योग, यातायात तथा संवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि खण्ड आते हैं।
3. **समन्वय विभाग** - इसमें दो विभाग हैं-

- ❖ नियोजन समन्वय विभाग जो योजना आयोग के विभिन्न विभागों के क्रिया-कलापों के बीच समन्वय करता है।
- ❖ कार्यक्रम प्रशासन विभाग जो राज्यों की योजनाओं के मध्य समन्वय, निगरानी तथा सुझाव देते हैं।

**4. विशेष विकास कार्यक्रम विभाग -** यह राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित है।

**5. मूल्यांकन विभाग -** विभिन्न प्रस्तावित तथा चल रही योजनाओं के मूल्यांकन से सम्बन्धित है।

कार्यकारी समूहों द्वारा तैयार किए गए क्षेत्रीय कार्यक्रमों के आधार पर योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त मेमोरैण्डम तैयार करता है जिसे मंत्री परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा जाता है। इनसे अनुमोदित होने के पश्चात् उनके सुझावों तथा निर्देशों को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है तथा योजना के शुरू होने के अनेक महीने पहले ही प्रकाशित किया जाता है। योजना के प्रारूप को विचार विमर्श हेतु पार्लियामेंट, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों आदि को उपलब्ध कराया जाता है। इन सबके सुझावों का सन्दर्भ लेते हुए योजना का अन्तिम रूप तैयार किया जाता है तथा मंत्री परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने अन्तिम अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन के बाद इसे अन्तिम योजना माना जाता है। अन्तिम रूप में प्रधानमंत्री इसे संसद में सूचनार्थ तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री मण्डल है। इसलिए योजना की रूपरेखा को जब तक सरकार से स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक योजना शुरू नहीं हो पाती। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद योजना को वैधानिक रूप मिल जाता है।

**क्रियान्वयन-** लेविस के अनुसार “ योजना का क्रियान्वयन उसे बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। योजना की रूपरेखा तैयार करना तो कल्पनाओं की कसरत है जबकि उसका क्रियान्वयन वास्तविकता से संघर्ष करना है। जब वास्तविकता अनुमान से भिन्न हो तो परिवर्तित तथ्यों के साथ चलने के लिए योजना में अवश्य निरन्तर संशोधन होना चाहिए। योजना का क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों द्वारा होता है।

**निरीक्षण-** समय-समय पर योजना की प्रगति का मूल्यांकन आवश्यक है जिससे यह पता चल सके कि योजना का क्रियान्वयन उसके निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हो रहा है या नहीं।

**योजना आयोग-** सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण हेतु 1946 में गठित नियोगी समिति की संस्तुति को संज्ञान लेते हुए 1950 में संविधान लागू होने के बाद मंत्रिमण्डल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ। यह एक गैर संवैधानिक, सलाहकारी, परामर्शदात्री निकाय है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पण्डित जवाहर लाल नेहरू थे। योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष, तीन पूर्ण कालिक तथा तीन अंशकालिक सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री तथा विनिवेश मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री तथा सदस्यों को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नन्दा थे। 15 मार्च 1950 में मंत्रिमण्डल के प्रस्ताव में उपयोग को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये-

- ❖ देश के भौतिक संसाधनों तथा जनशक्ति का अनुमान लगाना और आवश्यकतानुसार उसमें वृद्धि की संभावना तलाशना।
- ❖ देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु प्रभावी योजना बनाना।
- ❖ प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और इन प्राथमिकताओं के आधार पर योजना के उद्देश्य निर्धारित करके संसाधनों का आवंटन करना।
- ❖ योजना के सफल संचालन के लिए संभावित अवरोधों की ओर संकेत करना और उन्हें दूर करने के उपाय सरकार को बताना।
- ❖ योजना के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र का स्वरूप निश्चित करना।
- ❖ योजनावधि में विभिन्न चरणों पर योजना प्रगति का मूल्यांकन करना।
- ❖ आयोग के क्रिया-कलापों को सुविधाजनक बनाने तथा केन्द्र एवं राज्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श देना।

### राष्ट्रीय विकास परिषद

राज्यों तथा केन्द्र के बीच शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखते हुए राज्यों की हिस्सेदारी योजना तैयार करने में सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह एक संविधानोत्तर निकाय है जिसका उद्देश्य राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है। प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केन्द्रीय मंत्रि परिषद के सभी सदस्य, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना

आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं - सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक समान आर्थिक नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा देश के सभी क्षेत्रों के तीव्र एवं सन्तुलित विकास हेतु प्रयास करना। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं-

- ❖ राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय-समय पर विचार करना।
- ❖ योजना आयोग को प्राथमिकताएं निर्धारण में परामर्श देना।
- ❖ योजना के लक्ष्यों के निर्धारण में योजना आयोग को सुझाव देना।
- ❖ योजना को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं सामाजिक घटकों की समीक्षा करना।
- ❖ योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करके इसे अन्तिम रूप देना तथा स्वीकृति प्रदान करना अर्थात् पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना।
- ❖ राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय-समय पर मूल्यांकन करना।

---

### 1.10 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

---

1. Planned Economy of India पुस्तक..... ने लिखी।
2. राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष .....थे।
3. आचार्य श्रीमन्नारायण ने..... योजना बनाई।
4. भारत में आर्थिक विकास के लिए ..... प्रणाली अपनायी गयी।
5. एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ..... की स्थापना हुई।
6. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने..... मॉडल सुझाया।
7. चक्रीय योजना का प्रतिपादन..... ने किया।
8. योजना आयोग..... संस्था है।
9. योजना निर्माण में राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु ..... की स्थापना की गई।
10. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत जैसे अल्पविकसित देश..... के चंगुल से मुक्त हुए।

## 1.11 सारांश (Summary)

हमने इस इकाई में देखा कि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात नियोजन का रास्ता चुना और मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली अपनायी भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाने पड़े जिससे देश में विकास की दिशा तय हो सके। भारत में आयोजन के उद्देश्य जो सरकार ने तय किये वे थे- निर्धनता को समाप्त करना और रोजगार के अवसर सृजित करना, आय और सम्पत्ति की असमानताओं को कम करना, सबको समान अवसर प्रदान करना, एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकना, निजी लाभ की अपेक्षा सामाजिक लाभ को बढ़ाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। भारतीय आयोजन प्रणाली ने कई प्रकारों को समाहित कर रखा है जैसे- लोकतांत्रिक समाजवादी, निर्देशात्मक, लोचशील संरचनात्मक, भौतिक तथा वित्तीय, केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय तथा दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन। भारत में योजना निर्माण प्रक्रिया में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अर्थशास्त्री, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, संसद आदि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में शामिल रहते हैं। किन्तु संसद द्वारा अनुमोदन के बाद ही योजना को वैधानिक माना जाता है।

## 1.12 शब्दावली (Glossary)

- ❖ **साहसी** - निवेशक जो उद्यम के लिए रिस्क लेने को तैयार रहते हैं।
- ❖ **चक्रात्मक** - बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव
- ❖ **मन्दी**- जब अर्थव्यवस्था में निवेशकों को प्रेरणा देने के लिए उचित माहौल नहीं रहता। लाभ और लाभ की आशा दोनों कम होती है। मूल्य, उत्पादन, निवेश सब निम्न स्तर का होता है।
- ❖ **अल्प विकसित** - विकसित देशों की अपेक्षा जिन देशों में आय, उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार आदि का स्तर नीचा हो।
- ❖ **उपनिवेशवाद** - राष्ट्रीय सीमाओं के परे प्रभुत्व का विस्तार
- ❖ **क्षतिपूर्ति** - किसी नुकसान के बदले में मिलने वाली राशि।
- ❖ **उन्मूलन**- जड़ से खत्म करना।
- ❖ **आरोही कर** - आय बढ़ने के साथ यदि कर की दर बढ़े।
- ❖ **सन्तुलित विकास** - सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास

- ❖ **समावेशी** - विकास के पथ पर जो पिछड़ गये हैं सबको लेकर विकास करना ।
- ❖ **अनवरत** - लगातार
- ❖ **उदारीकरण** - नियंत्रण कम करना ।
- ❖ **वैश्वीकरण** - विश्व से एकीकृत होना
- ❖ **पर्सपेक्टिव प्लानिंग**- दीर्घकालीन योजना

### 1.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

1. एम. विश्वेश्वरैया 2. जवाहर लाल नेहरू 3. गाँधीवादी 4. मिश्रित 5. एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग 6. पूरा 7. गुनार मिर्डाल 8. गैर-संवैधानिक, परामर्शदात्री 9. राष्ट्रीय विकास परिषद 10. उपनिवेशवाद

### 1.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- दत्त, रूद्र एवं के. पी. एम. सुन्दरम (2010) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली।
- लाल, एस. एन. एवं एस. के. लाल (2005), आर्थिक विकास, आयोजन तथा पर्यावरण शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
- लाल, एस. एन. एवं एस. के. लाल (2010), भारतीय अर्थव्यवस्था - सर्वेक्षण तथा विश्लेषण. शिवम पब्लिशर्स, इलाहाबाद।
- भारतीय अर्थव्यवस्था (2010) प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, आगरा।

### 1.15 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री(Helpful/useful/Text)

- Kapila, Uma (2008-05), India's Economic Development Since 1547, Academic Foundation.
- Mishra, S.K. and V. K. Puri (2010) Problems of Indian Economy, Himalaya Publishing
- Kapila, Uma (2008-05), Indian Economy, Academic Foundation House.

### 1.16 निबन्धात्मक प्रश्न( Essay Type Questions)

1. अल्पविकसित देशों में नियोजन के औचित्य एवं उसकी सफलता की शर्तों पर प्रकाश डालिए?
2. भारत में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता दर्शाइये?
3. नियोजन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है?
4. भारत में नियोजन निर्माण प्रक्रिया बताइये?

---

## **इकाई – 2 आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ (Achievements of economic planning)**

---

### **2.1 प्रस्तावना (Introduction)**

### **2.2 उद्देश्य (Objectives)**

### **2.3 प्रथम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाएँ (First to Eleventh Five Year Plans)**

#### **2.3.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan)**

#### **2.3.2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan)**

#### **2.3.3 तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan)**

#### **2.3.4 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan)**

#### **2.3.5 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan)**

#### **2.3.6 छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan)**

#### **2.3.7 सातवीं पंचवर्षीय योजना (Seventh Five Year Plan)**

#### **2.3.8 आठवीं पंचवर्षीय योजना (Eighth Five Year Plan)**

#### **2.3.9 नवीं पंचवर्षीय योजना (Ninth Five Year Plan)**

#### **2.3.10 दसवीं पंचवर्षीय योजना (Tenth Five Year Plan)**

#### **2.3.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (Eleventh Five Year Plan)**

### **2.4 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)**

### **2.5 सारांश (Summary)**

### **2.6 शब्दावली (Glossary)**

### **2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)**

### **2.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)**

### **2.9 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)**

### **2.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)**

## 2.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह दूसरी इकाई है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत इससे पहले की इकाई में आपने जाना कि योजना कितने प्रकार की होती है, भारत में कितने प्रकार की नियोजन प्रणालियों का उपयोग अब तक हुआ। किसी भी योजना की निर्माण प्रक्रिया क्या है और कौन-कौन से संगठन इसमें शामिल हैं। ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता के पहले हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था वह जो भी कर रहे थे अपने स्वार्थ के लिए करते थे और भारतीयों का शोषण करते रहे। स्वतंत्रता पश्चात सरकार के सामने चुनौती थी किस प्रकार देश को सहारा देकर आत्मनिर्भर बनाया जाय। इसके लिए विकास की किस प्रणाली का उपयोग हो यह निर्भर करता था उस समय सत्ता में रही सरकार की सोच पर। सरकार ने सोचा निजी निवेशक अपने स्वार्थ और अधिकतम लाभ की कोशिश करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात साहसियों की कमी थी। इसलिए सरकार ने क्या उत्पादित हो, कितना हो और इसका आवंटन किस प्रकार हो जिससे कि जनता का अधिकतम कल्याण हो। अपने नियंत्रण में रखा परिणामतः शुरू की योजनाओं में ज्यादातर उद्योग धन्धे सरकार के हाथ में थे जो निजी निवेशकों के लिए खोले गये उन पर सरकार कड़े प्रतिबन्ध रखती थी। 1980 के दशक से उदारिकरण का दौर शुरू हुआ और 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई जिससे बाजारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण पर बल दिया गया और सरकार निर्देशात्मक तरीके से काम करने लगी। विभिन्न योजनाओं के दौरान आये परिवर्तन, उद्देश्य, उपलब्धियों और कमजोरियों की व्याख्या हम इस इकाई में देखेंगे।

## 2.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप

- ✓ अब तक की योजनाओं के उद्देश्यों को जान सकेंगे।
- ✓ विभिन्न योजनाओं में क्या उपलब्धियाँ रहीं, इनका वर्णन कर पायेंगे।
- ✓ प्रथम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कौन सी कमियाँ रह गई कि अब तक गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति नहीं मिली, असमानताएं बढ़ी और कृषि क्षेत्र में अपेक्षित उन्नति नहीं हुई की समीक्षा कर पायेंगे।

## 2.3 प्रथम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाएँ (First to Eleventh Five Year Plans)

1951 के पश्चात् अब तक दस पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 1 अप्रैल, 2007 से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो चुकी है। इस बीच पाँच एक वर्षीय योजनाएं व एक वर्ष के अन्तराल में भी नियोजन हुआ। इन अवधियों को 1951 से अब तक के योजनाकाल में “योजना अवकाश” माना जाता है।

### 2.3.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan)

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 डोमर संवृद्धि मॉडल पर आधारित थी। सार्वजनिक क्षेत्र में 2378 करोड़ रुपये का संशोधित लक्ष्य रखा गया था, किन्तु इस अवधि में वास्तविक व्यय 1960 करोड़ रुपये ही हुआ। लक्षित विकास दर 2.1 प्रतिशत के मुकाबले 3.6 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हुई। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। 1955-56 में खाद्यान्नों का उत्पादन 64.8 मिलियन टन था, जो लक्ष्य से 3 मिलियन टन अधिक था। यद्यपि इस योजना में औद्योगिक विकास पर कम ध्यान दिया गया किन्तु इसके उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस योजना में भूमि सुधार, सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सहकारी संगठनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में संस्थागत परिवर्तनों की शुरुआत हुई। तीन अल्पकालीन उद्देश्य अर्थात् शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता और कीमतों पर नियंत्रण लगभग प्राप्त कर लिये गये। पहली योजना की सफलता मूल रूप से अनुकूल जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों का परिणाम थी किन्तु योजना आयोग और सरकार ने विभिन्न योजना लक्ष्यों की प्राप्ति का श्रेय लिया।

### 2.3.2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961) (Second Five Year Plan)

यह पी0सी0 महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी माडल में सम्मिलित क्षेत्र थे- पूँजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र कृषि सहित एवं सेवा क्षेत्र मॉडल वास्तव में असन्तुलित विकास रणनीति पर आधारित था। दूसरी योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया। दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर 4800 करोड़ रुपये का संशोधित व्यय प्रस्तावित था किन्तु वास्तविक

व्यय 4672 करोड़ रुपये ही हुआ। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वास्तविक वृद्धि 20 प्रतिशत रही। द्वितीय योजना में लक्षित विकास दर 4.5 प्रतिशत थी किन्तु वास्तविक वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (छत्तीसगढ़), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई, इन्टेगरल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव्स भी द्वितीय योजना की ही उपलब्धि थी। इस योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दिये जाने के कारण औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक सन् 1956 में 139 से बढ़कर 1961 में 194 हो गया। खाद्यान्नों का उत्पादन 1955-56 में 64.8 मिलियन टन से बढ़कर सन् 1960-61 में 76 मिलियन टन हो गया।

### 2.3.3 तृतीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966) (Third Five Year Plan)

द्वितीय योजना के अन्त में आयोजनकर्ताओं ने यह महसूस किया कि अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के पूर्व की स्थिति (Take off stage) प्राप्त हो चुकी है अतः देश के संरचनात्मक ढाँचे में इतना परिवर्तन हो चुका है कि अब पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस विश्वास के साथ इस योजना में कहा गया है कि " इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल तीव्र गति से विकसित होगी पर साथ ही निश्चित रूप से आत्मनिर्भर तथा स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था हो जायेगी "इस योजना पर महालनोबिस के चार क्षेत्रीय मॉडल, जे0 सैण्डी के Demonstration Planning Model तथा सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल अनुमानित व्यय 7500 करोड़ रुपये से अधिक 8577 करोड़ रुपये का हुआ। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था जबकि वार्षिक वृद्धि योजना के प्रथम चार वर्षों में क्रमशः 2.5 प्रतिशत, 1.7 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत, और 7.6 प्रतिशत हुई किन्तु अन्तिम वर्ष (1965-66) में इसमें 3.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। औद्योगिक विकास का लक्ष्य 11 प्रतिशत रखा गया था लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत वार्षिक रही। द्वितीय योजना की गलती से सीख लेते हुए नियोजकों ने तीसरी योजना में कृषि पर विशेष बल दिया। सिंचाई, शक्ति के साथ कृषि विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया जिसके लिए कुल व्यय का 36 प्रतिशत भाग आवंटित किया गया जो दूसरी योजना में 30 प्रतिशत था। तृतीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि कृषि उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। तीव्र तथा आत्मनिर्भर विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र के विकास को अनिवार्यतः स्वीकारते हुए सुदृढ़ नींव प्रदान करने के लिए कोयला, तेल, स्टील, विद्युत शक्ति,

मशीन निर्माण, रासायनिक आदि पर विशेष बल दिया गया। उत्पादकता का स्तर उठाने के लिए प्राविधिक विकास के ऊपर बल दिया गया। तीसरी योजना को भारी विफलता सहन करनी पड़ी क्योंकि देश में योजना के अन्तिम वर्ष 1965-66 में गत 60 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़े सूखे का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ दो युद्ध करने पड़े और इस दौरान भारत को मुख्य सहायता प्रदान करने वाले देशों ने धोखा दिया। तीसरी योजना की विफलता के कारण चौथी योजना को स्थगित करना पड़ा और अगले तीन वर्ष वार्षिक योजनाएं लागू नहीं जिसे योजनावकाश कहा गया।

### 2.3.4 (चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-1974) (Fourth Five Year Plan)

इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी०आर० गाडगिल ने तैयार किया और मई में संसद में रखा किन्तु इसे 1969 से ही चालू माना गया। यह योजना अशोक रूद्र तथा एलन एस० मात्रे द्वारा तैयार ओपेन कनसिस्टेन्सी मॉडल पर आधारित था तथा इसमें 30 क्षेत्र लिये गये। इसका मुख्य उद्देश्य “स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। चौथी योजना में व्यय 15900 करोड़ रुपये प्रस्तावित था किन्तु वास्तविक व्यय 15799 करोड़ ही हुआ। कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.7 प्रतिशत था किन्तु यह 3.2 प्रतिशत ही रही। प्रति व्यक्ति आय में केवल 3.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गयी। इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, MRTP Act 1969 तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई। योजना के पहले दो वर्ष बहुत ही सफल वर्ष थे जिनमें खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई। पर अगले तीन वर्षों में मानसून की विफलता के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आयी और औद्योगिक क्षेत्र में पावर में विफलता, परिवहन सम्बन्धी अड़चने, औद्योगिक अशान्ति दृष्टिगोचर हुई। कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 5 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वास्तविक उपलब्धि 2.57 प्रतिशत रही। औद्योगिक उत्पादन में प्रति वर्ष 8 से 10 प्रतिशत वृद्धि की आशा की गई थी लेकिन वास्तविक उपलब्धि काफी कम रही। इस योजना का आकार पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं से बड़ा था। चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 15,779 करोड़ रुपये था जो पहली योजना का लगभग आठ गुना तथा तीसरी का लगभग दोगुना था। आकार में बड़ी होनी के बावजूद भी इसमें “मूल्य की स्थिरता” को बनाये रखने का प्रयास किया

गया। मूल्य स्थिरता बनाये रखने के लिए योजना की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति मुद्रा प्रसारीय स्रोतों से नहीं की गयी। “घाटे की बजट ” की मात्रा को 850 करोड़ रुपये तक ही सीमित रखा गया जो तीसरी योजना में 1,133 करोड़ था। इस योजना में विदेशी सहायता पर अन्य योजनाओं की अपेक्षा निर्भरता कम रही जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्म निर्भर बनाया जा सके। विदेशी सहायता की मात्रा दूसरी योजना में 23.7 प्रतिशत, तीसरी में 28.2 प्रतिशत, वार्षिक योजनाओं में 35.9 प्रतिशत थी वहाँ चौथी योजना में 12.4 प्रतिशत ही रही। योजना आयोग ने शिक्षा एवं अनुसंधान पर होने वाले व्यय के भाग को 2.5 प्रतिशत कर दिया जो तीसरी योजना में 5.2 प्रतिशत ही था।

### 2.3.5 पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974 से 1979) (Fifth Five Year Plan)

यह योजना भी आगत-निर्गत मॉडल पर ही आधारित थी किन्तु अब इसमें 66 क्षेत्र लिये गये। इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया और छठी योजना 1978-83 लागू किया जिसे “अनवरत योजना” का नाम दिया गया। इस योजना में सार्वजनिक व्यय 37250 करोड़ रुपये प्रस्तावित था पर वास्तविक व्यय 39426 करोड़ रुपये हुआ। 1975 में ही बीस सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यक्रम को इस योजना में शामिल कर उस पर 2083 करोड़ रूपया व्यय आवंटित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे-

- ❖ 14 वर्ष के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा देने की व्यवस्था करना।
- ❖ सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- ❖ जिन गाँवों में पीने के पानी की काफी कमी हो या जहाँ पानी के स्रोत असुरक्षित हो, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- ❖ 1500 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में सभी मौसम योग्य सड़क या व्यवस्था
- ❖ भूमिहीन श्रमिकों के लिए जमीन की व्यवस्था करना
- ❖ ग्रामीण जनसंख्या के 30 से 40 प्रतिशत को बिजली उपलब्ध कराना। लक्षित विकास दर 4.4 प्रतिशत के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत थी। 1975-76 में कृषि उत्पादन में 15.6 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि हुई किन्तु 1978-79 में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार इस योजना की विशेषता थी। हालाँकि उस समय प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने माना कि गरीबी को अचानक दूर नहीं किया जा सकता,

इसका निवारण एक क्रमिक प्रक्रिया है। इस योजना के प्रपत्र में ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को जोतों की सीमा के निर्धारण में अधिक प्रयास करना होगा, ऐसे उद्योग जो सामान्य जनता के उपभोग की वस्तुएं बनायें उनको स्थापित करने तथा कृषि उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि करने पर बल होगा।

### 2.3.6 छठी पंचवर्षीय योजना 1980 to 1985 (Sixth Five Year Plan)

जनता पार्टी सरकार ने पाँचवी योजना को समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया और छठी योजना (1978-83) लागू कर दी। जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस ने पुनः छठी योजना को 1980-85 के लिए लागू किया। अतः 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि को योजनावकाश माना गया। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वांगीण प्रगति की और योजना आयोग द्वारा निर्धारित लगभग सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय 1,09,292 करोड़ रुपये था। इस योजना में फैक्टर लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.2 वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था और वास्तविक उपलब्धि 5.54 प्रतिशत रही। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में 3.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी। छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। इससे सम्बन्धित सभी बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी योजना में शुरू हुए। इसी योजना से "मानक व्यक्ति वर्ष" को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया। यदि प्रत्येक दिन 8 घण्टे, 273 दिन तक रोजगार किसी व्यक्ति को उपलब्ध है तो उसे Standard Person Year की दृष्टि से रोजगार कहेंगे। योजना आयोग द्वारा 1977 में नियुक्त न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण उपभोग मांग के सम्बन्ध में नियुक्त कार्यदल ने "गरीबी निर्देशांक" तैयार किया और "गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 260 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए छठी योजना में समन्वित विकास कार्यक्रम (IRDP) चालू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों, सीमान्त किसानों, अनुसूचित जनजातियों, कारीगरों और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के परिवारों की सहायता करना होगा। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों को सेवा पहुंचाना।

**राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम** - ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों के पास या तो सम्पत्ति है नहीं या पर्याप्त नहीं है, उन्हें मजदूरी रोजगार देना, केन्द्र एवं राज्यों की 50 : 50 की सहभागिता।

ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से सम्बन्धित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP इसी योजना में लागू किये गये थे। यह योजना 15 वर्ष की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। आधुनिकीकरण की इसी योजना से शुरुआत की गई।

### 2.3.7 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) (Seventh Five Year Plan)

विकास के सन्दर्भ में दीर्घकालीन रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में उदारीकरण पर बल दिया गया। सामाजिक न्याय के साथ आत्मनिर्भरता के विकास लक्ष्य को और गति प्रदान की गई। इस योजना के तीन प्रमुख उद्देश्य रहे- (1) खाद्यान्नों की वृद्धि दर को बढ़ाना (2) रोजगार का विस्तार करना (3) उत्पादित को उन्नत करना। योजना में 1,80,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित था परन्तु वास्तविक व्यय 2,18,730 करोड़ रुपये हो गया। 5 प्रतिशत लक्षित विकास दर की अपेक्षा 5.8 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि हुई जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 3.6 प्रतिशत रही। इस योजना में सबसे अधिक महत्व ऊर्जा को दिया गया यह कुल परिव्यय का 30.5 प्रतिशत रहा। सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय का दूसरा स्थान रहा यह कुल परिव्यय का 12.3 प्रतिशत था। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आवास एवं नगर विकास और जल संभरण एवं सफाई महत्वपूर्ण है। यह योजना कृषि एवं उद्योग पर समान बल देती है और कुल परिव्यय का 12.7 और 12.5 प्रतिशत व्यय आवंटित करती है। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय की दृष्टि से नियोजकों ने रोटी, रोजगार और उत्पादकता को महत्व दिया। रोटी के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। रोजगार जनन की दिशा में 1989 में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई। इस योजना में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को मिला दिया गया। जवाहर रोजगार योजना में इन कार्यक्रमों को सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। यह योजना ग्राम पंचायत स्तर से लागू की गई है और इस योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र एवं राज्य सरकारों की 80 - 20 प्रतिशत की भागीदारी है। जितने भी प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाये गये वे गरीबों की सहायता तो करते हैं परन्तु वे स्थाई परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण नहीं करते हैं साथ ही साथ शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण अपव्यय होता है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तकनालाजी के आयात एवं आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। उत्पादकता

बढ़ाने के लिए कृषि एवं उद्योगों में तकनीकी उन्नयन, आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक विकास सहायक होते हैं। यह पूँजी प्रधान उत्पादन के साधन होते हैं और श्रम प्रधान तकनीकें गौण हो जाती हैं।

### 2.3.8 आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 (Eighth Five Year Plan)

सातवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1990 को समाप्त हुई और आठवीं योजना को 1 अप्रैल 1990 से लागू होना था लेकिन देश में राजनीतिक अस्थिरता और गम्भीर आर्थिक संकट के कारण यह समय से प्रारम्भ नहीं हो पायी और आठवीं योजना दो वर्ष विलम्ब से लागू की जा सकी। 1990-91 एवं 1991-92 योजना विहीन वर्ष घोषित हुआ किन्तु इस समय के लिए वार्षिक योजनाएं लागू की गयीं। योजना पर 4,34,000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था किन्तु वास्तविक व्यय 495670 करोड़ रुपये रहा। 5.6 प्रतिशत की वृद्धि पर लक्षित थी जबकि 2.86 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त हुई। इस योजना में "मानव संसाधन विकास" को मूलभूत उद्देश्य माना गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो समष्टि असन्तुलन आये उन्हें ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करना पड़ा। इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना किस पृष्ठभूमि में तैयार की गयी। राजकोषीय घाटा 1990-91 में 8.4 प्रतिशत पहुंच गया। जुलाई 1991 में विदेशी विनियम कोष लगभग 2500 करोड़ रुपये था जो आधा महीने की आयात आवश्यकता की पूर्ति से अधिक नहीं था। मुद्रा स्फीति की दर 12.7 प्रतिशत रही। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नये आर्थिक सुधार शुरू किये गये जो मुक्त बाजार शक्तियों और प्रतिस्पर्धा पर आधारित थे। इस योजना में भी पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों के सृजन को सर्वाधिक महत्व दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा उत्पादकता की वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास पर विशेष बल दिया गया। 1991 से औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गयी जिसके परिणामस्वरूप एक ओर तो निजी क्षेत्र को और विकसित होने का मौका मिले और विदेशी साहसियों को भी देश में आने की छूट मिले। भारतीय उद्योगों के पुनर्गठन के लिए निम्नांकित दिशा में बल दिया गया: -

1. प्रतियोगितात्मकता पर अधिक बल होने के कारण भविष्य में उन्हीं उद्योगों का अधिक विकास होगा जिन्हें प्रतियोगितात्मक लाभ की स्थिति प्राप्त हो।

2. व्यक्तिगत इकाईयाँ एकीकरण, विलयन तथा विस्तार के द्वारा आकार में बढ़ेगी।
3. विदेशों में संयुक्त उद्यम होंगे जो देश तथा सम्बन्धित बाहरी देश में साधन भण्डार की पूरकरता का शोषण करेंगे।

इस योजना में दुर्बल वर्गों के कल्याण के सामाजिक दायित्व में बिना ढिलाई के बाजार अर्थ व्यवस्था में बदलने का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढाँचे का तीव्र विकास आवश्यक है इसलिए बिजली, परिवहन तथा संचार पर विशेष बल दिया गया। इस योजना में वित्तीय असन्तुलन दूर करने का प्रयास किया गया। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था को 4.6 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। यह योजना निर्देशात्मक प्रकृति की है। छठी पंचवर्षीय योजना में भुगतान सन्तुलन के सम्बन्ध में चालू खाता का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत था, सातवीं योजना में यह 2.3 प्रतिशत था जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू खाते का औसतन घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत ही रहा। अतः इस अवधि में भुगतान सन्तुलन की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ।

### 2.3.9 नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 (Ninth Five Year Plan)

इस योजना में तीव्र आर्थिक संवृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के बीच सम्बन्ध माना गया। ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया जो गरीबों के पक्ष में हो और विषमताओं को दूर करने में सहायक हों। “सामाजिक न्याय तथा समता” के साथ आर्थिक विकास इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम घोषित किया जिसके अनुरूप आर्थिक संवृद्धि दर 7 प्रतिशत स्वीकार की गयी। आर्थिक मन्दी के कारण पूरी योजनावधि के लिए आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को 0.5 प्रतिशत कम करके 2.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया। देश में व्याप्त मन्दी के कारण कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों, खनन, बिजली, निर्माण, उत्पादन एवं व्यापार क्षेत्र के विकास लक्ष्य की दरों को भी घटा दिया गया। निजी क्षेत्र और बाजार शक्तियों के महत्वपूर्ण कार्यभाग की परिकल्पना की गई और राज्य को सुविधाजनक का कार्यभाग अदा करने के लिए कहा गया। यह अपेक्षा की गई कि राज्य को निम्नांकित क्षेत्रों में अपने कार्यभाग को बढ़ाना होगा-

1. देश की अधिकतर जनसंख्या विशेषकर ग्राम क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित पेय जल मुहैया कराना।
2. आर्थिक आधार संरचना की व्यवस्था करना जैसे- सिंचाई, पावर, सड़कें, बन्दरगाहें, रेलवे, दूर-संचार आदि।

नौवीं योजना की निवेश आवश्यकताएं 21,70,000 करोड़ रुपये अनुमानित की गयीं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 7,26,000 करोड़ रुपये (33.4 प्रतिशत) और निजी क्षेत्र का 11,19,000 करोड़ रुपये (51.6

प्रतिशत) होगा। 3,25,000 करोड़ रुपये की कमी शेष रहती है और इसे पूरा करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए विनिवेश का सहारा लिया जाएगा। इस योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य:

- ❖ प्रधानमंत्री की विशेष कार्ययोजना के मद में 22.300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। यह राशि सामाजिक व बुनियादी ढाँचे और सूचना तकनीक के विकास पर खर्च की जायेगी।
- ❖ पाँच क्षेत्रों में विशेष कार्ययोजनाओं के लिए 21,946 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। विशेष कार्ययोजना के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा मामलों और पेयजल एवं सफाई के साथ ग्रामीण व शहरी विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया। कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गयी।
- ❖ स्थिरता के साथ विकास - मूल्यों में स्थिरता बनाये रखते हुए आर्थिक विकास की गतितीव्र करना।
- ❖ सभी के लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा निश्चित करना।
- ❖ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण।
- ❖ देश में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और सहायक क्रियाओं के आधुनिकीकरण पर बल देना।
- ❖ आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों को सुदृढ़ करना। पंचायत राज संस्थाओं, सहकारिताओं तथा स्वयंसेवी वर्गों को बढ़ावा देना।

### 2.3.10 दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 (Tenth Five Year Plan)

यह योजना जब लागू हुई उस समय आर्थिक सुधार अपने चरम पर थे और विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं बाजारीकरण की दौड़ में दौड़ती जा रहीं थीं। इस योजना में जीडीपी का वृद्धि लक्ष्य रखा गया जो पहुंचा नहीं जा सका किन्तु नौवीं योजना की तुलना में यह 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गया। योजना के अन्तिम वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गयी। सकल देशीय बचत बाजार कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दसवीं योजना में 28.2 प्रतिशत थी जबकि यह नौवीं योजना में 23.1 प्रतिशत थी। 2005-06 में यह बढ़कर 32.4 प्रतिशत हो गयी। बचत बढ़ने से निवेश का स्तर ऊँचा उठता है और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। एक मजबूत संकेतक के रूप में विदेशी मुद्रा रिजर्व फरवरी 2007 में 185 अरब यूएस0 डालर हो गई। विदेशी मुद्रा अन्तर्प्रवाह 2005-06 में 20.2 अरब डालर हो गये 7.7 अरब डालर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और 12.5 अरब डालर पोर्टफोलियो निवेश। हालाँकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कुल विदेशी निवेश अन्तर्प्रवाह का 35.6 प्रतिशत था जिसे बढ़ाने की आवश्यकता थी क्योंकि पोर्टफोलियो निवेश सट्टेबाजी क्रियाओं में लिप्त होने की वजह से चंचल एवं अस्थिर होता है। 2006-07 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल अन्तर्प्रवाह में प्रतिशत बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया।

इस योजना में नौवीं योजना की अपेक्षा समष्टि आर्थिक मूल तत्व मजबूत हुए। इस योजना में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया और यह लक्षित किया गया 2007 तक वनों तथा वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना तथा सभी प्रदूषित नदियों की सफाई का कार्य पूरा करना। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की राशि 15,92,300 करोड़ रुपये निश्चित की गई किन्तु वास्तविक व्यय 16,53,065 करोड़ रुपये हुआ यदि हम इस दौरान मुद्रास्फीति जो 5.1 प्रतिशत थी, को ध्यान रखें तो इस योजना का वास्तविक आकार कम आयेगा। दसवीं योजना के दो आधारभूत तत्व हैं-

1. अभी तक की उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास करना
2. अभी तक के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में आई बाधाओं को दूर करना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को माना गया कि हालाँकि उच्च आर्थिक संवृद्धि दर से गरीबी कम होती है पर भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में व्याप्त कठोरतायें इस सम्बन्ध के प्रभाव को कम करती हैं। इसलिए विकास की रणनीति बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि ऐसी कार्ययोजना अपनायें जो समता तथा सामाजिक न्याय को स्थापित कर सके। इसके लिए 6वीं योजना में त्रिमुखी कार्यनीति (Three Pronged Strategy) अपनायी गयी:-

1. कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई क्योंकि इसमें विकास के फैलाव की व्यापकता होती है और ग्रामीण गरीबों को लाभ पहुंचता है। इस योजना में यह माना गया कि आर्थिक सुधारों के प्रथम चरण में औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया और कृषि क्षेत्र गौढ़ रहा इसलिए 6वीं योजना में सबसे ज्यादा बल कृषि विकास पर दिया गया किन्तु ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय किया गया।
2. ऐसे क्षेत्र जो लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करते हैं उन्हें विकसित किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके।
3. ऐसे वर्ग जो संवृद्धि प्रक्रिया से लाभान्वित होने से रह गये हैं उनके लिए संवृद्धि लाभ के साथ पूरक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाय।

दसवीं योजना में 2002-03 में 3.8 प्रतिशत, 2003-04 में 8.5 प्रतिशत, 2004-05 में 7.5 प्रतिशत, 2005-06 में 9.1 प्रतिशत तथा 2006-07 में 9.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर रही जो औसतन 7.6 प्रतिशत

रही। इस योजना में वर्द्धमान पूँजी उत्पाद अनुपात 4.3 रहा। सबसे अधिक संवृद्धि दर दसवीं योजना में रही इसके बाद आठवी योजना रही। पूरे योजनाकाल में उच्च वास्तविक वृद्धि वाले वर्ष रहे 1967-68 (8%), 1975-76 (9.1%), 1988-89 (10.1%), 1996-97 (8.2%), 2003-04 (8.7%), 2005-06 (9.0%), 2006-07 (8.1%) | पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में संवृद्धि दर के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के सन्दर्भ में रखे गये थे, चौथी योजना में यह शुद्ध घरेलू उत्पाद था। बाद की सभी योजनाओं में यह साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद रहा।

### पंचवर्षीय योजनाओं में संवृद्धि दर प्रतिशत प्रति वर्ष

क्र.सं.	योजनाएँ	लक्ष्य	वास्तविक
1.	प्रथम (1951-56)	2.1	3.60
2.	द्वितीय (1956-61)	4.5	4.21
3.	तृतीय (1961-66)	5.6	2.72
4.	चतुर्थ (1969-74)	5.7	2.05
5.	पंचम (1974-79)	4.4	4.83
6.	छठी (1980-85)	5.2	5.54
7.	सातवी (1985-90)	5.0	2.02
8.	आठवी (1992-97)	5.6	2.68
9.	नौवी (1997-2002)	2.5	5.35
10.	दसवी (2002-07)	8.0	7.6
11.	ग्यारहवी (2007-12)	9.0	7

यह अनुभव किया गया कि विकास के लाभ निचले स्तर पर रहने वाले गरीब और कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच पाएँ और उच्च वर्ग और धनवान होता जा रहा है। इसलिए गरीबी अभी भी व्यापक रूप से फैली है और लोग भूख से मरते भी हैं। यह एक ऐसे देश के लिए शर्म की बात है, जहाँ आर्थिक संवृद्धि 9 प्रतिशत तक भी पहुंची। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 2004-05 में 30 करोड़ व्यक्ति (27.5 प्रतिशत) गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। कृषि क्षेत्र में भयंकर विफलता हुई और वास्तविक औसत वार्षिक वृद्धि दर दसवीं योजना के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 2.1 प्रतिशत ही रही। क्षेत्रीय असमानताओं में कोई

कमी नहीं हुई। 5 गरीब राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कुल गरीबों की संख्या का 55 प्रतिशत निवास करता है। कुपोषण से ग्रस्त बाल जनसंख्या का अनुपात 2005-06 में 46 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था।

### 2.3.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 (Eleventh Five Year Plan)

9 दिसम्बर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने ग्यारहवीं योजना के दिशा निर्देश पत्र के दृष्टिकोण “अधिक तीव्र और समावेशी विकास की ओर” को स्वीकृति दे दी। 19 दिसम्बर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की 54वीं बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जी0डी0पी0 को 9 प्रतिशत के उच्च स्तर पर ले जाने की परिकल्पना की गई। मन्दी के कारण इसे संशोधित कर 7.8 प्रतिशत कर दिया गया। इसके साथ यह भी माना गया कि इस योजना का लक्ष्य केवल तीव्र विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास भी है जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की विस्तृत रूप में दशा सुनिश्चित करता है।

#### ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की दृष्टि

1. तीव्र विकास जो गरीबी को कम करे और रोजगार के अवसर सृजित हों।
2. सभी तक विशेषकर गरीब वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं को पहुंचाना।
3. शिक्षा और कौशल के विकास द्वारा सशक्तिकरण।
4. राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारण्टी प्रोग्राम के प्रयोग से रोजगार का विस्तार करना ।
5. पर्यावरण के टिकाऊपन को बढ़ावा देना ।
6. लैंगिक असमानता को कम करना ।
7. प्रशासन में सुधार करना ।

## ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के वृहत आर्थिक सूचक

		10वी योजना	11वी योजना
<b>1.</b>	सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर जिसमें से		
<b>(क)</b>	कृषि	7.6	9.0
<b>(ख)</b>	उद्योग	2.13	4.1
<b>(ग)</b>	सेवाएं	8.74	10.5
		9.28	9.9
2.	चालू खाते का घाटा (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)	0.2	- 2.8
3.	सरकारी राजस्व अधिशेष (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)	-4.4	- 0.2
4.	सरकारी राजकोषीय अधिशेष (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)	- 8.0	- 2.0

कर ढाँचे में सुधार के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करना, विशेष आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, उद्योगों का आधुनिकीकरण, निवेश के अनुकूल वातावरण, श्रम आधारित उत्पादन की इकाइयों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन के अलावा कम्पनी अधिनियम में जरूरी बदलाव। समावेशी विकास के माप का सबसे प्रभावी तरीका देश की प्रगति को इसके सबसे गरीब हिस्से की प्रगति के सन्दर्भ में मापना अर्थात् जनसंख्या के निचले 20 प्रतिशत हिस्से की प्रगति विकास की रणनीति में सम्मिलित करना होगा बंचितों, गरीबों का सशक्तिकरण, सर्वशिक्षा अभियान के लिए प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विकलांग छात्रों को आवश्यक सहायता, सैकेण्डरी शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देना तथा वयस्क साक्षरता के अभियान को बढ़ावा देने के अलावा विज्ञान और तकनीक के आधार विकसित करना। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों को पूरा करना, सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण स्वच्छता के लक्ष्यों को पूरा करना। भारत निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस योजना में पर्यावरण संरक्षण के अन्तर्गत वायु व जल की गुणवत्ता सुधारनी होगी, ठोस कूड़े का उचित प्रबन्धन करना होगा और वन्य तथा जैव विविधता को संरक्षित करने का लक्ष्य है। 11 वीं योजना के दौरान कुल व्यय 36,44,718 करोड़

रूपये होने का प्रावधान है जिसमें केन्द्र की भागीदारी 21,56,571 करोड़ रूपया तथा राज्यों की भागीदारी 14,83, 147 करोड़ रूपया होगी। 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। बेरोजगारी के अनुमान के सम्बन्ध में चालू दैनिक अवस्था को आधार मानते हुए यह लक्ष्य रखा गया कि 11वीं योजना के दौरान होने वाली श्रम शक्ति में वृद्धि को उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार उपलब्ध कराना। विनिर्माण में 4 प्रतिशत निर्माण में 8.2 प्रतिशत तथा यातायात तथा संवहन में 7.6 प्रतिशत की दर से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। रोजगार के 70 मिलियन नये अवसर सृजित करना तथा शैक्षिक बेरोजगारी को 5 प्रतिशत से नीचे लाना। 2001 से 2011 तक के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को घटा कर 12.2 प्रतिशत के स्तर पर लाना। साक्षरता की दर के सम्बन्ध में कम से कम 75 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा साक्षरता में लिंगीय अन्तराल को 10 प्रतिशत तक लाना। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 2012 तक 28 तथा मातृ मृत्यु दर को घटा कर 2010 तक 1 प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर तक लाना। 2012 तक सभी गाँवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति आश्वासित करना। लिंगानुपात दर को सुधारते हुए वर्ष 2011-12 तक प्रति हजार 935 और वर्ष 2016-17 तक 950 प्रति हजार का लक्ष्य। वर्ष 2011-12 तक प्रत्येक गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना।

#### तालिका ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित परिव्यय

क्र०सं०	मद	राशि	प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	1,36,831	3.7
2.	ग्रामीण विकास	3,01,069	8.3
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	26,329	0.7
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	210326	5.8
5.	ऊर्जा	8,54,123	23.4
6.	उद्योग एवं खनिज	1,53,600	4.2
7.	परिवहन	5,72,443	15.7
8.	संचार	95,380	2.6
9.	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	87,933	2.4
10.	सामान्य आर्थिक सेवायें	62,523	1.7
11.	सामाजिक सेवायें	11,02,327	30.2
12.	सामान्य सेवायें	42,283	1.0032
<b>कुल योग</b>		<b>36,44,718</b>	<b>100</b>

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य "अधिक तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास" का लक्ष्य तो बहुत अच्छे इरादे बताता है किन्तु उच्च आर्थिक संवृद्धि के लिए ये योजना जो रास्ते अपनाती है जैसे ठेका खेती की वकालत करना यह पूँजी प्रधान है जबकि भारत में आवश्यकता है श्रम प्रधान तकनीक की जो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर सके। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डा० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नियुक्त किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को शामिल नहीं करती। वे सिफारिशें थीं- फसलों को नुकसान द्वारा प्रभावित किसानों के उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय लिए राष्ट्रीय आपदा कोष की तर्ज पर एक कोष की स्थापना करना, किसानों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर कम करके 4 प्रतिशत पर लाना, कृषि उत्पादों के आयात पर परिणामात्मक सीमा बन्धन लगाना। गरीबी दूर करने के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये हैं वे कितने कारगर होंगे गरीबी कम करने में यह निर्भर करेगा इनके कार्यान्वयन की प्रभाविता से योजना आयोग कुछ मुद्दों पर मौन है जैसे खाद्य सुरक्षा, कीमत आलम्बन प्रणाली को मजबूत करना, कृषि के सब्सिडी प्राप्त आयतों के विरुद्ध किसानों का संरक्षण, फसल बीमा का सर्वव्यापीकरण और भू-सुधार। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मन्दी के प्रभाव से 9 प्रतिशत की आर्थिक संवृद्धि दर प्राप्त करना सम्भव नहीं है। समावेशी विकास निर्भर करेगा किस प्रकार संशोधित 7.8 प्रतिशत की विकास दर गरीब पक्षीय विकास को बढ़ावा देगी और ग्रामीण एवं शहरी विभाजन और अमीर-गरीब के विभाजन को कम कर सकेगी।

## 2.4 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### रिक्त स्थान भरो-

1. भारत के योजनाकाल में 1966-69 का समय..... का रहा।
2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना .....मॉडल पर आधारित थी।
3. ....योजना अशोक रूद्र तथा एलन एस० मात्रे द्वारा तैयार ओपेन कनसिस्टेन्सी मॉडल पर आधारित थी।
4. मानक व्यक्ति वर्ष ..... मापने का तरीका है।
5. 1989 में ..... योजना शुरू की गई।

### सत्य / असत्य

1. तकनीकी उन्नयन, आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक विकास श्रम प्रधान तकनीक है।
2. भारत में नये आर्थिक सुधार की शुरुआत 1991 में हुई।
3. दसवीं पंचवर्षीय योजना में 5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रही।
4. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक तीव्र एवं समावेशी आर्थिक विकास है।
5. अनवरत योजना जनता पार्टी ने 1978-83 में लागू की।

## 2.5 सारांश (Summary)

आप को इस इकाई के अध्ययन के बाद यह जानकारी तो मिली होगी कि भारत में अब तक के योजनाकाल में जब 2012 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने वाली है भारतीय अर्थव्यवस्था में कई उतार चढ़ाव आये और हमारे नियोजकों ने परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्यों को बदला, उसके लिए आवंटन किया और विभिन्न कार्यक्रम चलाये। अगर आज तक उन उद्देश्यों की पूर्ति में कुछ कमी रही है तो अन्य कारणों के साथ लक्षित लोगों तक आवंटित लाभ न पहुंच पाना प्रमुख है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश जहाँ आज भी करीब 60 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बसी है वहाँ विकास की रणनीति बनाते समय हमारे नियोजक पाश्चात्य विकास की रणनीति से अधिक प्रभावित नजर आते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नियोजकों ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि विकास की प्रक्रिया सन्तुलित नहीं रही है और आय तथा सम्पत्ति का संकेन्द्रण होता जा रहा है समावेशी विकास पर जोर दिया। किन्तु इस योजना में खत्म होने में एक साल बचे हैं पर क्या हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ पाये हैं? हर पग पर शहरों में व्यक्तियों के बीच, शहर और गाँवों, विभिन्न राज्यों, विभिन्न क्षेत्रों पर यदि हम दृष्टि डाले तो असमानता की खाई गहराती गई है। जहाँ उपभोक्तावाद चरम पर है वहीं लोग भूख से भी मर रहे हैं। इसलिए नियोजकों को विकसित देशों की रणनीति की दिशा नहीं अपनानी चाहिए और न ही किसी दबाव में देश के लिए रणनीति बनानी चाहिए। भले ही आर्थिक संवृद्धि की दर थोड़ी धीमी रहे पर सन्तुलित विकास पर जोर देना चाहिए जिससे लोगों में असन्तोष न पैदा हो

## 2.6 शब्दावली (Glossary)

- ❖ असन्तुलित विकास रणनीति- कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें अधिक निवेश करना जिससे प्रतिफल अधिक हो और क्षेत्र उसकी देखादेखी विकास की ओर बढ़े।
- ❖ स्वयं स्फूर्ति - अपने आप तेजी पकड़ना।
- ❖ योजनावकाश - जिन सालों में पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई और वार्षिक योजना बनाकर काम चलाना पड़ा।
- ❖ बफर स्टॉक - खाद्यान्न को सरकार गोदामों में स्टोर करके रखती है जिससे अर्थव्यवस्था में जब खाद्यान्नों की कीमत बढ़े तो कीमत नियंत्रण के लिए खाद्यान्न आवश्यकतानुसार निकाल दे।
- ❖ मुद्रा प्रसारीय स्रोत - ऐसे स्रोत जिनसे मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़े जैसे नये नोटों का निर्गमन (प्रिन्टिंग)।
- ❖ घाटे का बजट - सार्वजनिक व्यय जब सार्वजनिक आय से अधिक हो।
- ❖ सर्वव्यापीकरण - जिसका विस्तार सभी तक हो।
- ❖ परिणामात्मक सीमा बन्धन मात्रा की लिमिट (सीमा) तय करना।
- ❖ दशकीय वृद्धि - दस साल में वृद्धि दर।
- ❖ श्रम शक्ति - 15-60 साल के बीच लोगों की संख्या जो काम करने योग्य हो।

- ❖ चालू दैनिक अवस्था - किसी सन्दर्भित दिन जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है उसे रोजगार दिलाना यदि उसे उस दिन काम नहीं मिलता तो वह दैनिक स्थिति बेरोजगार है।
- ❖ NREP - राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम
- ❖ IRDP - समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- ❖ RLEGP - ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
- ❖ TRYSEM - ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए किट देना।
- ❖ DWACRA - ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रम

## 2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

उत्तर -रिक्त स्थान भरो :

1. योजनावकाश
2. पी महालनोबिस .सी .
3. चतुर्थ पंचवर्षीय
4. रोजगार
5. जवाहर रोजगार योजना

## 2.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- दत्त, रूद्र एवं के. पी. एम. सुन्दरम (206) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली
- लाल, एस. एन. एवं एस. के. लाल (2009), आर्थिक विकास आयोजन तथा पर्यावरण, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
- लाल, एस. एन. एवं एस. के. लाल (206), भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, शिवम् पब्लिशर्स, इलाहाबाद

## 2.8 सहायक सामग्रीउपयोगी पाठ्य/(Useful/Helpful Text)

- भारतीय अर्थव्यवस्था (2010) प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, आगरा
- Mishra, S.K. and V. K. Puri (2010) problems of Indian Economy, Himalaya Publishing House.
- Tenth Five Year Plan (2002-2007), Planning Commission, Government of India, New Delhi. [planningcommission.nic.in/plans/planrel/11thf.htm](http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/11thf.htm)

## 2.9 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य और उपलब्धियाँ बताइये?
2. योजनाकाल में अभी तक की योजनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए?

---

## इकाई - 3 केन्द्र राज्य सम्बन्ध (Center State Relations)

---

- 3.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 3.2 उद्देश्य (Objectives)
- 3.3 केन्द्र राज्य सम्बन्ध (center state relations)
  - 3.3.1 कार्यों का बंटवारा (Division of tasks)
  - 3.3.2 संसाधनों का बंटवारा (Distribution of resources)
  - 3.3.3 कर का बंटवारा (Tax distribution)
- 3.4 केन्द्र राज्य सम्बन्ध के तनाव क्षेत्र (Stress zone of centre-state relations)
  - 3.4.1 राज्य का पक्ष (Aspects of state)
  - 3.4.2 केन्द्र सरकार का तर्क (Central government's argument)
- 3.5 वित्त आयोग तथा वित्तीय हस्तान्तरण (Finance Commission and Financial Transfer)
- 3.6 साधन अंतरण के अन्त स्रोत (Internal source of resource transfer)
- 3.7 भारत में संघीय वित्त में सुधार हेतु सुझाव (Suggestions for improving federal finances in India)
- 3.8 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 3.9 सारांश (Summary)
- 3.10 शब्दावली (Glossary)
- 3.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 3.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 3.13 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 3.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

### 3.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस इकाई में हम अध्ययन करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था लागू है जिसके अन्तर्गत कौन से कार्य केन्द्र के हैं और कौन से राज्यों के। इसी प्रकार संसाधनों का बंटवारा केन्द्र और राज्य के बीच किस प्रकार से किया गया है। इस इकाई में हम यह भी देखेंगे कि कौन सी संस्थाएं केन्द्र से राज्यों की ओर हस्तांतरण करने में सहायक हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केन्द्र और राज्यों के कार्यों और शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघीय वित्त व्यवस्था में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे राजस्व के स्रोतों के विभाजन में इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों स्तर की सरकारों के साधन पर्याप्त हो जिससे वे अपने दायित्वों का अच्छी तरह निर्वहन कर सकें। अच्छी संघीय व्यवस्था में यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के स्वतंत्र वित्तीय अधिकार हों जिससे वे स्वतंत्र रूप से कर लगा सकें, ऋण ले सकें और अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु व्यय कर सकें। इस इकाई में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत इन कसौटियों पर खरा है या नहीं। यदि नहीं तो किस प्रकार समायोजन किया जाता है जिससे विवाद को कम किया जा सके।

### 3.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ इस इकाई में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में केन्द्र और राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा कैसे हुआ है।
- ✓ हम यह भी जानेंगे कि संसाधनों का बंटवारा केन्द्र और राज्यों के बीच कैसे हुआ है।
- ✓ केन्द्र और राज्य के बीच वित्तीय सम्बन्धों में तनाव क्षेत्र कौन से हैं।
- ✓ तनाव कम करने के लिए वित्तीय समायोजन कैसे किया जाता है।
- ✓ किन संस्थाओं और किन आधारों का सहारा लिया जाता है वित्तीय समायोजन करने में।

### 3.3 केन्द्र राज्य सम्बन्ध (center state relations)

भारतीय संविधान में भारत को संघ देश के रूप में स्वीकारा गया। कार्यों के बंटवारे, पारस्परिक तथा वित्तीय सम्बन्धों के समाधान हेतु जो व्यवस्थाएं संविधान में की गईं वे सभी उसी प्रकार थीं जैसी 1935 में Government of India Act में थीं। कार्यों तथा वित्तीय स्रोतों का विभाजन केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच इस मंशा से किया गया कि प्रशासनिक तथा वित्तीय स्तर पर प्रशासनिक कुशलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो तथा वित्तीय साधनों के लगाने, वसूल करने तथा बंटवारे के सम्बन्ध में अतिव्याप्ति नहीं

हो। केन्द्र सरकार को वे स्रोत जिनका राष्ट्रीय या अन्तर्राज्यीय आधार है दिये गये, जबकि स्थानीय आधार वाले राज्यीय सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकार को दिये गये।

### 3.3.1 कार्यों का बंटवारा (Division of tasks)

भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में केन्द्र तथा राज्यों के बीच कार्यों के बंटवारे से सम्बन्धित तीन सूचियाँ हैं जिनमें दोनों के कार्यों को स्पष्टतः रेखांकित किया गया जिससे कार्यों के सम्पादन में “अति व्याप्ति” न हो। ये अनुसूचियाँ हैं -

1. **संघीय सूची**-इसमें 97 मदें आती हैं। ये सभी राष्ट्रीय महत्व की हैं जैसे- सुरक्षा, परमाणु शक्ति, सुरक्षा उद्योग, विदेशी कार्य, रेलवे, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, चलन तथा टक्साल, बैंकिंग, विनिमय, भारी तथा आधारभूत उद्योग आदि। ये सभी मदें केन्द्र के पास हैं।
2. **राज्य सूची**-इसमें 66 मदें आती हैं। ये सभी स्थानीय महत्व की मदें हैं जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कानून तथा व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन, कृषि सिंचाई, ऊर्जा, मत्स्य, सहकारिता, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास, सामाजिक सेवायें आदि।
3. **समवर्ती सूची**- इसमें 52 मदें हैं। केन्द्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं किन्तु अतिव्याप्तियाँ पारस्परिक संघर्ष की स्थिति में केन्द्र को वरीयता मिलेगी। इसमें औद्योगिक तथा व्यापारिक एकाधिकार, श्रम कल्याण तथा विवाद, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन आदि मदें आती हैं।

### 3.3.2 संसाधनों का बंटवारा- (Distribution of resources)

**संघीय कर-** ये भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में दिए गये हैं और ये अत्यधिक विस्तृत आर्थिक आधार वाले कर हैं, जिनकी आय या कर आधार के सम्बन्ध में लोचशीलता अधिक है। केन्द्र सरकार 13 आधारों पर कर लगा सकती है:

1. कृषि आय को छोड़कर आय पर कर
2. सीमा शुल्क
3. निम्नलिखित को छोड़कर भारत में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं तथा तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क
  - a. मानवीय उपयोग के लिए एल्कोहलिक पेय
  - b. अफीम, गाँजा, मादक औषधि तथा मादक वस्तुएं

4. निगम कर
5. कृषि भूमि को छोड़ अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा एवं उत्तराधिकार शुल्क
6. कृषि भूमि को छोड़कर सम्पत्तियों पर अस्ति कर
7. कृषि भूमि को छोड़कर सम्पत्तियों के उत्तराधिकार पर कर
8. रेलवे, समुद्र या वायु द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं या सवारियों पर चुंगी कर
9. रेलवे किराये पर कर
10. समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय और उनमें दिए गए विज्ञापनों पर कर
11. स्टॉक एक्सचेंज तथा भावी बाजार के व्यवहारों पर स्टाम्प ड्यूटी
12. वित्तीय प्रलेखों पर स्टाम्प जैसे विनिमय विपत्र चेक, प्रामिजरी नोट, साख पत्र, बीमा पालिसी, अंश पत्रों तथा ऋण पत्रों के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी।

### 13. अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर

**राज्यीय कर-** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में दिए गये कर निम्नांकित हैं -

1. भू राजस्व
2. समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कर
3. कृषि आय पर कर
4. भूमि तथा भवनों पर कर
5. कृषि भूमि पर सम्पदा व उत्तराधिकारी शुल्क
6. शराब तथा स्वापक औषधि पर उत्पाद शुल्क
7. किसी स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर
8. धातु अधिकारों पर कर
9. बिजली के उपभोग तथा विक्रय पर कर
10. गाड़ियों, पशुओं तथा नौकाओं पर कर
11. वित्तीय प्रलेखों को छोड़कर अन्य प्रलेखों पर स्टाम्प शुल्क
12. सड़क या जल अन्तर्देशीय मार्गों द्वारा ढोई गई वस्तुओं एवं सवारियों पर कर
13. मनोरंजन तथा जुए पर कर
14. पथ कर
15. व्यवसाय, व्यापार, पेशे और रोजगार पर कर
16. प्रति व्यक्ति कर
17. समाचार पत्रों को छोड़ कर अन्य विज्ञापनों पर कर

जिन करों का उल्लेख राज्यीय या समवर्ती सूची में नहीं है, उन्हें केन्द्रीय सरकार को लगाने का अधिकार है। राज्यों की राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय सम्बन्धी आवश्यकता की आपूर्ति के स्रोत हैं -

- ❖ राज्यों के घरेलू संसाधन जिसमें करों की प्राप्तियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा चलाये गये उद्यमों से प्राप्त आय भी शामिल है।
- ❖ राजकोषीय हस्तान्तरण (वित्त आयोग द्वारा हस्तान्तरण)

- ❖ योजना आयोग द्वारा हस्तान्तरण
- ❖ सम्बद्ध मंत्रालय से हस्तान्तरण
- ❖ 293 (2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से ऋण तथा 293 (3) के अन्तर्गत देश के भीतर ऋण ले सकती है किन्तु राज्य सरकार बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के ऋण नहीं ले सकती अगर राज्य पर केन्द्र द्वारा दिया गया ऋण देय हो या कोई ऋण देय हो जिसकी गारण्टी केन्द्र सरकार ने ली हो।

भारतीय संविधान केन्द्र सरकार के अधिक पक्ष में है क्योंकि अधिकांश उत्पादक तथा लोचशील कर जिनसे आय अधिक होती है। केन्द्र सरकार के पास हैं, और राज्य के राजस्व के स्रोतों से कम आय होती है। जबकि केन्द्र तथा राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा इस प्रकार है कि अधिक खर्चीले तथा प्रसरणीय कार्य राज्यों को सौंपे गये हैं, परिणामतः ऊर्ध्वाधर असन्तुलन की स्थिति है। इस असन्तुलन को दूर करने के लिए संविधान में वित्तीय संसाधन के हस्तांतरण का प्रावधान है। यह तीन रूप में हो सकता है:-

- कर का बंटवारा (वित्त आयोग की संस्तुतियों पर)
- सहायक अनुदान (वित्त आयोग एवं योजना आयोग दोनों की संस्तुति के आधार पर। वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुच्छेद 275 तथा योजना आयोग के अन्तर्गत 282)
- ऋण

### 3.3.3 कर का बंटवारा (Tax distribution)

1. ऐसे कर जो केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित किये जाते हैं, एकत्रित किये जाते हैं तथा जिनसे प्राप्त राजस्व केन्द्र सरकार के ही पास रहती है जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी, पूंजीकर
2. वे कर जिन्हें केन्द्र सरकार के द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किये जाते हैं और जिन्हें केन्द्र और राज्य के बीच बांटा जाता है (जैसे आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
3. वे कर जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित और एकत्रित किया जाता है तथा एकत्रित राजस्व को राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे- जायदाद शुल्क, रेलवे किराये एवं मालभाड़े पर कर, समाचार पत्र के क्रय विक्रय पर कर एवं समाचार पत्र पर दिये गये विज्ञापन पर कर।
4. वे कर जो केन्द्र सरकार के द्वारा आरोपित किये जाते हैं लेकिन जिसकी वसूली और विनियोजन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है जैसे स्टाम्प शुल्क, दवाइयों एवं मादक द्रव्य पर कर।
5. वे कर जो राज्य सरकार द्वारा आरोपित, एकत्रित एवं विनियोजित किये जाते हैं जैसे बिक्री कर, कृषि आय पर कर, भूराजस्व, मोटर वाहन कर, व्यवसायिक कर, मनोरंजन कर आदि।

2 एवं 3 श्रेणी केन्द्र और राज्य वित्तीय सम्बन्ध को प्रभावित करता है। मई 2000 में संविधान में 89वाँ संशोधन किया गया जिसके अनुसार अब केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित सभी कर विभाजनशील कर का भाग होंगे। पहले केवल आयकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ बांटा जाता था। अर्थात् 1 श्रेणी का भी विभाजन किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 269 तथा 270 में संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहीत करों को केन्द्र तथा राज्यों के बीच वितरित करने का प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 271 केन्द्र को, अनुच्छेद 269 तथा 270 में वर्णित मदों पर अधिभार लगाने का अधिकार देता है, किन्तु अधिभार से अर्जित आय राज्यों में वितरित नहीं होती।

### 3.4 केन्द्र राज्य सम्बन्ध के तनाव क्षेत्र (Stress zone of centre-state relations)

#### 3.4.1 राज्य का पक्ष (Aspects of states)

1. राज्यों की यह शिकायत है केन्द्र सरकार के राजस्व स्रोत की प्रफुल्लता एवं लोचशीलता अधिक है।
  - a. **प्रफुल्लता-** यदि कर की दर में वृद्धि होती है एवं राजस्व की वसूली आनुपातिक या इससे अधिक होती है तो ऐसे कर को प्रफुल्लता की श्रेणी में रखा जाता है।
  - b. **लोचशीलता-** राष्ट्रीय आय बढ़ने पर राजस्व वसूली में भी आनुपातिक अथवा अनुपात से अधिक वृद्धि हो तो इसे लोचशील की श्रेणी में रखा जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर, आयकर, कस्टम शुल्क।
2. राज्य सरकारों की यह शिकायत थी कि निगम कर से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है। 1959 तक निगम कर आयकर का ही भाग होता था लेकिन 1959 में केन्द्र सरकार द्वारा निगम कर को आयकर से पृथक कर दिया गया एवं इसे विभाजनशील कर में शामिल नहीं किया गया। राज्य सरकारों का मानना था कि निगम कर भी यदि आयकर का भाग होता तो उन्हें केन्द्र से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती।
3. राज्यों की यह भी शिकायत है केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत कर जिनसे प्राप्त राजस्व राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है, में बढ़ोत्तरी के लिए सार्थक प्रयास नहीं किया है
4. राज्यों की यह भी शिकायत है कि केन्द्र सरकार आयकर पर समय-समय पर सरचार्ज (कर पर कर) अधिभार लगाती है जिससे प्राप्त वसूली राज्यों के साथ नहीं बांटी जाती है, इस तरह से उन्हें केन्द्रीय सहायता कम मिलती है।

5. 1973 के केन्द्र के एक निर्णय के द्वारा रेलवे किराये कर को समाप्त कर दिया गया एवं इसके स्थान पर केन्द्र सरकार हर वर्ष राज्यों को सहायक अनुदान देती है जिसका निर्धारण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। राज्यों की यह शिकायत है कि रेलवे किराया कर के द्वारा उन्हें अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी अर्थात् उन्हें सहायक अनुदान कम प्राप्त होता है।
6. राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत बिक्रीकर है जिससे लगभग 60 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है केन्द्र सरकार बिक्री कर को मूल्यवर्धित कर में परिवर्तित करना चाहती है। कई राज्य सरकारें इस नई व्यवस्था के प्रति सशंकित हैं और वे बिक्री कर को ही बनाये रखना चाहती हैं।
7. केन्द्र सरकार द्वारा लागू कई केन्द्रीय प्रायोजित विकास कार्यक्रमों के कुल व्यय का एक निश्चित भाग राज्य सरकार द्वारा वहन करना पड़ता है। राज्यों की यह शिकायत है कि उनकी वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब है और केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने के कारण उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उनकी यह मांग है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कुल व्यय केन्द्र सरकार द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए।
8. राज्यों की यह भी शिकायत है कि कई बार केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण उन्हें अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जब केन्द्र सरकार द्वारा वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया जाता है तथा सरकारी स्टाफ के वेतनमान में संशोधित किया जाता है तो राज्यों पर भी यह दबाव पड़ता है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करें। इसी तरह से जब केन्द्र सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा की जाती है तो राज्यों को भी इसका अनुशरण करना पड़ता है। राज्यों की यह मांग है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।
9. योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है उसका 70 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में 30 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में होता है। हर वर्ष केन्द्र से ऋण लेने के कारण राज्यों पर ब्याज अदायगी का दबाव बढ़ता जाता है जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और भी खराब होती है। राज्यों की यह मांग है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जो केन्द्रीय सहायता उन्हें दी जाती है उसका अधिक से अधिक भाग अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष-उपरोक्त तनाव क्षेत्रों के बावजूद भारत में यह पाया गया है कि कालांतर में राज्य सरकार केन्द्र पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। इस निर्भरता के निम्नलिखित दुष्परिणाम हैं -

- केन्द्र सरकार इच्छानुसार विभिन्न राज्यों के साथ भिन्न-भिन्न बर्ताव कर सकता है।
- राज्यों को बार-बार केन्द्र से सहायता मांगने में अपमान महसूस होता है।
- केन्द्रीय सहायता की अनिश्चितता के कारण राज्य की बजट प्रक्रिया प्रभावित होती है।
- राज्य सरकार मतदाताओं को वादे के अनुसार विकास कार्यक्रम लागू नहीं कर पाते।
- राज्यों को बार-बार रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ता है जिसकी सीमा निर्धारित है।

हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से निम्न मांग की है.

1. वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर अधिक संसाधन का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।
2. राज्यों को पूंजी बाजार से एक सीमा तक संसाधन जुटाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
3. विकास से सम्बन्धित योजनायें तैयार करने की स्वतंत्रता राज्यों को दी जानी चाहिए तथा इन कार्यक्रमों का वित्त पोषण केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए। यदि केन्द्र द्वारा कोई विकास कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है तथा राज्यों में कोई क्रियान्वयन किया जाता है तो इसका शत प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए।
4. केन्द्र सरकार को अपने कर्मचारी के वेतन महंगाई एवं भत्ते के सम्बन्ध में अपने निर्णय राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लेना चाहिए।
5. वे केन्द्रीय लोक उपक्रम जो लाभांश देती है उनके लाभांश का एक हिस्सा राज्यों में भी बांटा जाना चाहिए।

### 3.4.2 केन्द्र सरकार का तर्क(Central government's argument)

1. केन्द्र यह मानती है कि देश की एकता एवं अखण्डता के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार वित्तीय रूप से मजबूत हो अन्यथा देश की अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
2. यह कहना असत्य है कि राज्यों की दुर्बल वित्तीय स्थिति के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। वास्तव में अपनी वित्तीय समस्या के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। राज्यों ने अपने स्तर पर अधिक से अधिक संसाधन जुटाने के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किया है। उदाहरण के लिए राज्यों ने कृषि आय पर अभी तक आयकर नहीं लगाया है एवं कई राज्यों में व्यवसाय कर नहीं लगाया जाता है। इसी

तरह से अधिकांश राज्यों में बिजली के उपभोग के लिए एवं सिंचाई सुविधा के लिए User Charges की वसूली नहीं की जाती।

3. राज्य सरकार के मुख्य राजस्व का स्रोत बिक्री कर है लेकिन बिक्री कर की वसूली में भी भ्रष्टाचार एवं चोरियाँ शामिल या व्याप्त हैं। इसी प्रकार से राज्य सरकारों ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किया है। जैसे पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाये तो इससे राज्यों की आय बढ़ सकती है लेकिन बहुत कम राज्यों ने पर्यटन क्षेत्र का विकास में वित्तीय अनुशासन का अभाव पाया जाता है। सामान्यतः राज्य सरकारों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक होता है। इन सभी कारणों से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है।

### पश्चिम बंगाल सरकार का मसविदा (1978)

1. राज्य सरकार एवं केन्द्रसरकार की शक्तियों के बंटवारे का पुननिरीक्षण किया जाये, संशोधित किया जाये एवं यदि आवश्यक हो तो संविधान संशोधन के माध्यम से स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाये।
2. केन्द्र सरकार की शक्तियाँ केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, विदेशी व्यापार, संचार, मुद्रा एवं आर्थिक समन्वयन तक सीमित होना चाहिए। अन्य सभी शक्तियाँ राज्यों को स्थानांतरित कर देना चाहिए।
3. योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
4. केन्द्र सरकार द्वारा वसूल किया गया कुल राजस्व का 75 प्रतिशत भाग स्वतः आधार पर राज्यों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

### सरकारिया आयोग का केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध के विषय में सुझाव

1. केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध के वर्तमान ढाँचे में किसी आमूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
2. निगम कर को विभाजनशील कर में शामिल किया जाना चाहिए।
3. केन्द्र सरकार को आयकर पर अधिभार नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे राज्यों को राजस्व हानि होती है।
4. योजना आयोग एवं वित्त आयोग के कार्य से सम्बन्धित वर्तमान व्यवस्था सही है एवं इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
5. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार वित्तीय रूप में मजबूत हो।

### भारत में केन्द्र से राज्यों की ओर हस्तांतरण के तीन रास्ते हैं -

1. अनुच्छेद 280 में नियुक्त वित्त आयोग द्वारा किया जाने वाला संवैधानिक हस्तान्तरण तथा 275 के अन्तर्गत अनुदान।
2. योजना आयोग द्वारा योजनाओं के माध्यम से किया गया हस्तान्तरण ( अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत, 30 से 35 प्रतिशत हस्तांतरण)।

## 3. केन्द्र समर्थित स्कीम तथा स्वैच्छ हस्तांतरण हस्तान्तरण ।

**3.5 वित्त आयोग तथा वित्तीय हस्तान्तरण (Finance Commission and Financial Transfer)**

संविधान के अनुच्छेद 280 (1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात या यदि आवश्यक हो तो पहले भी केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों की समीक्षा के लिए वित्त आयोग गठित किया जायेगा। 280 (3) के अन्तर्गत वित्त आयोग निम्नांकित विषयों से सम्बन्धित संस्तुति राष्ट्रपति को देगा ।

1. संविधान के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले या वितरित किये जा सकने वाले करों के निबल प्राप्ति के बंटवारे के सम्बन्ध में संस्तुति करना।
2. भारतीय संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धान्त को तय करना।
3. वित्तीय सम्बन्धों के अन्य किसी मामलों में राष्ट्रपति को अपने सुझाव प्रस्तुत करना ।

तालिका 3 1.तेरह वित्त आयोगों की रिपोर्ट

वित्त आयोग का नाम	अध्यक्ष	रिपोर्ट प्रस्तुति का वर्ष	संस्तुति लागू होने की अवधि
प्रथम वित्त आयोग	के. सी. नियोगी	1952	1952-57
द्वितीय वित्त आयोग	के. सन्थानम्	1957	1957-62
तृतीय वित्त आयोग	ए.के. चन्द्रा	1961	1962-66
चतुर्थ वित्त आयोग	पी. के. राजमन्नर	1965	1966-69
पंचम वित्त आयोग	महावीर त्यागी	1969	1969-74
छठवाँ वित्त आयोग	के. ब्रह्मानन्द रेड्डी	1973	1974-79
सातवाँ वित्त आयोग	जे.एम. शेलट	1978	1979-84
आठवाँ वित्त आयोग	वाई. वी. चाव्हाण	1984	1984-89
नवाँ वित्त आयोग	एन. के. पी. साल्वे	1988 एवं 1989	1989-90 एवं 1990-95
दसवाँ वित्त आयोग	के. सी. पन्त	1994	1995-00
ग्यारहवाँ वित्त आयोग	ए. एम. खुशरो	2000	2000-05
बारहवाँ वित्त आयोग	सी. रंगराजन	2004	2005-10
तेरहवाँ वित्त आयोग	विजय केलकर	2007	2010-15

तालिका 3 :2.वित्त आयोगों की सिफारिशों पर केन्द्र से राज्यों को अंतरण (करोड़ रुपये)

वित्त आयोग का नाम	कर अंतरण	अनुदान	कुल
प्रथम वित्त आयोग	371.30	50.00	421.30
द्वितीय वित्त आयोग	822.40	197.20	1,019.60
तृतीय वित्त आयोग	1,067.50	250.40	1,317.90
चतुर्थ वित्त आयोग	1,328.00	421.80	1,749.90
पंचम वित्त आयोग	4,643.00	710.70	5,353.80
छठवाँ वित्त आयोग	8,250.60	2,509.60	10,760.20
सातवाँ वित्त आयोग	19,297.10	1,609.90	20,907.00
आठवाँ वित्त आयोग	35,683.00	3,769.00	39,452.00
नवाँ वित्त आयोग	11,785.64	1,876.78	13,662.42
	87,882.00	18,154.43	1,06,036.43
दसवाँ वित्त आयोग	2,06,343.00	20,300.30	2,26,643.30
ग्यारहवाँ वित्त आयोग	3,76,318.01	5,8587.39	4,34,905.40
बारहवाँ वित्त आयोग	6,43,112.02	1,12,639.60	7,55,751.62
तेरहवाँ वित्त आयोग	1,44,8096.00	3,18,580.00	1,76,6676.00

तालिका 3.3 राज्यों के हिस्सा निर्धारण के सम्बन्ध में प्रयुक्त भार

कसौटी	वित्त आयोग		
	10	11	12
जनसंख्या	20%	10%	25%
आय की दूरी	60%	62.5%	50%
कर प्रयास	10%	5%	7.5%

अवस्थापना	5%	7.5%	--
क्षेत्रफल	5%	7.5%	10%
राजकोषीय अनुशासन	-	7.5%	7.5%

12वीं वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त प्रति व्यक्ति आय दूरी कसौटी जिसे प्रति व्यक्ति के आधार पर नापते हैं, 13वें आयोग के अनुसार वास्तव में विभिन्न राज्यों के बीच कर क्षमता में दूरी प्रदर्शित करता है। वस्तुतः दोनों एक हैं। 13वें वित्त आयोग ने कर देय क्षमता अन्तर या राजकोषीय क्षमता अन्तर को कसौटी के रूप में लिया है।

#### 13वें वित्त आयोग ने निम्नांकित कसौटी चुनी है

राज्य जनसंख्या	25%
राज्य क्षेत्रफल	10%
राजकोषीय क्षमता दरी	47.5%
राजकोषीय अनुशासन	17.5%

#### दसवां वित्त आयोग तथा राजस्व प्राप्ति के बंटवारे की वैकल्पिक योजना

दसवें वित्त आयोग ने प्रस्तावित किया कि केन्द्र के कुल राजस्व का 29 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाना चाहिए और इसके लिए यथोचित संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। 29 प्रतिशत करने का आधार है-

1. 1979-95 के बीच जो आयकर, उत्पाद शुल्क तथा रेलयात्री भाड़े कर के बदले अनुदान का भाग राज्यों को हस्तांतरित किया गया, कुल केन्द्रीय राजस्व प्राप्ति का करीब 24 प्रतिशत था।
2. अनुच्छेद 268 तथा 269 में संशोधन के परिणामस्वरूप कर वसूली क्षमता की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे 2 प्रतिशत और बढ़ाना युक्तिसंगत होगा (24+2=26)
3. 1979-95 के बीच अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में राज्यों का हिस्सा केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 3 प्रतिशत रहा (24 + 2 + 3 = 29)। अतः 29 प्रतिशत तक केन्द्रीय राजस्व प्राप्ति का राज्यों को हस्तान्तरण उचित है। केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग की वैकल्पिक योजना को 1997 को स्वीकार कर लिया। आयोग ने यह माना कि वैकल्पिक योजना के लागू होने के बाद ऐसे करों की उत्प्लावकता के परिणामस्वरूप राज्य लाभान्वित होंगे जो अब तक विभाजन योग्य नहीं थे। जैसे-निगम कर।

11 वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि 29.5% (28% + 1.5%) राज्यों के बीच आवंटित कर दिया जाया पर आयोग ने यह भी संस्तुति की कि यदि कोई राज्य चीनी टेक्सटाइल तथा तम्बाकू पर बिक्री कर लगाता है तथा उसकी वसूली करता है तो उसे 1.5% में हिस्सा नहीं प्राप्त होगा। 7वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय करों/ शुल्कों, सहायता अनुदानों और योजना अनुदानों के अन्तरण की कुल राशि की सांकेतिक सीमा, केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्त के 37.5 प्रतिशत पर निर्धारित होनी चाहिए। आयोग ने 35,359 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान की सिफारिश की जो उन राज्यों को दिया जायेगा जहाँ केन्द्रीय कर राजस्व के अन्तरण के बाद भी योजनेत्तर राजस्व खाते में घाटा रह जाएगा।

12वें वित्त आयोग ने संस्तुति की कि केन्द्रीय करों की निबल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 30.5 प्रतिशत होगा। बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय करों के सामान्य पूल के भाग के रूप में लिया जाए। ऐसे राज्य जो चीनी, वस्त्र एवं तम्बाकू पर बिक्री कर लगाये यह 30.5 प्रतिशत न होकर 29.5 प्रतिशत होगा। केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्ति का अधिक से अधिक 38 प्रतिशत कुल हस्तान्तरण राज्यों को होगा।

आवंटनीय कर राजस्व पूल में सर्वाधिक हिस्सा पाने वाले राज्य क्रमशः हैं- उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश कुल हस्तान्तरण की दृष्टि से सर्वाधिक राशि पाने वाले राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश समानीकरण अनुदान जिसको वित्त आयोग ने दो आधारभूत मेरिट वस्तुओं शिक्षा तथा स्वास्थ्य के सन्दर्भ में लिया है, मानक प्रत्यागम की दिशा में ठोस कदम है। यह धारणा आयोग ने आस्टेलियन फेडरेशन से लिया है। इससे ऐसे राज्य जो शिक्षा तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, लाभान्वित होंगे। इससे पिछड़े राज्यों की ओर अन्तरण में वृद्धि आयी है। केन्द्र सरकार उन कमजोर राज्यों जो बाजार से निधियाँ उठाने में असमर्थ हैं, को छोड़कर राज्यों को भविष्य में उधार देने के लिए मध्यवर्ती के रूप में कार्य नहीं करेगी। राज्यों को विदेशी सहायता का अन्तरण उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर दिया जायेगा जो विदेशी एजेन्सियों द्वारा इसके लिए निर्धारित हैं। सभी राज्य ऋणों के परिशोधन के लिए ऋण शोधन निधियों की स्थापना करें। राज्यों के राजस्व घाटे कम करने से जुड़ी ऋण माफी योजना प्रारम्भ की जाये। तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में से 32 प्रतिशत हस्तान्तरण की सिफारिश की है तथा केन्द्र सरकार के सकल राजस्व प्राप्ति से राज्यों को हस्तान्तरित किये जाने वाले राजस्व की ऊपरी सीमा को 39.5 प्रतिशत कर दिया गया। यह सोचा गया कि समानीकरण ग्रांट के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कुछ और मद लिये जायेंगे जैसे अवस्थापना किन्तु 13वें वित्त आयोग ने ऐसा नहीं किया और उसे शिक्षा और स्वास्थ्य तक ही सीमित रखा। चक्रीय मध्यमकालीन राजकोषीय योजना 13वें वित्त आयोग की अपनी मौलिक उद्भावना है। सरकार मध्यमकालीन राजकोषीय योजना लाये जिसमें राजस्व तथा व्यय का आने वाले तीन वर्षों का अनुमान हो, जिसमें राजस्व तथा व्यय का आने वाले महत्वपूर्ण तथा बड़ी मदों का विस्तृत विवरण हो तथा इसका उल्लेख हो कि उनमें क्या- क्या चीजें आती हैं तथा उनके सम्बन्ध में दिया गया अनुमान किस प्रकार प्राप्त हुआ है। इसके बाद सरकार हर अगले वर्ष में MTFP की समयावधि 1 वर्ष से बढ़ा सकती है तथा दूसरे वर्ष के लिए नये अनुमान दे सकती है। प्रथम वर्ष के अनुमान बजट अनुमान में परिवर्तित कर दिये जायेंगे। इस प्रकार सरकार भविष्य के लिए त्रिवर्षीय रोडमैप प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार MTFP तथा वार्षिक बजट में समन्वय स्थापित रहेगा।

### 3.6 साधन अंतरण के अन्त स्रोत (Internal source of resource transfer)

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र से राज्यों को साधन अंतरण के अलावा दो अन्य आधार हैं -

1. योजना आयोग की सिफारिशों पर योजना के लिए सहायता
2. केन्द्र से राज्यों को विवेकाधीन अनुदान

योजनाबद्ध सहायता बुनियादी तौर पर राज्यों को विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई है। यद्यपि योजना आयोग के पास कोई सांख्यिक अधिकार नहीं है जिसके अन्तर्गत वह केन्द्र से राज्यों को वित्तीय साधनों के अन्तरण की सिफारिश करे, लेकिन फिर भी वह वित्त आयोग की तरह कार्य करते हुए केन्द्र से राज्यों को साधन अंतरण के लिए निरन्तर सिफारिश करता रहा है। योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वित्त आयोग की तुलना में केन्द्र से राज्यों को साधनों का कहीं ज्यादा अंतरण हुआ है। आयोजन काल में केन्द्र से राज्यों को साधनों के अन्तरण में लगातार वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों के कुल व्ययों में इन अन्तरणों का भाग प्रायः 35 से 45 प्रतिशत रहा है जो राज्यों की केन्द्र सरकार पर निर्भरता का द्योतक है। आयोजन अनुदान किस आधार पर राज्यों के बीच बांटा जाय, इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल फार्मुला स्वीकार किया गया जिसके अनुसार-

1. 60 प्रतिशत राशि जनसंख्या के आधार पर |
2. 10 प्रतिशत कर प्रयास के आधार पर |
3. 10 प्रतिशत चलने वाली सिंचाई तथा पावर की परियोजनाओं के आधार पर |
4. 10 प्रतिशत राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जिसे उन राज्यों में वितरित किया जायेगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम हो 10 प्रतिशत राशि राज्यों में विशेष समस्याओं के आधार पर इस प्रकार हस्तान्तरण मुख्यतया पूंजीगत हस्तान्तरण होगा। इस फार्मुले का प्रयोग चौथी तथा पाँचवी योजना में हुआ। 1980 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक परिवर्तित गाडगिल फार्मुला स्वीकार किया जिसके अनुसार उन राज्यों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है अन्तरण का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इसका प्रयोग राज्यों को छठी तथा सातवीं योजनाओं में तथा 1990-91 में योजना सहायता निर्धारित करने के लिए किया गया। 1990 में संशोधित फार्मुला स्वीकार किया गया। योजनाबद्ध सहायता का 55 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर, 25 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, 5 प्रतिशत राजकोषीय प्रबन्धन के आधार पर तथा 15 प्रतिशत विशिष्ट विकास समस्याओं के आधार पर। इसका प्रयोग केवल 1991-92 में योजना सहायता के वितरण के लिए किया गया।

1991 में नया फार्मुला प्रणव मुखर्जी फार्मुला लागू किया गया जिसके अनुसार

- 60 प्रतिशत 1991 की जनसंख्या के आधार पर |
- 25 प्रतिशत प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर |
- 7.5 प्रतिशत कर प्रयासों तथा राजकोषीय प्रबन्धन के आधार पर |
- 7.5 प्रतिशत विशिष्ट समस्याओं के आधार पर आठवीं योजना में इसी आधार पर बंटवारा हुआ।

1996 में प्रणव मुखर्जी फार्मुला में संशोधन किया गया जिसके अनुसार

- जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत
- प्रति व्यक्ति आय आधार पर 20 प्रतिशत
- कर प्रयास आधार पर 10 प्रतिशत

- विशिष्ट समस्याओं के आधार पर 10 प्रतिशत यही फार्मूला वर्तमान में लागू है।

### 3.7 भारत में संघीय वित्त में सुधार हेतु सुझाव सुझाव (Suggestions for improving federal finances in India)

1. विवेकाधीन अनुदानों से सम्बन्धित मनमाने ढंग से निर्णय लेने का केन्द्र का अधिकार समाप्त करना चाहिए जिससे केन्द्र के प्रति राज्यों का सन्देह कम हो सके।
2. कुछ राज्यों ने मांग की है कि वित्त आयोग पाँच वर्षों में एक बार गठित होने के बजाय स्थायी रूप से गठित होना चाहिए। हर पाँचवें साल गठित होने पर वित्त आयोग को हर बार नए सिरे से काम शुरू करना पड़ता है। आठवें और दसवें वित्त आयोग ने वित्त मंत्रालय के अधीन स्थायी वित्त आयोग विभाग बनाने का सुझाव दिया जिसके निम्नांकित कार्य हों -
  - ❖ वित्त आयोग के सुझावों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना।
  - ❖ राज्य सरकारों की प्राप्तियों और गैर योजना व्यय पर नजर रखना।-
  - ❖ प्रशासन व्यवस्था में सुधार के लिए दिए गए अनुदानों के प्रयोग पर नजर रखना।
  - ❖ राज्य वित्त पर अनुसंधान कराना तथा उनसे सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्रित व प्रकाशित करना।
  - ❖ पिछले वित्त आयोगों के रिकार्ड सम्भाल कर रखना और ऐसी जानकारी एकत्रित करना जो भविष्य के आयोगों के लिए उपयोगी हो।
3. केन्द्र से राज्यों को साधन अन्तरण के लिए ऐसे मानदण्ड अपनाना जिससे पिछड़े राज्यों को ज्यादा साधन मिले।

### 3.8 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

सही उत्तर चुनो

1. भारत में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है?
 

(क) संघीय वित्त व्यवस्था	(ख) स्वतंत्र वित्त व्यवस्था
(ख) स्थानीय वित्त व्यवस्था	(घ) इनमें से कोई नहीं
2. वैधानिक हस्तांतरण में किन वित्तीय साधनों को सम्मिलित किया जाता है?
 

(क) केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा
(ख) राज्यों को दिये जाने वाले सहायतार्थ अनुदान
(ग) उपर्युक्त दोनों
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. केन्द्र से राज्यों को वित्तीय साधनों का हस्तांतरण निम्नलिखित प्रकार का होता है?
 

(क) वैधानिक हस्तान्तरण	(ख) योजना हस्तान्तरण
(ग) ऐच्छिक हस्तान्तरण	(घ) उपर्युक्त सभी

4. योजना हस्तांतरण किसके द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं?  
 क) वित्त आयोग (ख) योजना आयोग  
 (ग) उपर्युक्त दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं
5. राज्यों के लिए राजस्व के मुख्य साधन क्या हैं?  
 (क) राज्य सरकारों द्वारा लगाये गए कर एवं शुल्क  
 (ख) केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये करों में राज्यों का हिस्सा  
 (ग) केन्द्र से मिलने वाले अनुदान  
 (घ) उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थान भरो-

1. समानीकरण अनुदान वित्त आयोग ने दो मेरिट वस्तुओं ..... और .....के सन्दर्भ में लिया है।
2. तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार के सकल राजस्व प्राप्त से राज्यों को हस्तान्तरित किये जाने वाले राजस्व की ऊपरी सीमा ..... प्रतिशत तय की है।
3. चक्रीय मध्यमकालीन राजकोषीय योजना..... वित्त आयोग की अपनी मौखिक उद्घावना है।
4. आयोजन अनुदान इस समय ..... फार्मूला के आधार पर दिया जाता है।
5. वित्त आयोग के गठन का संविधान में प्रावधान अनुच्छेद .....के अंतर्गत है।

### 3.9 सारांश (Summary)

इस इकाई में हमने यह जाना कि भारत में संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया गया। केन्द्र सरकार को साधन के वे स्रोत दिये गये जिनकी लोचशीलता और प्रफुल्लता अधिक है जबकि राज्य सरकारों के कार्य ऐसे हैं कि जिनमें खर्च अधिक है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को वित्त आयोग और योजना आयोग के माध्यम से अंतरण करती है। केन्द्र से राज्यों को कर- विभाजन के द्वारा साधन अन्तरण की व्यवस्था है इसके अलावा राज्यों के राजस्व और व्यय के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए संविधान की धारा 275 और 282 के अन्तर्गत केन्द्र से राज्यों को सहायक अनुदान की व्यवस्था है। यदि कर विभाजन और सहायक अनुदान द्वारा भी राज्य सरकारें अपने व्यय और राजस्व के बीच अन्तर को पूरा नहीं कर पाती तो वे संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत केन्द्र से ऋण ले सकती है। इन कारणों से राज्य सरकारों की केन्द्र सरकार पर निर्भरता अधिक है। अभी तक 12 वित्त आयोग काम कर चुके हैं इस समय तेरहवां वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर केन्द्र राज्य वित्तीय व्यवस्था चल रही है। दसवें वित्त आयोग ने राजस्व प्राप्ति के बंटवारे की वैकल्पिक योजना संस्तुति की थी जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर ली और आगे के वित्त आयोग ने उसका ध्यान रखते हुए अंतरण किया है जिससे राज्यों के साधन उत्प्लावकता/प्रफुल्लता में वृद्धि हुई है क्योंकि राज्यों को ऐसे करों में भी हिस्सा मिल रहा है जो दसवें वित्त आयोग की सिफारिश से पहले विभाजन योग्य नहीं थे जैसे निगम कर। योजना आयोग के माध्यम से भी केन्द्र से राज्यों को साधन अन्तरण होता है, जो निरन्तर योजनाओं के साथ बढ़ता जा रहा है।

### 3.10 शब्दावली (Glossary)

- ❖ उत्पाद शुल्क - देश के अन्दर निर्मित वस्तुओं के उत्पादन बिन्दु पर ही लगाया गया कर उत्पाद शुल्क होता है।
- ❖ निगम कर - कम्पनियों के मुनाफे पर लगाया गया कर।
- ❖ राजकोषीय अनुशासन - राजस्व की राशि को देखते हुए व्यय पर नियंत्रण योजना व्यय- वह सार्वजनिक व्यय जो विकास और निवेश के विभिन्न योजना प्रस्तावों के अनुसार किया जाता है।
- ❖ अधिभार कर पर कर लगाना।
- ❖ GDSP- Gross Domestic State Product सकल घरेलू राज्य उत्पाद।
- ❖ ऋण शोधन ऋण वापस करने का तरीका।

### 3.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

सही उत्तर चुनो

1. क 2. क 3. घ 4. ख 5. घ

रिक्त स्थान भरो

1. शिक्षा, स्वास्थ्य 2. 39.5 3. तेरहवें 4. संशोधित प्रणव मुखर्जी 5. 280

### 3.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- दत्त, रूद्र एवं के. पी. एम. सुन्दरम (2010) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली।
- लाल एस.एन. एवं एस. के. लाल (2010) लोक वित्त तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
- लाल एस. एन. एवं एस. के. लाल (2010) भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, शिवम् पब्लिशर्स, इलाहाबाद।
- मिश्र एस. के. एवं वी. के. पुरी (2008) भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस।

### 3.13 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- भारतीय अर्थव्यवस्था (2010) प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, आगरा
- Eleventh Five Year Plan (2007-2012), Planning Commission,
- Government of India, New Delhi
- Report of Tenth Finance Commission (1995) Government of India, New Delhi
- Report of Eleventh Finance Commission (2000) Government of India, New Delhi.
- Report of Twelfth Finance Commission (2000) Government of India, New Delhi.

### 1.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. केन्द्र राज्य वित्त सम्बन्धों के तनाव क्षेत्र की समीक्षा कीजिए ?
2. भारत में केन्द्र से राज्यों की ओर हस्तान्तरण के क्या माध्यम हैं?

---

## इकाई - 4 योजनाओं का वित्तीयन ( Financing of schemes)

---

- 4.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 4.2 उद्देश्य (Objectives)
- 4.3 योजनाओं के वित्त के स्रोत (Sources of finance for schemes)
  - 4.3.1 चालू राजस्व से अतिरिक्त अथवा चालू राजस्व का चालू व्यय पर अतिरिक्त (Surplus over current revenue or excess of current revenue over current expenditure)
  - 4.3.2 सरकारी उद्यमों का योगदान (Contribution of Government Enterprises)
  - 4.3.3 गैर सरकारी देशीय बचत (Non-government domestic savings)
  - 4.3.4 अतिरिक्त साधन गतिमान (Extra resources in operation)
  - 4.3.5 घाटे का वित्त प्रबन्धन / न्यून वित्त प्रबन्धन (Deficit financial management / poor financial management)
  - 4.3.6 विदेशी सहायता (Foreign aid)
  - 4.3.7 नौवीं योजना का वित्त प्रबन्धन (Financial Management of Ninth Plan)
  - 4.3.8 दसवीं योजना वित्तीयन (Tenth plan financing)
  - 4.3.9 ग्यारहवीं योजना का वित्त प्रबन्धन (Financial management of eleventh plan)
- 4.4 योजना वित्त प्रबन्धन के विभिन्न स्रोतों के गुण एवं दोष (Merits and demerits of various sources of plan finance management)
- 4.5 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 4.6 सारांश (Summary)
- 4.7 शब्दावली (Glossary)
- 4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 4.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
  - 4.10 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 4.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

## 4.1 प्रस्तावना (Introduction)

इससे पहले की इकाईयों में हमने जानकारी पाई कि भारत में योजना का इतिहास क्या रहा, उसके प्रकार, नियोजन की प्रासंगिकता, योजना निर्माण प्रक्रिया, पहली से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं तक की उपलब्धियां क्या रहीं। इकाई 3 में हमने केन्द्र राज्य सम्बन्धों को समझा और जाना कि किस प्रकार केन्द्र सरकार असंतुलन को दूर करने के योजना आयोग से केन्द्र से राज्यों को अंतरण करती है और उसका आधार क्या हैं इस इकाई में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि योजनाओं के लिए विविध वित्तीय साधन कौन से उपलब्ध हैं और भारत सरकार ने योजनाकाल में किन साधनों का कब और कितनी मात्रा तक उपयोग किया। अन्त में आप जानेंगे कि विभिन्न वित्तीय स्रोतों के गुण एवं दोष क्या हैं? भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विकास की काफी सम्भावनाएं रहती है, हमारे आयोजक आन्तरिक और वाह्य वित्तीय स्रोतों का इस्तेमाल कर विकासात्मक योजनागत व्यय करने की कोशिश करते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को धक्का दिया जा सके कि वह तेजी से विकास करे। किसी भी योजना की सफलता के लिए यह जरूरी है कि उसके लक्ष्यों और वित्तीय साधनों में तालमेल हो। सरकार को वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते ही योजना के लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बिना तालमेल बिठाए लक्ष्य तय करने से सरकार को मुँह की खानी पड़ सकती है।

## 4.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- ✓ इस इकाई का उद्देश्य योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक वित्त के स्रोतों को जानना।
- ✓ क्या ये वित्त के स्रोत पर्याप्त है विकास योजनाओं के लिए।
- ✓ हमारे आयोजक कहाँ तक सफल हुए है योजना के लिए वित्तीय प्रक्षेपण करने और उन्हें वास्तविकता में प्राप्त करने में।
- ✓ योजना वित्तीय स्रोतों के गुण एवं दोष क्या है।

## 4.3 योजनाओं के वित्त के स्रोत (Sources of finance for schemes)

देश में आर्थिक विकास के लिए ऊँचे लक्ष्यों के साथ उन तक पहुंचने के लिए सुदृढ़ वित्त व्यवस्था की आवश्यकता होती है। सरकार को उपलब्ध वित्त के साधन को तीन वर्गों में बांट सकते हैं .

1. देशी बजट के स्रोत

2. विदेशी सहायता
3. न्यून वित्त व्यवस्था (घाटे की वित्त व्यवस्था)

देशीय बजट के अन्तर्गत वे स्रोत आते हैं जो सरकार देश में ही एकत्र करती है।

#### **4.3.1 चालू राजस्व से अतिरेक अथवा चालू राजस्व का चालू व्यय पर अतिरेक (Surplus over current revenue or excess of current revenue over current expenditure)**

जब सरकार की चालू राजस्व प्राप्तियाँ चालू राजस्व व्यय से अधिक हो तो सरकार को चालू राजस्व में आधिक्य के रूप में वित्त साधन उपलब्ध होते हैं। यदि चालू प्राप्तियाँ उसके चालू व्यय से कम हो तो घाटा होगा और चालू राजस्व शेष ऋणात्मक होगा। सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ कर और गैर-कर स्रोतों से होती है। कर के माध्यम से भारत की केन्द्र सरकार को 60 से 80 प्रतिशत प्राप्तियाँ उपलब्ध होती है। जैसे-जैसे देश में विकास प्रक्रिया गति पकड़ती है वैसे-वैसे लोक व्यय में बढोत्तरी होती है यदि राजस्व प्राप्तियाँ उसी गति से नहीं बढ़ती जिस प्रकार से लोक व्यय बढ़ता है तो चालू खाते में घाटा आयेगा। पहली योजना में इस मद से 25 प्रतिशत की सीमा तक वित्तीय साधन जुटाए गए। परन्तु अगली तीन योजनाओं (दूसरी, तीसरी और चौथी) में इस मद से उपलब्धि ऋणात्मक रही। इससे यह जाहिर होता है कि सरकार व्यय को नियंत्रित नहीं कर पायी और चालू खाते में अतिरेक बनाये रखने के बजाय, सरकार शुद्ध घाटे का बजट बनाने लगी। चालू व्यय सीमित न कर पाने के प्रमुख कारण थे कीमतों की स्फीतिकारी वृद्धि परिणामतः महंगाई भत्ते और अन्य भुगतानों में वृद्धि। साथ ही साथ प्रतिरक्षा व्यय और ब्याज भुगतान में वृद्धि हुई। पाँचवी योजना में दिखाया गया अतिरेक वास्तविक अतिरेक नहीं था किन्तु वह प्रत्याशित अतिरेक था। छठी योजना में चालू राजस्व से 14,480 करोड़ रुपये (14.9 प्रतिशत) प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया परन्तु इस स्रोत से केवल 1,890 करोड़ (1.7 प्रतिशत) प्राप्त हो सका। सातवीं और आठवीं योजना में इससे नकारात्मक अतिरेक मिला। इसकी वजह थी मंत्रालयों एवं विभागों में तेज वृद्धि एवं सरकारी कर्मचारियों की बेरोकटोक वृद्धि और उनके वेतन में काफी वृद्धि होना। नौवीं योजना में भी चालू राजस्व से प्राप्ति ऋणात्मक थी। केन्द्र की चालू राजस्व से प्राप्ति -1,56,790 करोड़ रुपये और राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्राप्ति - 1,06,962 करोड़ रुपये रही अर्थात् कुल- 2,63,752 करोड़ रुपये (1996-97 की कीमतों पर) दसवीं योजना के लिए चालू राजस्व से अधिशेष केन्द्र - 6,385 करोड़ रुपये अर्थात् नकारात्मक होगा। राज्यों द्वारा चालू राजस्व में अधिशेष 26,578 करोड़ रुपये या कुल का 4.0 प्रतिशत प्राप्त होगा। यदि केन्द्र एवं राज्यों को जोड़ लें तो चालू राजस्व से अधिशेष 20, 193 करोड़ रुपये या कुल का 1.3 प्रतिशत प्राप्त होगा किन्तु

दसवीं योजना की प्राप्ति चालू राजस्व अधिशेष से केन्द्र की- 1,27,166 राज्यों का- 31,723 और कुल 1,58,888 यानि नकारात्मक रहा। ग्यारहवीं योजना के प्रक्षेपण केन्द्र के लिए चालू राजस्व अधिशेष से 6,53,989, राज्यों से 3,85,050 और कुल 10,39,039 है।

#### 4.3.2 सरकारी उद्यमों का योगदान (Contribution of Government Enterprises)

इस मद से अधिक साधन नहीं प्राप्त हुए हैं किन्तु धीरे-धीरे सरकारी उद्यमों का योगदान बढ़ रहा है। सरकारी उद्यमों का योगदान योजना लक्ष्यों से हमेशा कम रहा है। कई सरकारी उद्यम घाटे पर चल रहे हैं और रेलवे, डाक एवं तार जैसे विभागीय उद्यमों का योगदान नाममात्र रहा है जो उद्यम सरकार को मुनाफा दे रहे हैं वे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और अन्य बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थान शामिल हैं और कुछ वाणिज्यिक उद्यम जैसे इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। राज्यीय उद्यम पूरी योजनावधि में घाटे पर चल रहे हैं। जैसे- राज्य बिजली बोर्ड एवं राज्य परिवहन निगम और इनमें संचयी घाटे एकत्रित होते गए। पहली दूसरी योजना में 48 इकाईयाँ स्थापित हो चुकी थी और ये सब बड़ी एवं पूंजी प्रधान थीं। अतः पहली दो योजनाओं में इस स्रोत से धन प्राप्ति की आशा नहीं की गई। केवल रेलों से इस दौरान 382 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। तीसरी योजना में रेलों से योगदान कम रहा। 1966-74 तक रेलों को 277 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसमें लगातार घाटे का कारण है-

1. सड़क यातायात से उत्पन्न प्रतियोगिता की वजह से रेलों को आशा के अनुकूल टैफिक नहीं मिला।
2. कोयले की कीमतों में बढ़ोत्तरी और कर्मचारियों को अन्तरिम आर्थिक सहायता देने से रेलों का कार्य संचालन बढ़ गया। छठी योजना में थोड़ा सुधार हुआ और रेलों का घाटा कम होकर 274 करोड़ रुपये हो गया। रेलों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों के अन्य उपक्रमों से पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए पूंजी प्राप्त हुई। फिर भी सार्वजनिक उपक्रमों का आधिक्य आशा से कम रहा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी सार्वजनिक उपक्रमों का आधिक्य थोड़ा ही था। योजना आयोग के अनुसार इसका कारण था इस्पात उर्वरक आदि उद्योगों की उत्पादन की दृष्टि से असफलता, मजदूरी, कच्चे माल और पूंजीगत उपकरणों की कीमतों में वृद्धि, श्रम विवाद, बिक्री में कमी के कारण तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि जिसके कारण सार्वजनिक उद्योगों से प्रत्याशित लाभ नहीं मिला। यू0 शंकर के मतानुसार सार्वजनिक उपक्रमों में लाभ की दर निम्न होने के कारण हैं -

1. सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित माल के सन्दर्भ में सरकार की मूल्य नीति |

2. औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाना |
3. संगठनात्मक कार्यकुशलता का नीचा स्तर |

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उपक्रमों के आधिक्य के रूप में केवल 6.3 प्रतिशत वित्तीय साधन उपलब्ध हुए जो छठी योजना में 5.2 प्रतिशत ही रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उपक्रमों की निष्पत्ति के बावजूद उनसे 35,485 करोड़ रुपये प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया किन्तु यह केवल 24,394 करोड़ रुपये रहा। आठवीं योजना में सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान अच्छा रहा। इस स्रोत से आठवीं योजना के लिए 34.2 प्रतिशत वित्तीय साधनों की प्राप्ति हुई। नौवीं योजना में इस मद से 39.8 प्रतिशत वित्तीय साधनों की प्राप्ति हुई। केन्द्र से 2,28,795 यानि 56.3 प्रतिशत एवं राज्यों से 52,107 (17.4 प्रतिशत) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रक्षेपण सार्वजनिक उपक्रमों से 5,98,240 (37.6 प्रतिशत) साधन जुटाये जा सकेंगे। केन्द्र के सन्दर्भ में यह राशि 5,15,556 करोड़ रुपये यानि 56.0 प्रतिशत और राज्यों से 82,684 करोड़ रुपये (8.3 प्रतिशत) साधन सार्वजनिक उपक्रमों से जुटाये जा सकेंगे। दसवीं योजना में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त कुल राशि 5,77,533 (34.9 प्रतिशत) रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह 11,88,534 (32.6 प्रतिशत) प्रक्षेपित है।

#### 4.3.3 गैर सरकारी देशीय बचत (Non-government domestic savings)

विकास योजनाओं के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था की दृष्टि से गैर सरकारी बचतों के दो अंगों बाजार ऋणों और छोटी बचतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहली योजना में इससे कुल साधनों का एक तिहाई जुटाया जा सका किन्तु अगली दो योजनाओं में इसका महत्व थोड़ा कम हो गया और विदेशी सहायता तथा न्यून वित्त प्रबन्धन पर अधिक निर्भरता हो गई। चौथी योजना में इस स्रोत से कुल साधनों का 40 प्रतिशत प्राप्त किया जा सका। छठी योजना में सरकार 36,400 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विपरीत 45,930 करोड़ रुपये इस मद से प्राप्त करने में सफल रही। सातवीं और आठवीं योजना में योजना वित्त के इस स्रोत का महत्व बढ़ा क्योंकि सरकार को मजबूत बन्दी बाजार उपलब्ध है जो किसी भी हद तक की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक पूर्वोपायी कोष के रूप में किसी भी हद तक राशि की पूर्ति कर सकता है और राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की वजह से जनता के सभी वर्गों में बचत करने की क्षमता और इच्छा दोनों बढ़ी हैं और सरकार विभिन्न माध्यमों से बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। नौवीं

योजना में उधार जिसमें शुद्ध विविध पूँजी प्राप्तियाँ शामिल हैं केन्द्र की वास्तविक प्राप्ति 4,55,624, राज्यों की 2,15,592 और कुल 6,71,216 करोड़ रुपये रहा। चालू राजस्व में गम्भीर घाटे के कारण सरकार द्वारा बाजार उधार के रूप में 4,60,179 करोड़ के प्रक्षेपण के विरुद्ध 6,71,216 करोड़ रुपये का उधार लेना पड़ा जो कुल गतिमान किये गये संसाधनों का 95 प्रतिशत था। दसवीं योजनामें इस मद कुल प्राप्तियाँ 8,22,161 करोड़ रुपये थीं। ग्यारहवीं योजना के प्रक्षेपण में 14,17,145 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। से रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वैधानिक तरलता अनुपात के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए इन प्रतिभूतियों में वैध रूप से आवश्यक निवेश भारत में सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों को प्रभावित करते हैं। इस विधि से साधन जुटाने का दोष है कि इन ऋणों का सेवाभार समय के साथ बढ़ता जाता है। फलस्वरूप बजट में भारी घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अध्ययन बताते हैं कि बड़ी मात्रा में ऋण लिये जाने से राजकोषीय गड़बड़ी पैदा हो जाती है। सरकार बजट में उत्पन्न घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से उधार लेती है। साथ ही साथ बाजार से भी ऋण लेती है जिसकी वजह से सरकार ऋण जाल की स्थिति में फंसती गई। सरकार को ऋण मुख्यतया व्यापारिक बैंकों, जीवन बीमा निगम और भविष्य निधि के माध्यम से प्राप्त होता है। इन संस्थाओं के वित्तीय साधनों में तीव्र वृद्धि हुई है। राजा जे. चिलैया के अनुसार वर्तमान राजकोषीय संकट का कारण चालू व्यय, चालू राजस्व से अधिक होने के साथ ऋण से किया जाने वाले पूँजीगत व्यय से पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिला है अन्यथा प्रतिफल से ऋण सम्बन्धी दायित्वों की पूर्ति हो गई होती। दसवीं योजना में ऋण सकल बजट सहायता के 115 प्रतिशत थे अर्थात् सकल बजट सहायता से भी अधिक। अल्प विकसित देशों में लोगों की बचत करने की सामर्थ्य कम होती है क्योंकि उपयोग की सीमान्त प्रवृत्ति अधिक होती है। लोगों की जो अल्प बचत होती हैं लोगों को उसे निवेश करने और सरकारी प्रतिभूति में लगा पाने की सामर्थ्य नहीं होती। सार्वजनिक वित्त संस्थाएं ही इन अल्प बचतों को लोगों से इकट्ठा कर विकास कार्यों के लिए सरकार को उपलब्ध कराती हैं।

#### 4.3.4 अतिरिक्त साधन गतिमान (Extra resources in operation)

इसके अन्तर्गत मुख्यतया दो स्रोत हैं अतिरिक्त कराधान और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उनकी कीमतें बढ़ाकर (वस्तुओं की प्रशासित कीमतें)। जबकि शहरी उपभोक्ताओं पर कर भार चरम सीमा तक पहुंच गया है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र की आय पर अतिरिक्त कराधान की काफी गुंजाइश है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न और बेची जाने वाली वस्तुओं जैसे पेट्रोल, कोयला, इस्पात आदि तथा सेवाओं की प्रशासित कीमतों को बढ़ाने का आसान तरीका अपनाया है। विदेशी सहायता और न्यून वित्त व्यवस्था पर निर्भरता से गम्भीर

दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए देशीय बजटीय स्रोतों पर निर्भरता बढ़ जाती है। देशीय बजटीय स्रोतों जैसे अतिरिक्त कराधान, बाजार ऋणों और छोटी बचतों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विशेष महत्व है। देशीय बजटीय स्रोतों के प्रयोग बढ़ने से विदेशी सहायता और घाटे के वित्त प्रबन्धन पर निर्भरता कम हो जाती है।

#### 4.3.5 घाटे का वित्त प्रबन्धन / न्यून वित्त प्रबन्धन(Deficit financial management / poor financial management)

जब सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक होता है तो घाटा उत्पन्न होता है। सरकार इस घाटे को दो तरीके से पूरा कर सकती है - अपनी पहले से संचित धनराशि का प्रयोग करके या फिर केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर। सरकारों की प्रवृत्ति होती जा रही है कि वे केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर ही बजट सम्बन्धी घाटों को पूरा करती है। अल्प विकसित देशों में अक्सर ही घाटे के वित्त-प्रबन्धन द्वारा मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। योजनाओं को पूरा होने में समय लगता है और मुद्रा अल्पकाल में प्रचलन में आ जाती है जिससे विनियम के लिए नया माल जल्दी नहीं आ पाता है। पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है जिससे मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाती है और योजना के अनुमान अस्त व्यस्त हो जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में घाटे की वित्त प्रबन्ध पर काफी निर्भरता रही है। पहली पंचवर्षीय योजना के लिए 333 करोड़ रुपये का घाटे का वित्त प्रबन्धन किया गया। यह पहली योजना पर कुल व्यय का 17 प्रतिशत था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 954 करोड़ रुपये के वित्तीय साधन घाटे के वित्त प्रबन्धन से सृजित किये गये जो कुल साधन का 20.4 प्रतिशत था। तीसरी और चौथी योजना में मात्रा की दृष्टि से ज्यादा इस स्रोत से साधन जुटाए गए, 1,133 एवं 2,060 करोड़ रुपये किन्तु कुल साधन के प्रतिशत के रूप में यह कम रहा 13.2 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत यानि इस स्रोत के महत्व में कमी आई। पाँचवीं योजना में 3,560 करोड़ रुपये घाटे का वित्त प्रबन्धन हुआ जो इस योजना में जुटाए गए साधनों का 8.8 प्रतिशत था। 1979-80 से यह बहुत बढ़ गया। छठी योजना में प्रक्षेपित 5,000 करोड़ रुपये की अपेक्षा 15,684 करोड़ रुपये घाटे का वित्त प्रबन्धन हुआ। सातवीं योजना में भी यह 14,000 करोड़ रुपये की अपेक्षा 34,669 करोड़ रुपये हुआ जो स्फीतिकारी सिद्ध हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1991-92 की कीमतों पर 20,000 करोड़ रुपये घाटे के वित्त प्रबन्धन का प्रावधान था जो 33,037 करोड़ रुपये रहा। यह कुल साधन का 9 प्रतिशत था।

#### 4.3.6 विदेशी सहायता (Foreign aid)

आयोजन काल में 1989-90 तक भारत को अधिकृत विदेशी सहायता की राशि 83,729 करोड़ रुपये थी। अधिकृत विदेशी सहायता में 85 प्रतिशत ऋणों के रूप में 10 प्रतिशत अनुदान रूप में और 5 प्रतिशत पी0एल0 480 / 665 के रूप में थी। लगभग आधी विदेशी सहायता का इस्तेमाल औद्योगिक विकास के लिए हुआ। अन्य प्रमुख क्षेत्र जिन्हें विदेशी सहायता से लाभ हुआ वे हैं- रेल, बिजली परियोजनाएं और कृषि, विदेशी सहायता से 189 करोड़ रुपये पहली योजना के लिए मिला जो कुल व्यय का 9.5 प्रतिशत थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर जोर था और इसके लिए पूँजीगत वस्तुओं और मशीनों का भारी मात्रा में आयात करना जरूरी था। इस वजह से इस योजना में विदेशी पूँजी पर निर्भरता बढ़ी। दूसरी योजना में 1,090 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता मिली जो इस योजना पर होने वाले कुल व्यय की 24 प्रतिशत थी। तीसरी योजना में इस स्रोत से कुल वित्तीय साधनों का 28 प्रतिशत था।

चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर जोर रहा परिणामतः विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी हुई और इस योजना में कुल वित्तीय साधनों का 13 प्रतिशत इस स्रोत से जुटाया गया। पाँचवीं योजना में कुल वित्तीय सहायता की राशि 5,830 करोड़ थी जो कुल वित्तीय साधनों का 15 प्रतिशत था। विदेशी सहायता से छठी योजना में 8,530 करोड़ रुपये मिले जो कुल वित्तीय साधन का 8 प्रतिशत था। सातवीं योजना में इस स्रोत से 16,80 करोड़ रुपये जो कुल वित्तीय साधन का 9 प्रतिशत था। आठवीं योजना में यह 19,230 करोड़ रुपये था जो कुल वित्तीय साधन का 5 प्रतिशत था। नौवीं योजना में विदेशों से शुद्ध प्राप्ति 17,452 (2.5 प्रतिशत) थी। दसवीं योजना में विदेश से अंतर्प्रवाह 16,81 करोड़ रुपये था जो 1.0 प्रतिशत रहा। समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी ऋणों का भार बढ़ता चला गया है। कुल प्राप्त विदेशी सहायता का लगभग 50 प्रतिशत ऋण सेवा प्रभार के रूप में खर्च होता रहा है।

#### 4.3.7 नौवीं योजना का वित्त प्रबन्धन (Financial Management of Ninth Plan)

इस योजना में घाटे का वित्त प्रबन्धन जिसे मुद्रिकृत घाटे (Monetized deficit) के रूप में परिभाषित किया गया इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई जबकि आठवीं योजना में केन्द्र के संसाधनों का यह 6 प्रतिशत था। इस योजना का वित्तीय ढांचा पहले की योजनाओं से अलग है क्योंकि इसमें न्यून वित्त प्रबन्ध/घाटे का वित्त प्रबन्ध के स्तर को शून्य रखा गया और चालू राजस्व से अतिरिक्त को नकारात्मक माना गया। राज्यों को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के बावजूद उनसे यह आशा की गई कि वे बजटीय उपायों के द्वारा एवं राज्य के उद्यमों में सुधार के लिए जोरदार प्रयास किया जायेगा। इस योजना में यह आवश्यकता समझी

गई कि गैर योजना व्यय और कर एवं गैर कर राजस्व की वृद्धि पर कड़ा अनुशासन लगाना होगा। कर सकल देशीय उत्पाद अनुपात Gross domestic product (GDP) जो केन्द्र के लिए 1997-98 में 10.3 प्रतिशत था को बढ़ाकर योजना के अन्तिम वर्ष तक 11.5 प्रतिशत करना होगा। गैर योजना राजस्व व्यय में सकल देशी उत्पाद के अनुपात में 10.0 प्रतिशत से घटकर 9.5 प्रतिशत पहुंचना सम्भावित किया गया। इस योजना में सार्वजनिक उपक्रमों से 3,40,049 करोड़ रुपये प्राप्त होने की व्यवस्था की गई। अतः यह आवश्यक हो गया कि सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादकता बढ़ाई जाए और लागत बढ़ने के साथ कीमतों में परिवर्तन किया जाए और पूँजी बाजार से संसाधन गतिमान किये जाय। केन्द्र के सार्वजनिक उपक्रमों के छः क्षेत्र जैसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, टेलीसंचार, पावर, रेलवे, इस्पात और कोयला से कुल साधनों का 77 प्रतिशत अनुमानित किया गया। राज्यों से भी आशा की गई कि वे राजकोषीय अनुशासन का पालन करेंगे और उसके लिए कर सुधार और कर ढाँचे के युक्तिकरण पर बल हो साथ ही गैर कर राजस्व के रूप में बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाएं। राज्य बिजली बोर्डों को पुनर्गठित करना, टैरिफ दरों में संशोधन और संचालन कुशलता को बढ़ाना। राज्य परिवहन निगमों को लाभकारी बनाने की कोशिश करना। जल दर प्रशासन को प्रभावी बनाने की जरूरत है।

इस योजना हेतु 1996-97 कीमत पर केन्द्र एवं राज्यों द्वारा 8,59,200 करोड़ रुपये के संसाधन गतिमान करने का लक्ष्य था किन्तु वास्तविक प्राप्ति 7,05,818 करोड़ रुपये थी, प्रक्षेपण का लगभग 82 प्रतिशत। अतः सार्वजनिक क्षेत्र की योजना में 18 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी। चालू राजस्व अधिशेष से कुल गतिमान किए गए साधनों के घाटे को -0.2 प्रतिशत तक सीमित रखने के लक्ष्य के विपरीत - 37.4 प्रतिशत हो गया। इस वजह से नौवीं योजना के वित्त प्रबन्ध का समग्र ढाँचा अस्त व्यस्त हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से भी 3,40,409 करोड़ रुपये के विपरीत वास्तविक प्राप्ति 2,89,902 करोड़ रुपये रही अर्थात् 59,507 करोड़ रुपये कम। विदेशों से शुद्ध प्राप्ति भी लक्ष्य से कम रही यानि 60,018 करोड़ रुपये के अनुमान के विपरीत 17,452 करोड़ रुपये सरकार को 6,71, 216 करोड़ रुपये बाजार से उधार लेने पड़े जो कुल गतिमान किये गये संसाधनों का 95 प्रतिशत था। उधार पर अधिक निर्भरता से ब्याज दर का भार बढ़ता है जो राजकीय राजस्व सही दिशा में लगने नहीं देता।

#### 4.3.8 दसवीं योजना वित्तीयन (Tenth plan financing)

इस योजना में चालू राजस्व से 1.3 प्रतिशत की प्राप्ति की आशा की गयी किन्तु इसमें 9.6 प्रतिशत का नकारात्मक अधिशेष होगा। सार्वजनिक उपक्रमों से 37.6 प्रतिशत साधन जुटाए जाने की अपेक्षा वास्तविक प्राप्ति 34.9 प्रतिशत हुई। विदेशों से शुद्ध अन्तर्प्रवाह से 1.7 प्रतिशत की अपेक्षा 0.8 प्रतिशत योगदान प्राप्त हुआ। बाजार उधार 73.9 प्रतिशत यानि 8,22,161 करोड़ रुपये रहा। बाजार उधार की भारी राशि से सरकार पर ब्याज के रूप में दायित्व का भार बढ़ता जा रहा है।

#### 4.3.9 ग्यारहवीं योजना का वित्त प्रबन्ध (Financial management of eleventh plan)

दसवीं योजनाकाल में सरकारी क्षेत्र की कुल प्राप्तियों के लिए 16,53,865 करोड़ रुपये 73.9 प्रतिशत बाजार उधार से प्राप्त किये गए और 34.9 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का योगदान रहा। चालू राजस्व से अधिशेष कुल योजना संसाधनों के 9.6 प्रतिशत तक नकारात्मक रहा इसके बावजूद ग्यारहवीं योजना में इस स्रोत से 10,39,039 करोड़ रुपये 28.5 प्रतिशत) मिलने की उम्मीद लगाई गई है। योजना आयोग में उल्लेखित है कि "यह परिणाम राजकोषीय उत्तरदायित्व ढाँचे द्वारा कड़े राजकोषीय अनुशासन का परिणाम है जो कि केन्द्र एवं राज्यों पर लागू किया गया। यह आशावादी दृष्टि दसवीं योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान राजस्व संग्रहण में भारी वृद्धि अर्थव्यवस्था के मजबूत निष्पादन को प्रतिबिम्बित करती है।" इस आशावादी दृष्टिकोण को और झटका लग सकता है छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभाव और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ाने का दबाव के कारण। आयोजकों को योजना के आकार में या तो कटौती करनी पड़ सकती है या बाजार उधार का अधिक प्रयोग करना पड़ सकता है। सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरेक में निरन्तर वृद्धि हो रही है और ये योजना का एक तिहाई वित्त उपलब्ध कराते हैं। इन उपक्रमों से प्राप्ति पर दो घटक प्रभाव डाल सकते हैं -

1. तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें
2. पेट्रोलियम अर्थसाहाय्यों से सम्बन्धित केन्द्र सरकार की नीति यदि इस योजनाकाल में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्तियों में कमी आयेगी तो सरकार को योजना के वित्तीयन के लिए बाजार उधार पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी सरकार ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया था किन्तु वित्तीय ढाँचा अस्त व्यस्त हो गया था। इसी तरह ग्यारहवीं योजना की वास्तविक प्रवृत्तियों की तस्वीर अनुमानों से भिन्न हो सकती है।

#### 4.4 योजना वित्त प्रबन्धन के विभिन्न स्रोतों के गुण एवं दोष (Merits and demerits of various sources of plan finance management)

भारत में कराधान से प्राप्त राशि को विकास के कार्यों में लगाने से दो लाभ प्राप्त हो सकते हैं-

1. भारत जैसे देश में जहाँ उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति अधिक होती है और बचत की सीमान्त प्रवृत्ति कम, कराधान एक अच्छा माध्यम है बचत की दर बढ़ाने के लिए। यह कम आय वर्ग वाले लोगों को अनिवार्य बचत के लिए बाध्य कर सकता है और साथ ही साथ प्रोत्साहन, कर अवकाश आदि के माध्यम से उच्च आय वर्गों में स्वैच्छिक बचत में सहायता दे सकता है।
2. ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त कराधान की काफी गुंजाइश है खासतौर से समृद्ध किसानों के सन्दर्भ में जिन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए किए गये सरकारी प्रयासों का भरपूर लाभ उठाकर अधिक आय तो अर्जित की है किन्तु उन्हें कुछ अदा नहीं करना पड़ा है।

प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, धन कर, सम्पदा शुल्क और उपहार कर प्रगतिशील होते हैं क्योंकि ये उच्च आय वर्ग पर भारी बोझ डालते हैं किन्तु प्रत्यक्ष करों का उत्पादन और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने उचित कर राहते एवं रियायतें दी हैं जिससे प्रत्यक्ष करों के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। हमारे आयोजकों ने प्रत्यक्ष करों के माध्यम से आय की असमानता को कम करने का प्रयास किया है। उच्च प्रत्यक्ष कर जनता की क्रय शक्ति कम करके वस्तुओं और सेवाओं की मांग को कम करते हैं। प्रत्यक्ष कर मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। प्रत्यक्ष कर की दर अधिक होने पर कर वंचन की प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे काले धन की मात्रा बढ़ती है। अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से निम्न आय वर्ग और गरीब व्यक्ति की विकास में योगदान देने के लिए मजबूर किये जा सकते हैं। भारत में कराधान से आर्थिक विकास के लिए वित्त उपलब्धता महत्वपूर्ण नहीं रहा है क्योंकि -

1. सरकार बढ़ते हुए व्यय को रोकने में सफल नहीं हो पायी है।
2. कर राजस्व से प्राप्त राशि चालू व्यय की पूर्ति के लिए अपर्याप्त रही है।
3. सरकार को भारी राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा है।

## सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ

सार्वजनिक उद्यमों के विस्तार के लिए शुद्ध लाभ का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ उपक्रमों को छोड़ कई उपक्रम नुकसान में रहे और इन घाटों की पूर्ति सामान्य कर राजस्व से की गई। सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ आर्थिक विकास के लिए वित्त प्रबन्ध के लिए अतिरिक्त उत्पन्न करें। राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों की हालत तो और खराब रही है। जैसे- राज्य बिजली बोर्ड और राज्य परिवहन निगम सिर्फ 3.5 प्रतिशत आन्तरिक साधन जुटा पाए बाकी उन्हें विकास व्यय के लिए बजट पर ही निर्भर रहना पड़ा। योजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने की दृष्टि से सार्वजनिक उपक्रमों से बहुत आशा नहीं की जा सकती। सरकार या तो इन उद्यमों को अच्छे प्रबन्धन से इनकी सामर्थ्य में सुधार कर लाभ कमाने के लिए प्रेरित करे या फिर नुकसान में जा रही कम्पनियों को निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए तैयार होना पड़ेगा।

## बाजार उधार और छोटी बचतें

बाजार उधार लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है इसलिए लोगों द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता। भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, भारतीय इकाई न्यास जैसी बंदी संस्थाएं सरकार को ऋण उपलब्ध कराते हैं। विकास कार्यों के लिए संस्थान काफी मात्रा में छोटी बचतों यानि डाकखाना बचत खातों, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों आदि से उपलब्ध होते हैं। सार्वजनिक बचत के माध्यम से विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना कुछ मायने में कराधान से बेहतर होता है बस इसमें सरकार को भविष्य में ब्याज और मूलधन देना पड़ता है।

## विदेशी सहायता

भारत जैसे विकासशील देशों में आयात कम करने से आर्थिक संवृद्धि दर कम हो जाती है क्योंकि उच्च तकनीकों के इस्तेमाल के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर रहते हैं और इनके लिए अपने निर्यात के बाजार को विस्तृत करना चुनौतीपूर्ण एवं मुश्किल होता है। इसलिए आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त पूँजी की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी ऋण एवं अनुदान पर निर्भरता बढ़ जाती है। भारत श्रम प्रधान देश है क्योंकि यहाँ विशाल जनसंख्या निवास करती है किन्तु इनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने एवं इनके जीवन स्तर को सुधारने में आन्तरिक पूँजी का काफी हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है इसलिए विकास आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूँजी के अभाव को बाह्य स्रोतों से पूरा करना पड़ता है। अतः विदेशी ऋण एवं अनुदान आर्थिक विकास के लिए वित्त प्रबन्धन का महत्वपूर्ण स्रोत है। किन्तु इसका दुष्प्रभाव है कि भविष्य में ब्याज एवं मूलधन चुकाने का दायित्व बना रहता है यदि इन ऋणों को उत्पादक कार्यों में

लगाकर लाभ कमाया जा सके तब तो इनकी वापसी सरल हो जाती है किन्तु इस पूँजी का अनुकूलतम प्रयोग न कर पाने और भ्रष्टाचार के चलते ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि वार्षिक ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़े जिसे ऋण जाल की स्थिति कहते हैं। जिससे भारत को अपने आप को बचाने की जरूरत है। उधार देने वाले संस्था या देश भारत पर विभिन्न प्रकार के दबाव डाल सकते हैं जिसके चलते हमें ऐसी नीतियों का अनुसरण करना पड़ सकता है जिनका हमारे देश के सन्दर्भ में अधिक औचित्य न हो।

### न्यून वित्त प्रबन्ध घाटे की वित्त व्यवस्था

सभी स्रोतों से पर्याप्त वित्त उपलब्ध न हो पाने पर सरकार इसका सहारा लेती है। विकासशील देशों के लिए कम मात्रा में इसका प्रयोग लाभकारी हो सकता है और विकास प्रक्रिया को तेज कर सकता है क्योंकि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है जो वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग को बढ़ा देती है जिससे मूल्य बढ़ते हैं साहसियों को लाभ होता है और वे और विनियोग करते हैं। किन्तु इससे सम्बन्धित दुष्प्रभाव है कि यदि इसे एक बार अपना लिया जाता है तो यह संचयी बन जाता है और यह साल दर साल बढ़ता जाता है। एक सीमा के बाद मुद्रा प्रसार बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। भारत में स्फीतिकारी दबाव घाटे की वित्त व्यवस्था का दुष्परिणाम है।

**निष्कर्षतः** सरकार को न्यून वित्त व्यवस्था एवं विदेशी सहायता पर कम निर्भर रहना चाहिए और अधिकतर देशीय बजटीय संसाधनों से योजनाओं का वित्तीयन करना चाहिए। आन्तरिक ऋणों से भी भावी पीढ़ियों के लिए ऋण का बोझ बढ़ता है और ब्याज तथा मूलधन वापस करने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए अच्छा होगा कि सरकार अपने चालू खर्चे नियंत्रित कर ले और अतिरेक उत्पन्न करने की कोशिश करे। साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों को कुशल प्रशासन से व्यवस्थित कर लाभ अर्जित करे जो योजनाओं के वित्त प्रबन्धन में काम आये।

## 4.5 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

सही उत्तर चुनो -

1. भारत में हीनार्थ प्रबन्धन किस रूप में किया जाता है?
  - (क) सरकार द्वारा रिजर्व बैंक में जमा अपने नकद कोषों में से धन आहरण
  - (ख) रिजर्व बैंक से ऋण लेकर
  - (ग) नए नोट छापकर
  - (घ) उपर्युक्त सभी
2. मुद्रास्फीति में
  - (क) कुल आपूर्ति, कुल मांग से ज्यादा होती है।

- (ख) कुल आपूर्ति, कुल मांग से कम होती है।  
 (ग) कुल आपूर्ति, कुल मांग के बराबर होती है।  
 (घ) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं।
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय कितना निर्धारित किया गया?  
 (क) 36,44,718 करोड़ रुपये  
 (ख) 15,92,000 करोड़ रुपये  
 (ग) 8,75,000 करोड़ रुपये  
 (घ) 9,45,000 करोड़ रूप
4. भारत जैसे अल्पविकसित देशों में  
 क) प्रति व्यक्ति आय कम होती है।  
 (ख) करदेय क्षमता कम होती है।  
 (ग) स्वैच्छिक बचत कम होती है।  
 (घ) उपर्युक्त सभी
5. भारत में  
 (क) उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति कम है।  
 (ख) उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति अधिक है।  
 (ग) बचत की सीमान्त प्रवृत्ति कम है।  
 (घ) ख और ग

रिक्त स्थान भरो-

1. दसवीं योजना में चालू राजस्व पर अधिशेष..... प्रतिशत ..... है।
2. नौवीं योजना में घाटे की वित्त प्रबन्ध के स्तर को ..... रखा गया।
3. समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऋणों का भार ..... चला गया।
4. घाटे के वित्त प्रबन्धन द्वारा..... की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
5. बड़ी मात्रा में ऋण लेने से..... गड़बड़ी हो सकती है।

#### 4.6 सारांश (Summary)

विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और यह हमारे आयोजकों को विभिन्न स्रोतों से मिल सकते हैं। आन्तरिक या घरेलू साधनों की श्रेणी में उपलब्ध स्रोत है बजट आधिक्य, अतिरिक्त कराधान, सार्वजनिक उपक्रमों से आय, सार्वजनिक उपक्रमों से आय, सार्वजनिक ऋण, छोटी बचत तथा घाटे की वित्त व्यवस्था। विदेशी स्रोत हैं - वित्त प्रदान करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक आदि और विकसित देश। विभिन्न स्रोतों का किस प्रकार प्रयोग हमारे आयोजकों ने योजना काल में किया इस इकाई से हम जान चुके हैं। भारत को यदि दीर्घकालीन आर्थिक

संवृद्धि और विकास को बनाये रखना है तो उसे अपने घरेलू संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। यह तरीका अपनाने से शुरू में तो विकास की दर थोड़ी नीचे हो सकती है किन्तु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में बढ़ोत्तरी से बड़े पैमाने पर पूँजी निर्माण हो सकेगा जिससे विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी। विकास परियोजनाओं के लिए अधिक मात्रा में विदेशी ऋण पर निर्भर रहने से शुरू में विकास की दर तेजी के साथ बढ़ती है किन्तु इसका पूर्ण लाभ देश को नहीं मिल पाता क्योंकि विदेशी पूँजी पर ब्याज तथा दूसरे सेवा व्यय देने पड़ते हैं और भविष्य में ऋण को लौटाने का दायित्व भी रहता है जिससे देश के संसाधन बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इस सबके बावजूद भारत को विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए विकसित देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुँह ताकना पड़ता है क्योंकि हमारे आन्तरिक साधन पर्याप्त नहीं होते। देश में लोगों की प्रतिव्यक्ति आय कम होती है आर्थिक विषमताएं भारी मात्रा में व्याप्त है। इसकी वजह से कर देय क्षमता और स्वैच्छिक बचतें कम हैं। सम्पन्न वर्ग जिनकी करदेय क्षमता अधिक होती है आर्थिक आधिक्य को विकास कार्यों में नहीं लगाते और वे पश्चिम देशों की नकल में प्रदर्शन प्रभाव के कारण फिजूल खर्ची करते हैं परिणामतः स्वैच्छिक बचत कम होती है। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों से भी काफी घाटा सहना पड़ा है जिसको पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती गई और लाभ के अभाव में ब्याज एवं ऋण का बोझ बढ़ता गया। फलस्वरूप चालू राजस्व शेष भी कम होता गया। सभी प्रकार के वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता और प्रभाव को देखते हुए उचित संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे विकास दर दीर्घकाल तक प्रभावी रहे।

#### 4.7 शब्दावली (Glossary)

- ❖ न्यून वित्त व्यवस्था- सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक होने पर घाटा उत्पन्न होता है यदि इसे अन्य आन्तरिक स्रोतों से पूरा नहीं किया जा सकता तो सरकार केन्द्रीय बैंक से ऋण लेती है इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है।
- ❖ राजस्व प्राप्ति- कर और गैर कर स्रोतों से सृजित आय।
- ❖ सार्वजनिक उपक्रम- सरकारी उद्यम, जिनका प्रबन्धन स्वामित्व सरकार के पास होता है।
- ❖ वैधानिक तरलता अनुपात- बैंकिंग विनियमन की धारा 24 के अन्तर्गत सभी बैंकों को अनिवार्य होता है कि वे अपनी जमा राशि का कम से कम 25 प्रतिशत बराबर धन प्रतिभूतियों के रूप में रखें इससे बैंकों की साख देने की क्षमता को रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है।
- ❖ प्रतिभूति- जब सरकार या कम्पनी जनता से ऋण लेती है तब ऋण के बदले जनता को दिए गये धन वापसी के प्रतिज्ञा पत्र को प्रतिभूति कहा जाता है। प्रतिभूति धारक को पूर्व निश्चित दर पर ब्याज मिलता है।

- ❖ सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति- अतिरिक्त आय में से उपभोग पर व्यय की प्रवृत्ति ।
- ❖ सीमान्त बचत प्रवृत्ति- आय में परिवर्तन होने से बचत में परिवर्तन ।
- ❖ योजना व्यय- वह सार्वजनिक व्यय जो विकास और निवेश के विभिन्न योजना प्रस्तावों के अनुसार किया जाय।

#### 4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

सही उत्तर चुनो -

(1) घ (2) ख (3) क (4) घ (5) घ

रिक्त स्थान भरें -

1. 9.6, नकारात्मक      2. शून्य      3. बढ़ता      4. मुद्रास्फीति      5. राजकोषीय

#### 4.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- दत्त, रूद्र एवं के.पी.एम. सुन्दरम (2010) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
- लाल, एस. एन. एवं एस. के. लाल (2009) आर्थिक विकास आयोजन तथा पर्यावरण, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद ।
- मिश्र, एस.के. एवं वी.के. पुरी (2008) भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस ।

#### 4.10 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री Useful/Helpful Text)

- भारतीय अर्थव्यवस्था (2010) प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, आगरा
- Kapila, Uma (2008-09), Indian Economy, Academic Foundation.
- Tenth Five Year Plan (2002-07), Planning Commission, Government of Indian, New Delhi.
- [planningcommission.nic.in/plans/planrel/11thf.htm](http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/11thf.htm)

#### 4.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. भारत में योजनाओं के वित्तीय स्रोतों की व्याख्या कीजिए ।
2. भारत में योजनाओं के वित्तीय स्रोतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

---

## **इकाई 5: आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं रणनीति (Objectives and strategies of economic planning)**

---

**5.1 प्रस्तावना (Introduction)**

**5.2 उद्देश्य (Objectives)**

**5.3 आर्थिक नियोजन का अर्थ (Meaning of economic planning)**

**5.4 आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि (Background of economic planning)**

**5.5 नियोजन की विशेषताएं (Features of planning)**

**5.6 उत्तराखण्ड में आयोजन के उद्देश्य (Objectives of planning in Uttarakhand)**

**5.7 नियोजन की सीमाएं (Limitations of planning)**

**5.8 नियोजन की रणनीति (Strategy of planning)**

**5.9 उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में नियोजन की रणनीति का विश्लेषण (Analysis of planning strategy in the context of Uttarakhand)**

**5.10 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)**

**5.11 सारांश (Summary)**

**5.12 शब्दावली (Glossary)**

**5.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)**

**5.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)**

**5.15 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)**

**5.16 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)**

## 5.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह पांचवीं इकाई है। इससे पहले की इकाई के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं - कौन सी हैं? राज्य के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की स्थिति क्या है? आर्थिक नियोजन के अर्थ एवं उद्देश्यों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, इनका विश्लेषण इस इकाई में प्रस्तुत है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त हो जायेगी तथा उत्तराखण्ड के विकास की उपर्युक्त रणनीति को भी समझा जा सकेगा।

## 5.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ बता सकेंगे कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है?
- ✓ समझा सकेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य ने आर्थिक विकास के लिए कौन-2 से उद्देश्यों को प्राथमिकता दी है?
- ✓ उत्तराखण्ड के लिए आर्थिक नियोजन की रणनीति का विश्लेषण कर सकेंगे।

## 5.3 आर्थिक नियोजन का अर्थ (Meaning of economic planning)

आर्थिक नियोजन शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री एकमत नहीं हैं, फिर भी अधिकांश अर्थशास्त्री समझते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है, समय की एक निश्चित अवधि के भीतर निश्चित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था का आयोजित नियन्त्रण तथा निर्देशन है। गुन्नार मिर्डल - "आर्थिक नियोजन केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम की वह महत्वपूर्ण रूपरेखा है, जिसमें बाजार शक्तियों के साथ-साथ राज्य हस्तक्षेप प्रणाली द्वारा सामाजिक प्रक्रिया को ऊपर ले जाने के प्रयास किये जाते हैं। भारतीय नियोजन आयोग के अनुसार - "आर्थिक नियोजन अनिवार्य रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ के लिए संगठित एवं उपयोग करने का एक मार्ग है। नियोजन के विचार के दो प्रमुख अंग हैं- (अ) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी गयी प्रणाली, एवं (ब) उपलब्ध साधनों एवं उनके अधिकतम आबंटन के सम्बन्ध में ज्ञान।" नियोजन के सम्बन्ध में, अधिकमत परिभाषा डिकन्सन की है जिसके अनुसार- आयोजन का अर्थ है "इस विषय में प्रमुख आर्थिक निर्णय करना कि किस वस्तु का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाये, कि कब और कहाँ उत्पादन हो, और समस्त अर्थव्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर निर्णायक प्राधिकरण के सजग निर्णय के अनुसार उस उत्पादन

को कैसे विभाजित किया जाये।" भारत सम्भवतः पहला प्रजातान्त्रिक देश है जिसने आर्थिक विकास के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया। 1991-92 भारत अपने संसाधनों का योजनाबद्ध प्रयोग कर रहा है। नियोजन तंत्र के माध्यम से देश में विकास कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नियोजन मार्ग में अब तक दस पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 के तहत विकास कार्य का संचालन किया जा रहा है।

#### 5.4 आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि (Background of economic planning)

भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व ही आर्थिक नियोजन की दिशा में अनेक राजनैतिक एवं वैचारिक प्रयास प्रारम्भ हो चुके थे। इस दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में सर एम० विश्वेश्वरैया की सन् 1934 में प्रकाशित पुस्तक "भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था" विशेष उल्लेखनीय है। स्वतन्त्रता पूर्व अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कई योजनायें प्रस्तुत की गयीं। देश के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने 'बाम्बे प्लान' 1944 एम०एन० रॉय द्वारा 'जन आर्थिक योजना 1949 तथा एम०एन० अग्रवाल ने 'गांधीवादी योजना' (1944 के नाम से योजनाएं प्रस्तुत की थीं। ये योजनाएं विभिन्न विचारधाराओं को परिलक्षित करती थीं। इनमें से कोई भी योजना औपचारिक या आधिकारिक नहीं नियोजन के उद्देश्य एवं थी, इसीलिए इसको अमल में नहीं लाया गया किन्तु सबका उद्देश्य यही था कि देश का आर्थिक विकास योजनाओं के माध्यम से किया जाये। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में आर्थिक कार्यक्रमों को नियोजित स्वरूप प्रदान करने के लिए 19 मार्च 1990 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1991 से प्रारम्भ हुई।

#### 5.5 नियोजन की विशेषताएं (Features of planning)

किसी भी देश का आयोजन उस देश की विशिष्टताओं जैसे देश आरम्भिक ऐतिहासिक स्थिति, समाज की अपनी आवश्यकतायें और आकांक्षायें उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा बदलती हुयी परिस्थितियों आदि से प्रभावित होता है। इन कारकों ने भारतीय आयोजन को एक विशेष रूप दिया है। इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जिनका विवरण इसके स्वरूप को समझाने में सहायक होगा।

1. संकेतात्मक स्वरूप
2. विकेन्द्रित आयोजन

3. विकासोन्मुख आयोजन
4. संवृद्धि एवं सामाजिक न्याय के लिए आयोजन
5. मिश्रित अर्थव्यवस्था का आयोजन

### 5.5.1 संकेतात्मक स्वरूप

---

आयोजन की आधारमूलक विशेषता, इसका संकेतात्मक स्वरूप है। समय के साथ-साथ आयोजन-प्रणाली को इस प्रकार ढाला गया है कि यह आर्थिक एजेंटों निवेशक, बचतकर्ता, उत्पादक, निर्यातक, आयातक, बैंकर आदि को उन उद्देश्यों से अवगत कराती है जिनको ओर बढ़ना है और साथ ही उद्देश्य प्राप्ति के साधनों का बोध कराती है। यह इस अर्थ में संकेतात्मक है कि यह केवल उन दिशाओं के रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिनकी ओर अर्थव्यवस्था को ले जाना है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह उपयुक्त साधनों पर भी प्रकाश डालती है। इस सम्बन्ध में अनिवार्यता या कानूनी बन्धन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती।

उद्देश्य-प्राप्ति के साधन प्रेरकों और प्रोत्साहनों धनात्मक एवं ऋणात्मक के रूप में होते हैं जो आर्थिक एजेंटों को उद्देश्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं और अवांछनीय दिशा की ओर बढ़ने की दशा में हतोत्साहित करते हैं।

### 5.5.2. विकेन्द्रित आयोजन

---

आयोजन प्रणाली की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता; जो हाल की योजनाओं में प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है, इसका विकेन्द्रित स्वरूप, जिसका आशय है कि योजना को बनाने एवं उसके क्रियान्वयन में व्यापक रूप में लोगों की सहभागिता का इसमें समावेश होता है। विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेषज्ञों की एजेन्सियाँ जो योजनाएं तैयार करती हैं, उन पर लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विचार-विनिमय करते हैं और अपना समर्थन देते हैं।

### 5.5.3. विकासोन्मुख आयोजन

---

ये अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ने पर बल देती हैं, ताकि भविष्य में उत्पादन और रोजगार में तेजी से वृद्धि हो और फलस्वरूप जन-साधारण का जीवन-स्तर ऊपर उठ सके। ठोस रूप में इसका आशय राज्य में आधारिक संरचना (जैसे- परिवहन, संचार, शोध - सुविधाएं आदि) और पूंजीगत उद्योगों के विकास से है।

#### 5.5.4 संवृद्धि एवं सामाजिक न्याय के लिए आयोजन

निर्धन समाज को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के साथ-साथ संवृद्धि की व्यवस्था करने से सम्बन्धित है। अभी हाल तक संवृद्धि दर को बढ़ाने के लिए पूंजी - स्टॉक के निर्माण पर विशेष बल रहा है। इस रणनीति का परिणाम अच्छा रहा। लेकिन यह उपलब्धि गरीबी मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं रही और न ही यह श्रमिक संख्या की बढ़ती हुई रोजगार जरूरतों के अनुरूप थी। इस कारण 1980 के दशक से सामाजिक न्याय दिलाने पर विशेष बल दिया जाने लगा। इसका अर्थ श्रम-साधन का अधिक उपयोग और गरीबी-उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के विशेष कार्यक्रमों के लिए अधिक मात्रा में संसाधनों की व्यवस्था।

#### 5.5.5 मिश्रित अर्थव्यवस्था आयोजन

आयोजन का संचालन सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जाता है, इनके सापेक्ष भाग में अवश्य परिवर्तन होता रहा है। अभी हाल तक योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुखता बनी रही है। आधारमूलक क्षेत्रों, जैसे कि निवेश, बुनियादी एवं पूंजीगत उद्योग, वित्त नियन्त्रण आदि में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। निजी क्षेत्र को कम महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गयी थी। वर्ष 1991 के मध्य से आज के बदले हुए संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को काफी घटा दिया गया है। दूसरी ओर निजी क्षेत्र का विस्तार किया गया है। अनेक कार्यकलाप जो अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित थे, अब वे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। साथ ही निजी क्षेत्र पर लगे अनेक नियंत्रण हटा लिए गये हैं और कुछ को बहुत उदार बना दिया गया है। इस प्रकार बहुत बड़ी सीमा तक आयोजन बाजारोन्मुख बन गया। निजी क्षेत्र तो बाजार - तन्त्र के सहारे ही अपना सारा कार्य करता है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र भी अपने अनेक निर्णय बाजार कीमतों के आधार पर लेते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि अपनी नीतियों के द्वारा सरकार बाजार - तन्त्र को वांछित दिशा में प्रभावित करने के लिए समय-समय पर उपाय अपनाती रहती है, ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर राज्य आगे बढ़ सके।

## 5.6 उत्तराखण्ड में आयोजन के उद्देश्य (Objectives of planning in Uttarakhand)

उत्तराखण्ड में आयोजन के उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक होते हैं जिनके द्वारा मुक्त बाजार के दोष तथा असफलताओं को दूर किया जा सके, जैसे- बेरोजगारी, व्यापार-चक्र, गरीबी, शोषण, असमानताएँ आदि। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

### 5.6.1 सकल राज्य घरेलू आय एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना

आयोजन में योजनाओं की निश्चित अवधि के अन्तर्गत सकल राज्य घरेलू आय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है।

### 5.6.2 पूँजी निर्माण के लिए

आय, बचत तथा निवेश के स्तर बढ़ाकर पूँजी निर्माण की दर बढ़ाना। परन्तु उत्तराखण्ड में पूँजी निर्माण की दर बढ़ाने में अनेक कठिनाइयाँ पाई जाती हैं। लोग दरिद्रताग्रस्त होते हैं। आय के निम्न स्तरों तथा उपभोग की ऊँची प्रवृत्ति के कारण उनकी बचत करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। परिणामतः निवेश की दर कम रहती है जिससे पूँजी की न्यूनता और कम उत्पादकता होती है। कम उत्पादकता का मतलब है कम आय और दुश्चक्र पूरा हो जाता है। इस आर्थिक दुश्चक्र को केवल योजनाबद्ध आर्थिक विकास ही तोड़ सकता है।

### 5.6.3 संतुलित आर्थिक विकास के लिए

भौगोलिक परिस्थितियों, पर्याप्त उद्यम तथा उपक्रम के अभाव में, उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का द्रुत आर्थिक विकास नियोजन के माध्यम से होना चाहिए जिसके लिए कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हों, सामाजिक तथा आर्थिक उपरिसुविधाएँ स्थापित की जाएँ, घरेलू तथा विदेशी व्यापार-क्षेत्रों का सामंजस्यपूर्ण ढंग से विस्तार हो। इस सबके लिए विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ ही निवेश आवश्यक है, जो केवल विकास आयोजन के अन्तर्गत ही संभव है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के विकास की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि कृषि तथा उद्योग परस्पर निर्भर है। कृषि के पुर्नसंगठन से अतिरिक्त श्रम शक्ति मुक्त होती है जिसे औद्योगिक क्षेत्र खपा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र की कच्चे माल की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए भी कृषि का विकास नितान्त आवश्यक है।

### 5.6.4 सामाजिक एवं आर्थिक उपरि-सुविधाओं का विकास

उत्तराखण्ड में सामाजिक तथा आर्थिक उपरि-सुविधाओं के अभाव में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास नहीं कर पा रहे हैं। कृषि तथा औद्योगिक विकास के लिए नहरों, सड़कों, रेलमार्गों तथा बिजली घरों इत्यादि का निर्माण अनिवार्य है परन्तु उत्तराखण्ड में सामाजिक तथा आर्थिक उपरि-सुविधाओं की अलाभदायकता के कारण निजी उद्यम उनके विकास में रुचि नहीं रखता। वह सामाजिक लाभ की बजाय निजी लाभ से प्रेरित होता है। इसलिए योजनाबद्ध ढंग से सामाजिक तथा आर्थिक उपरि पूँजी का निर्माण करने का दायित्व राज्य पर पड़ता है।

### 5.6.5 वित्तीय संस्थाओं का विकास

इसी प्रकार घरेलू तथा विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए सामाजिक तथा आर्थिक उपरि-सुविधाओं के साथ-साथ कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास ही नहीं बल्कि वित्तीय संस्थाओं नियोजन के उद्देश्य एवं का होना भी आवश्यक है। उत्तराखण्ड में, मुद्रा तथा पूँजी मार्केट अल्पविकसित है। ये साधन उद्योग तथा व्यापार की वृद्धि में बाधक होते हैं। इस अव्यवस्था को केवल राज्य ही दूर कर सकता है। अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठतम हितों में आयोजन प्राधिकरण ही घरेलू तथा विदेशी व्यापार का नियंत्रण तथा नियमन कर सकता है। फिर, आयोजन प्राधिकरण ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए माँग तथा पूर्ति के बीच समायोजन ला सकती है।

### 5.6.6 दरिद्रता दूर करना

राज्य की दरिद्रता दूर करने हेतु विकास के लिए आयोजन करना अनिवार्य है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने के लिए आय तथा धन की असमानताएँ घटाने के लिए, रोजागर के अवसर बढ़ाने के लिए, सर्वतोन्मुखी विकास के लिए उत्तराखण्ड राज्य के सामने केवल यही एक मार्ग खुला है कि वे आयोजन करें। इससे बड़ा कोई अन्य सत्य नहीं है कि आयोजन के विचार ने उत्तराखण्ड में व्यावहारिक रूप धारण कर लिया है।

### 5.6.7 तकनीकी विकास के लिए

ऐसी अर्थव्यवस्था में तकनीकी ज्ञान एवं कार्यकुशलता की कमी पाई जाती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य से कम होता है। तकनीकी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि से उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा आर्थिक आयोजन से ही संभव है।

### 5.6.8 साधनों का उचित उपयोग

उत्तराखण्ड द्वारा आर्थिक आयोजन अपनाने से साधनों का उचित उपयोग होगा। तकनीकी ज्ञान और पूँजी की कमी के कारण प्राकृतिक साधनों तथा मानवीय साधन के रूप में श्रम की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साधनों के उचित उपयोग के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का इकट्ठा विकास किया जाना चाहिए। साधनों के सही उपयोग से आर्थिक विकास में तीव्रता आती है।

### 5.6.9 उत्पादन समस्याओं का समाधान

उत्पादन संबंधी समस्याओं का समाधान आर्थिक आयोजन के अंतर्गत ही संभव है। उत्तराखण्ड में बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव के कारण उत्पादन लक्ष्यों को निश्चित करना आवश्यक हो जाता है। जनसाधारण की आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन कैसे करना है, कितना करना है और उत्पादकीय क्षमता में कितनी वृद्धि करनी है यह आयोजन के द्वारा ही संभव है।

### 5.6.10 आर्थिक सुरक्षा

आर्थिक आयोजन अपनाने से आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। आर्थिक सुरक्षा के अन्तर्गत सरकारें शोषण के विरुद्ध कानून बनाना, बीमा योजना, भविष्य निधि योजना, पेंशन इत्यादि योजनाएं लागू करती है। इससे कार्यकुशलता के साथ-साथ समाज कल्याण में भी वृद्धि होती है।

### 5.6.11 सामाजिक सुरक्षा

आयोजन का उद्देश्य, देश में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना भी होता है जिससे श्रमिक अधिक मेहनत एवं लगन से कार्य करें, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत चिकित्सा, बीमा, बेरोजगारी, आवास, मनोरंजन, उचित मजदूरी आदि सम्मिलित होते हैं।

### विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के क्षेत्र

योजना एवं योजनावधि	प्राथमिकता के क्षेत्र
पहली योजना (1991-96)	कृषि, सिंचाई, विद्युत
दूसरी योजना (1996-61)	भारी उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
तीसरी योजना (1961-66)	खाद्यान्न, उद्योग
चौथी योजना (1969-74)	कृषि, सिंचाई
पाँचवी योजना (1974-79)	जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण
छठवीं योजना (1980-89)	कृषि, सिंचाई, ऊर्जा
सातवी योजना (1989-90)	ऊर्जा, खाद्यान्न
आठवीं योजना (1992-97)	मानव संसाधन - शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास
नौवीं योजना (1997-02)	सामाजिक न्याय, ग्राम विकास रोजगार

दसवीं योजना (2002-07)	रोजगार, ऊर्जा-सामाजिक तथा समजिक अवसंरचना का विकास
ग्यारहवीं योजना (2007-12)	कृषि, रोजगार,आधारिक संरचना ऊर्जा परिवहन का विकास

## 5.7 नियोजन की सीमाएं (Limitations of planning)

नियोजन की भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं, जिसके कारण यह सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता और देश आशातीत प्रगति नहीं कर पाता। नियोजन की मुख्य सीमाओं को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है-

### 5.7.1 साधनों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना

नियोजन के लिए विशाल मात्रा में साधनों व उसके उपयोग की आवश्यकता होती है। परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा जिनका सही ढंग से उपयोग न हो पाने के कारण नियोजन सीमित मात्रा में ही कार्यान्वित हो पाता है।

### 5.7.2 अपूर्ण एवं अव्यवस्थित नियोजन

अपूर्ण एवं अव्यवस्थित नियोजन भी नियोजन के विकास को सीमित कर देता है। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए उससे सम्बन्धित समस्त क्षेत्रों पर एक साथ ध्यान देना आवश्यक है, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक नियोजन में नियोजन पूर्णरूप से सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाया है।

### 5.7.3 जनसंख्या का पर्याप्त होना

नियोजन की सफलता के लिए जनसंख्या का पर्याप्त संख्या में होना आवश्यक है। यदि जनसंख्या का आधिक्य है तो योजनाओं के कार्यों में उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार कम जनसंख्या वाले राज्यों में भी नियोजन को लागू करने में कठिनाई होती है, यही नियोजन की सीमा है।

### 5.7.4 भावी लाभ के लिए त्याग

नियोजन में जनता को वर्तमान में विभिन्न प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं और यह आशा रहती है कि उसका लाभ भविष्य में प्राप्त होगा। परन्तु इसके लाभ प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है जो कि अनिश्चित होता है। इस अनिश्चितता के कारण कुछ व्यक्ति त्याग करने में उदासीन हो जाते हैं और योजना को कार्यान्वित करने के लिए धन देना पसन्द नहीं करते। इसमें योजना का पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

### 5.7.5 नियोजकों की असावधानी एवं त्रुटिपूर्ण विचारधारा

कभी-कभी नियोजक, नियोजन को सरल समझकर असावधानी से कार्य करने लगते हैं, परिणामस्वरूप नियोजन में असावधानी के कारण सफलता प्राप्त नहीं होती और उसका देश की अर्थव्यवस्था एवं जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

### 5.7.6 नवीन ढंगों को लागू करने की विशेषता

नियोजन में विभिन्न प्रकार से नवीन विधियों एवं नवीन प्रणालियों को प्रयोग करना योजना की विशेषता होती है, जिसमें भारी मात्रा में धन विनियोग करना पड़ता है तथा अपव्यय भी काफी होता है। इससे जनता का नियोजन के प्रति विश्वास कम हो जाता है।

## 5.8 नियोजन की रणनीति (Strategy of planning)

विकास आयोजन के संदर्भ में किन्हीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली दीर्घकालिक नीति को युक्ति कहते हैं। उत्तराखण्ड राज्य में साधनों की कमी के कारण सभी पिछड़े क्षेत्रों में एक साथ विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। ऐसी अर्थव्यवस्था में अग्रणी का पता लगाना होता है और उनके लिए साधनों की व्यवस्था करनी होती है। ऐसा करने पर अर्थव्यवस्था की गतिहीनता टूट सकती है और वह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। साधनों के अनेक क्षेत्रों में बिखराव का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। रोजन्सटाइन - रोडन ने ठीक ही कहा है कि यदि कोई अर्थव्यवस्था बहुत समय से गतिहीन रही है तो उसे 'भारी प्रयास' की जरूरत पड़ेगी। उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से इसी तरह के प्रयास की जरूरत थी। अतः साधनों के आवंटन में प्राथमिकता का निर्धारण निम्न ढंग से किया जा सकता है।

### 5.8.1 विनियोजन एवं उपभोग प्राथमिकता

विनियोजन एवं उपभोग प्राथमिकता में से किसको चुना जाये, इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि एक ओर विनियोजन में वृद्धि की जानी चाहिए तथा दूसरी ओर जीवन-स्तर सुधारने हेतु उपभोग में सुधार लाया जाना चाहिए जिन क्षेत्रों में उसकी प्रभावशाली मांग अधिक हो। यदि एकमात्र उपभोक्ता उद्योगों में विनियोजन कर दिया जाये, तो इससे अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की निम्न गति धीमी गति से विकास, अन्य उद्योगों का अभाव एवं अर्थव्यवस्था का असन्तुलित विकास आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

इससे राज्य की आय भले ही बढ़ जाये, परन्तु आर्थिक विकास में वृद्धि करना सम्भव न हो सकेगा। अतः देश में भौतिक एवं मानवीय दोनों ही विनियोजनों को महत्व दिया जाना चाहिए।

### 5.8.2 उत्पादन एवं वितरण प्राथमिकता

उत्तराखण्ड राज्य में प्रमुख समस्या प्रायः उत्पादन की कमी तथा वितरण क्षेत्र में असमानता की रहती है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति करने हेतु एक ओर तो उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक माना जाता है तथा दूसरी सामाजिक न्याय की दृष्टि से राज्य में धन व आय की विषमता भी दूर होनी चाहिए।

### 5.8.3 कुटीर एवं लघु उद्योग

उत्तराखण्ड राज्य की परिस्थितियों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विशेष महत्व है। इन उद्योगों में अधिक मानव शक्ति एवं कम पूंजी व आधुनिक योग्यता की आवश्यकता होती है। इसमें कम मात्रा में वितरण सम्भव हो जाता है। कुटीर उद्योगों में विनियोग करने से लाभ अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं। इस कृषि एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ समायोजित किया जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य में पूंजी के अभाव एवं बेरोजगारी के कारण कुल लागत व्यय बड़े उद्योगों की तुलना में कम होता है, परन्तु यह उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाते। अतः इनके विकास के लिए इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना आवश्यक होगा।

### 5.8.4 मानव विनियोग एवं भौतिक विनियोग

मानव विनियोग में योग्यता, अनुभव एवं शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। विस्तार से विकास के मार्ग में बाधाएं उपस्थित होती हैं क्योंकि इससे श्रमिक की उत्पादन क्षमता एवं गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। वर्तमान समय में मानव पूंजी पर अधिक धन विनियोजित करके, ज्ञान एवं योग्यता में वृद्धि करके आर्थिक विकास के भय दूर किये जा सकते हैं। प्राचीन समय में मानव विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था।

### 5.8.5 क्षेत्रीय प्राथमिकतायें

उत्तराखण्ड राज्य में क्षेत्रीय विकास की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और राज्य के सन्तुलित आर्थिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है और बाद में उसी के अनुरूप साधनों का आबंटन किया जाता है। यदि राज्य में क्षेत्रीय विकास के आधार पर अर्द्ध विकसित क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया तो राज्य में विकसित एवं कम विकसित क्षेत्रों में खाई और अधिक चौड़ी हो जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य में राजनीतिक आधार पर किसी क्षेत्र विशेष की अवहेलना न करते हुए उसे आर्थिक दृष्टि से विकास के लिए पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था में विकास कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में एक आत्म-निर्भर क्षेत्र हो तथा उसे अन्य क्षेत्रों पर निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े। वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करके द्रुत गति से विकास लाने के प्रयास किये जाते हैं।

### 5.8.6 सामाजिक एवं आर्थिक प्राथमिकतायें

उत्तराखण्ड राज्य के विकास कार्यक्रम में यह निश्चित करना आवश्यक होगा कि कुल विनियोग का कितना भाग उत्पादक कार्यों पर एवं कितना भाग जनोपयोगी सेवाओं पर विनियोजित किया जाये। उत्तराखण्ड

राज्य के आर्थिक विकास में सामाजिक एवं आर्थिक ऊपरी लागतों का विशेष महत्व होता है, जिसमें परिवहन की सेवायें, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किये जाते हैं, क्योंकि इनके विकास पर अन्य सहायक उद्योग-धन्धों का विकास निर्भर करता है। सरकार द्वारा सामाजिक ऊपरी लागत पर अधिक धन व्यय करके देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाता है।

### 5.8.7 उद्योग व कृषि प्राथमिकता

उत्तराखण्ड राज्य में जहाँ कृषि पिछड़ी हुई व्यवस्था में हो, वहाँ कृषि एवं औद्योगिक विकास एक-दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक माने जाते हैं। उत्तराखण्ड राज्य में आर्थिक विकास के लिए कृषि एवं उद्योग दोनों को ही समान महत्व दिया जाना चाहिए तथा दोनों का सन्तुलित ढंग से विकास करना चाहिए। यदि केवल एक ही क्षेत्र का विकास किया गया तो समस्त क्षेत्रों का सामूहिक विकास सम्भव न हो सकेगा।

## 5.9 उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में नियोजन की रणनीति का विश्लेषण (Analysis of planning strategy in the context of Uttarakhand)

अविभाजित उत्तर प्रदेश का विकास योजनाओं की युक्तियों के प्रारम्भिक चरण में मुख्य जोर आर्थिक समृद्धि पर था। यद्यपि आय और संपत्ति की असमानताओं में कमी, गरीबी निवारण और रोजगार के अवसरों को पैदा करना भी आर्थिक आयोजन के उद्देश्य थे लेकिन उनका स्थान गौण रखा गया। इस दृष्टि से आर्थिक नियोजन में विकास की युक्ति के तीन पहलू थे।

1. विकास के लिए अर्थव्यवस्था को तैयार करना।
2. औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना।
3. औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों पर जोर देना।

विकास योजनाओं के लिए पूंजी का अभाव होने के कारण 'असन्तुलित विकास' का रास्ता अपनाया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में महलानोबीस द्वारा प्रतिपादित विकास - युक्ति से पूरी तरह भिन्न एक दीर्घकालीन विकास - युक्ति स्पष्ट की गई। इस योजना में कहा गया कि अगले पन्द्रह वर्षों में इस देश में आर्थिक आयोजन की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह अपने बल पर की जाने वाली संवृद्धि के साथ-साथ लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करे। अपने बल पर आर्थिक संवृद्धि का अर्थ यह है कि देश संवृद्धि योजना को पूरा करने के लिए स्तर पर वित्तीय साधनों और टेक्नोलॉजी की पूरी तरह व्यवस्था कर सके। लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करने का अर्थ यह है कि गरीबी दूर हो, पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा हो, तथा लोगों की खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में बुनियादी जरूरतें पूरी हों। आयोजकों की राय में, इन लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए पुराना विकास - युक्ति से भिन्न विकास - युक्ति की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर सातवीं योजना की विकास- युक्ति पर गौर करने पर इसमें चार मुख्य बातें देखने में आती हैं-

1. नई विकास- युक्ति में नए तकनीकों की मदद से कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर था।
2. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम करके उद्योगों के निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया।
3. अनेक प्रकार की छूट देकर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यकुशलता के स्तर में सुधार की आशा की गई।

4. इन नीतियों के अनुरूप ही प्रशासन व्यवस्था को नियन्त्रणात्मक से सुविधात्मक बनाने पर जोर रहा। ध्यान से गौर करने पर यह साफ हो जाता है कि सातवीं योजना की विकास युक्ति दरअसल उस विकास - युक्ति का ही एक रूप है जिसे आजकल कृषि विकास जनित संवृद्धि युक्ति कहा जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य की दसवीं योजना के अनुसार, नए बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य में राज्य की भूमिका की पुनर्व्याख्या करना जरूरी हो गया है परन्तु योजना में खासतौर पर दो क्षेत्रों की चर्चा की गई है जिनमें राज्य सरकार की अहम भूमिका बनी रहेगी।

- ❖ सामाजिक क्षेत्र जिसमें सरकारी भूमिका को और बढ़ाना होगा;
- ❖ आधारीक संरचना का विकास क्योंकि इसमें कई खामियां हैं और इन्हें भर पाना निजी क्षेत्र के बस की बात नहीं है। योजना में आधारीक संरचना का दो हिस्सों में बांटा गया है: दूरसंचार, बिजली, बन्दरगाह इत्यादि जिनमें निजी क्षेत्र को और ज्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए; तथा ग्रामीण आधारीक संरचना एवं सड़क विकास इत्यादि जिनमें सरकार को नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार यद्यपि आर्थिक संवृद्धि के गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष रूप से अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं तथापि उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में विभिन्न जड़ताओं और घर्षणों के कारण ये प्रभाव बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए और सामाजिक न्याय के लिए सीधे व प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है। योजना में उच्च आर्थिक संवृद्धि के साथ समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तीन पक्षीय युक्ति अपनाने की बात की गई है-

1. कृषि विकास को ग्यारहवीं योजना का मूल तत्व माना जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र के विकास का ग्रामीण वर्ग पर सीधा व सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक सुधारों के पहले दौर में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को लक्षित किया गया था और कृषि क्षेत्र में सुधारों को अनदेखा किया गया था। ग्यारहवीं योजना में इसे बदलने की आवश्यकता महसूस की गयी।
2. ग्यारहवीं योजना की विकास युक्ति में उन क्षेत्रों का तेजी से विकास करने पर जोर दिया गया, जिनमें रोजगार प्रदान करने की ज्यादा संभावनाएं हैं और उन नीति अवरोधों का समाधान करने की बात की गई जो रोजगार बढ़ाने में रुकावट बनते हैं। खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों के लिए नीतियां बनानी होंगी जिनमें व्यापक रोजगार संभाव्य है। ये क्षेत्र हैं- कृषि, निर्माण, पर्यटन, परिवहन, लघु उद्योग, फुटकर व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार क्षेत्र से संबंधित सेवाएं तथा ऐसी बहुत सी नई उभर रही सेवाएं जिन्हें उपर्युक्त नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है।
3. ऐसे विशिष्ट लक्षित वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम व नीतियां बनाने पर जोर दिया गया है जिन्हें सामान्य आर्थिक संवृद्धि व विकास योजनाओं से या तो लाभ नहीं मिल पाता यह बहुत कम लाभ पाता है। इस तरह के कार्यक्रम हमारी विकास युक्ति का हिस्सा रहे हैं और उन्हें ग्यारहवीं योजना में भी जारी रखा गया।

## 5.10 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### रिक्त स्थान

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल ..... से प्रारम्भ हुई ?

2. 'भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था' पुस्तक के लेखक..... है?
3. आर्थिक नियोजन..... सूची का विषय है?
4. प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता..... क्षेत्र को दी गयी है?
5. योजना आयोग का अध्यक्ष..... होता है?

### 5.11 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं आर्थिक नियोजन में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं परन्तु आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक समानता के उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करना कठिन है। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजी का अभाव सबसे बड़ी बाधा है। यही कारण है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन विकास की रणनीतियों के प्राथमिकता के क्रम निर्धारित किये गये हैं। प्रारम्भ की पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य रूप से आर्थिक संवृद्धि पर बल दिया गया है जबकि बाद की योजनाओं में गरीबी निवारण, रोजगार सृजन तथा आय की असमानताओं में कमी पर अधिक ध्यान दिया गया। आर्थिक सुधारों के बाद इन उद्देश्यों के साथ-साथ मानव संसाधन विकास तथा बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाने लगी है। दस पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद भी एक अच्छी रणनीति के द्वारा भी इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है तो स्पष्ट है कि इन उद्देश्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता काफी कमजोर है।

### 5.12 शब्दावली (Glossary)

- ❖ पूर्ण रोजगार- सभी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।
- ❖ रिसाव प्रभाव (ट्रिकल डाउन ड्रैफ्ट)-जब आर्थिक संवृद्धि का लाभ स्वतः रिसरिस कर जनसंख्या के सभी वर्गों को प्राप्त होता है।
- ❖ संतुलित विकास- किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना।
- ❖ असंतुलित विकास- किसी अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का एक साथ विकास न करके कुछ चुने हुए क्षेत्रों का गहन विकास करना।

### 5.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

उत्तर -1. 19912 2. सर एम विश्वेश्वरैया .3. संघ सूची 4 कृषि 5 . प्रधानमंत्री

### 5.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- शर्मा, टी०आर० एवं वाष्णीय, जे०सी०, विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, साहित्य भवन, आगरा।
- मामोरिया, चतुर्भुज, भारत की आर्थिक समस्याएं, साहित्य भवन, आगरा।
- झिंगन, एम०एल०, विकास अर्थशास्त्र एवं आयोजन, वृंदा पब्लिकेशन प्रा०लि०, नई दिल्ली।
- सिंह, एम०पी०, आर्थिक विकास एवं नियोजन, एस० चंद एण्ड कं० लि०, नई दिल्ली।
- दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस० चंदएण्ड कं० लि०, नई दिल्ली।

---

### 5.15 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री(Useful/Helpful Text)

---

- भारतीय अर्थव्यवस्था (2010) प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, आगरा
- Kapila, Uma (2008-09), Indian Economy, Academic Foundation.
- Tenth Five Year Plan (2002-07), Planning Commission, Government of Indian, New Delhi.
- [planningcommission.nic.in/plans/planrel/11thf.htm](http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/11thf.htm)

---

### 5.16 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

---

1. आर्थिक नियोजन क्या है? इसकी विशेषतायें बताइए। आर्थिक नियोजन की आवश्यकता की व्याख्या किजिए।
2. आर्थिक नियोजन की ब्यूह रचना विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में समझाइयें।
3. 'भारत में आर्थिक नियोजन असफल रहा है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दिजिए।

---

## इकाई -6: नियोजन के साठ वर्ष एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (Sixty years of planning and eleventh five year plan)

---

- 6.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 6.2 उद्देश्य (Objectives)
- 6.3 विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली (Decentralized system of planning)
- 6.4 उत्तराखण्ड में नियोजन (Planning in Uttarakhand)
- 6.5 उत्तराखण्ड में नियोजन की उपलब्धियां (Achievements of planning in Uttarakhand)
- 6.6 उत्तराखण्ड में नियोजन की विफलताएं (Failure of plannings in Uttarakhand)
- 6.7 उत्तराखण्ड में नियोजन की समीक्षा (Review of planning in Uttarakhand)
- 6.8 उत्तराखण्ड में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (Eleventh Five Year Plan in Uttarakhand)
- 6.9 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य (Objectives of the Eleventh Five Year Plan)
- 6.10 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति (Strategies of Eleventh Five Year Plan)
- 6.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वित्त पोषण (Funding in the Eleventh Five Year Plan)
- 6.12 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का वित्त प्रबन्ध (Financial management of the eleventh five year plan)
- 6.13 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यवर्ती समीक्षा (Mid-term review of the Eleventh Five Year Plan)
- 6.14 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 6.15 सारांश (Summary)
- 6.16 शब्दावली (Glossary)
- 6.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 6.18 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 6.19 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री /Useful/Helpful Text)
- 6.20 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

## 6.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह छठी इकाई है। इससे पहले की इकाई के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन की रणनीति क्या रही है? नियोजन के पिछले साठ वर्षों में उत्तराखण्ड राज्य ने किसकिस क्षेत्र में और किस अ-नुपात में उपलब्धियां हासिल की हैं। इसका विश्लेषण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण भी प्रस्तुत है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों के तुलनात्मक महत्व को समझा सकेंगे तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का विशद विश्लेषण कर सकेंगे।

## 6.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ बता सकेंगे कि उत्तराखण्ड में नियोजन की उपलब्धियां क्या हैं।
- ✓ समझा सकेंगे कि नियोजन ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी दिशा क्या है।
- ✓ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के महत्व को समझा सकेंगे तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का विशद विश्लेषण कर सकेंगे।

## 6.3 विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली (Decentralized system of planning)

प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली की नवीन व्यवस्था वर्ष 1982-83 से अविभाजित उत्तर प्रदेश से ही लागू है। इस प्रणाली में जिला स्तर पर सार्थक योजनाओं का अभिज्ञान, योजनाओं का निर्माण, कार्यान्वयन, सूचना एवं अनुश्रवण में स्थानीय अधिकारियों एवं लाभार्थियों के सक्रिय सहयोग की परिकल्पना की गई है। इस प्रणाली के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला प्रतिनिधियों को भी-मण्डल स्तर पर जनपद के जन/सम्बद्ध किया गया है।

### 6.3.1 नियोजन के मूलभूत सिद्धान्त

- विकास सामाजिक न्याय के साथ हो।
- स्थानीय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग।
- भूमि, पशुधन, लघु एवं कुटीर उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि।
- सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण।
- अवस्थित अवस्थापनाओं संस्थाओं को पुनर्गठित किया जाना।
- रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाये, जिससे भूमिहीनों, छोटे कृषकों आदि को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों।
- जिले को नियोजन की इकाई माना जाए।

- विभिन्न आयोजनागत योजनाओं को उनके स्थान एवं लाभ के क्षेत्र के आधार पर राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर में विभाजित किया जाए।

### 6.3.2 जिला स्तरीय समितियां तीन स्तरों पर कार्य करती हैं -

1. नई विकास- युक्ति में नए तकनीकों की मदद से कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर था।

(अ) जिला योजना समन्वयन एवं कार्यान्वयन समिति।

(ब) जिला नियोजन एवं अनुक्षवण समिति।

(स) मण्डलीय समिति।

योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं अनुवीक्षण जिला, मण्डल एवं राज्य स्तर पर नियमित रूप से की जाती हैं, इस हेतु जिला योजना संरचना, कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण समितियां गठित की गई हैं, जो प्रभारी मन्त्रियों की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। इन समितियों में जनपद स्तर पर क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित कर सुझाव प्राप्त किये जाते हैं। जिला योजनाओं के लिए कुल योजना परिव्यय में से 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जाती है।

## 6.4 उत्तराखण्ड में नियोजन (Planning in Uttarakhand)

नियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत माध्यमों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आय एवं रोजगार के रूप में वृद्धि और इसके लाभ समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया गया है। इसीलिए उत्तराखण्ड के विकास की नीतियां यहाँ के भौगोलिक स्थिति के हितों को ध्यान में रखकर बनायी गयी हैं। ये नीतियां मैदानी इलाको में जितनी फलदायक हो सकती हैं, वही नीतियां पहाड़ी इलाको के लिए उतनी फलदायक नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप विकास का संकेन्द्रण कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया है। ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार ट्रिकल डाउन सिद्धांत पर चलते हुए विकास की धारा को मुख्य क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवाहित करने में प्रयासरत है। असंतुलित विकास से संतुलित विकास राज्य की एक दीर्घकालीन आकांक्षा है। जिसके लिए उत्तराखण्ड सरकार पी०पी०पी०(सार्वजनिक निजी सहभागिता) मॉडल को प्रोत्साहन देने हेतु सक्रिय भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि विकास की प्रक्रिया सामान्य हो, निरन्तर हो, जिसमें निजी भागीदारी भी इस तरह हो कि पारिस्थितिकी का क्षेत्र नष्ट न

हो पाए। पारिस्थितिकी का ध्यान रखे बिना यदि विकास की तेज दौड़ लगायी जायेगी तो यह हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। इन स्थितियों के बीच उत्तराखण्ड राज्य ने नियोजन मार्ग पर चलते हुए न सिर्फ पहाड़ी राज्यों के बीच एक मुकाम हासिल किया है बल्कि अन्य राज्यों के मध्य भी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। उत्तराखण्ड राज्य के नियोजन में जन सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

## 6.5 उत्तराखण्ड में नियोजन की उपलब्धियां (Achievements of planning in Uttarakhand)

9 नवम्बर 2000 को जब उत्तराखण्ड का निर्माण हुआ, तब नौवीं पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी। नियोजन मार्ग में राज्य अपनी बारह पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुका है। उत्तराखण्ड राज्य में नियोजन की प्रगति की समीक्षा की जाये तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कुछ क्षेत्रों में राज्य की प्रगति अच्छी तथा कुछ क्षेत्रों में संतोषजनक रही है। आर्थिक विकास दर बढ़ी है और इसमें विविधता आयी है, बचत और विनियोग में वृद्धि हुई है, कृषि ढांचे में काफी परिवर्तन हुआ है, उच्च स्तर की कुशल मानवशक्ति से प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ी है, बहुत से बैंक विहीन इलाकों एवं क्षेत्रों में अब बैंक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, राजकीय अर्द्धराजकीय और सरकारी संस्थानों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है जो कि उत्पादन, विपणन, तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन आदि में कार्य करते हैं। जीवन की गुणवत्ता के कुछ सूचकों अर्थात् जन्म-दर प्रत्याशित आयु, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर में भी अभिनन्दनीय परिवर्तन हुआ है। नियोजन में उत्तराखण्ड की प्रमुख उपलब्धियां निम्न हैं-

### 6.5.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इसके अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव से मुक्त होने के कारण स्थिर कीमतों पर ही राज्य घरेलू उत्पाद ही श्रेष्ठ मापदण्ड हैं। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद विकास दर निचले स्तर से ऊँचे स्तर में पहुँच गयी है। उत्तराखण्ड के अस्तित्व से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से भी कम थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से उत्तराखण्ड ने विकास में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। ग्यारहवीं योजना में भी उत्तराखण्ड की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9.9 प्रतिशत निर्धारित किया गया था जो राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि दर से भी अधिक था।

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर)

	7वीं योजना (1985-90)	8वीं योजना (1992-97)	9वीं योजना (1997-2002)	2002-03	2003-04	2004-05
उत्तराखण्ड विकास दर	5.6	5.0	4.4	9.92	7.61	12.99
भारत	5.7	6.5	5.5	3.84	8.52	7.74

	2005-06	2006-07	10वीं योजना (2002-07)	11वीं योजना (2007-12)	2007-08
उत्तराखण्ड विकास दर	5.66	9.84	9.92	9.9	8.67
भारत	9.52	9.57	7.8	9.0	6.70

**स्रोत: सी०एस० ओ० एवं अर्थ एवं संख्या निर्देशालय**

वर्ष 1999-2000 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2000-01 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 14,141 लाख रूपये था, जो 2005-06 में बढ़कर 21,076 लाख रूपये तथा 2009-10 के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार 29,507 लाख रूपये हो गया है। वर्ष 2009-10 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर)**

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
सकल घरेलू उत्पाद (ला. रूपए में)	12,621	14,141	14,923	16,404	17,653	19,947
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
सकल घरेलू उत्पाद (रूपए में)	21,076	23,103	25,482	26,968	29,507	

**स्रोत: सी०एस० ओ० एवं अर्थ एवं संख्या निर्देशालय**

### 6.5.2 प्रति व्यक्ति आय

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को उस वर्ष के मध्य अर्थात् 01 अक्टूबर की जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की जाती है। वर्ष 1999-2000 में प्रति व्यक्ति आय 13,516 ₹ थी जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 21,775 ₹ हो गयी थी।

#### प्रति व्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर)

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
प्रतिव्यक्ति आय	13,516	14,932	15,364	16,530	17,542	19,524
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
प्रति व्यक्ति आय	20,219	21,775	23,680	24,671	26,608	

स्रोत: सी०एस०ओ० एवं अर्थ एवं संख्या निर्देशालय

### 6.5.3 क्षेत्रवार योगदान

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन एवं वन उत्पाद, मत्स्य एवं खनन को शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माणनिर्माण तथा विद्युत, गैस एवं जल को शामिल किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भण्डारण एवं संचार, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बैंकिंग एवं बीमा, भवन निर्माण, लोक प्रशासन आदि को शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3 प्रतिशत था, जबकि उत्तर प्रदेश से अलग होकर स्वतन्त्र रूप से दसवीं योजना में प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर 2.5 प्रतिशत प्राप्त हुई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य 4 प्रतिशत रखा गया। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों का योगदान निम्न तालिका में दिखाया गया है।

#### विभिन्न योजनाओं में क्षेत्रवार योगदान

	7वीं योजना (1985-90)	8वीं योजना (1992-97)	9वीं योजना (1997-2002)	10वीं योजना (1997-2002)
प्राथमिक क्षेत्र	3.0	2.1	1.5	2.5
द्वितीयक क्षेत्र	8.6	7.9	5.7	15.9
तृतीयक क्षेत्र	7.7	5.8	6.4	8.2

स्रोत: योजना आयोग, भारत सरकार

**क्षेत्रवार योगदान (स्थिर कीमतों पर प्रतिशत में)**

क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
प्राथमिक क्षेत्र	30.0	28.21	25.44	24.09	24.30	22.56
द्वितीयक क्षेत्र	18.79	21.82	23.45	25.89	25.41	28.47
तृतीयक क्षेत्र	51.11	49.96	51.11	50.02	50.29	48.97

क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
प्राथमिक क्षेत्र	21.28	20.05	18.42	16.77	15.91
द्वितीयक क्षेत्र	29.43	31.04	31.81	32.29	34.57
तृतीयक क्षेत्र	49.29	48.90	49.77	49.94	49.52

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

**6.5.4 प्राथमिक क्षेत्र का योगदान**

इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। आठवीं योजना में कृषि विकास दर 2.1 प्रतिशत थी जबकि दसवीं योजना में विकास दर बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गयी। उत्तराखण्ड बनने से पूर्व इस क्षेत्र 1981-82 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 1214 हजार टन था। जो वर्ष 2005-06 में 1589 हजार टन हो गया। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पानी, उर्वरकों कीटनाशकों, उन्नत बीजों की पूर्ति को बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत से भी अधिक व्यय किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के कम साधन, मिट्टी की निम्न उर्वरता आदि कारण उत्तराखण्ड में तीन मैदानी जिलों (हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा देहरादून) पर ही कृषि का समस्त भार है।

**6.5.5 द्वितीयक क्षेत्र का योगदान**

इसे उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश से नवसृजित उत्तराखण्ड का यह भू-भाग वास्तविक रूप से शून्य उद्योग क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य गठन के पश्चात् भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। जिसका प्रमुख कारण अवस्थापना सुविधाओं की कमी से निवेशकों को निवेश हेतु आकर्षित न कर पाना था। विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जनवरी 2003 के लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्य औद्योगिकरण युग का सूत्रपात हुआ है। वर्ष 1999-2000 से 2006-07 के बीच कुल सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि 9 प्रतिशत रही। जिसमें सवार्षिक योगदान 17.2 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र का ही रहा। 2008-09 में इसका योगदान बढ़कर 33.29 प्रतिशत हो गया था, जो 2009-10 में 34.57 प्रतिशत हो गया है। स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, यद्यपि नौवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका था परन्तु दसवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र ने अपने

निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वृद्धि दर्ज की है। हरिद्वार, पन्तनगर, देहरादून तथा ऊधमसिंह नगर औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुए हैं। अभी तक राज्य में 26315 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी का निवेश हो चुका है। 2446 से अधिक उद्योगों द्वारा उत्पादन किया गया जिसमें 1,42,835 लोगो को रोजगार मिला हुआ है।

### 6.5.6 आधारिक संरचना

क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए आधारिक संरचना के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। हिमालय की मध्य तथा ऊपरी हिस्सों में जो बहुत पिछड़े तथा विकास से अछूते क्षेत्र हैं, वहाँ सड़कों का जाल बिछाकर बागवानी तथा पर्यटन को प्रोत्साहन दिया गया है। जिससे छोटे-छोटे गांवों की शहरी क्षेत्र एवं मन्डी तक आसानी से पहुँच हो जाये। मार्च 2009 तक पिथौरागढ़, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, टिहरी तथा चम्पावत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 14 से 21 किमी० तक बढ़ी हैं। गौचर नैनीसैनी एवं सिन्ध्याली सौर में हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। केन्द्र सरकार के सहयोग से पहाड़ पर रेल लाईन बिछाने का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। उत्तराखण्ड में कुल पक्की सड़को की लम्बाई 21,490 किमी है।

#### विभिन्न राज्यों में सड़क की उपलब्धता (किमी० में)

क्र०सं०	राज्य	प्रति लाख जनसंख्या पर	प्रति हजार वर्ग किमी० पर
1.	उत्तर प्रदेश	103.9	755.6
2.	छत्तीसगढ़	179.4	289.7
3.	झारखण्ड	13.6	47.9
4.	उत्तराखण्ड	288.4	478.1
5.	हिमाचल प्रदेश	286.6	322.5
6.	भारत	142.3	462.2

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड के साथ बने अन्य दो राज्यों की तुलना में उत्तराखण्ड की स्थिति अधिक अच्छी है। सड़क की उपलब्धता प्रति हजार जनसंख्या पर तथा प्रति हजार वर्ग किमी० पर भारत की उपलब्धता की तुलना में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर है।

### 6.5.7 ऊर्जा क्षेत्र

वर्तमान में उत्तराखण्ड में 3135 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है जबकि उत्तराखण्ड बनने से पूर्व इसका उत्पादन मात्र 1116 मेगावाट था। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। उत्तराखण्ड को 'ऊर्जा प्रदेश' बनाने में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए राज्य में दूरस्थ अविद्युतीकृत ऐसे ग्राम जहाँ वर्तमान में विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं हैं एवं विभिन्न कारणों से ग्रामों को ग्रिड लाईन से जोड़ जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, अविद्युतीकरण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों एवं तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा

हैं। उदाहरणार्थ- नीति परियोजना, चमोली मुख्यालय से गमशाली तक 110 किमी<sup>0</sup> मोटर मार्ग तथा गमशाली से नीति तक 5 किमी<sup>0</sup> मार्ग पर घट गदरे पर स्थापित की गयी हैं। परियोजना की स्थापना से कुल 54 ग्रामों को विद्युत उपलब्ध कराये गये हैं। 2000-01 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 12,563 थी जो 2008-09 में बढ़कर 15,083 गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं।

### विभिन्न राज्यों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत

क्र०सं०	राज्य	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत
1.	असम	78.57
2.	उड़ीसा	56.83
3.	भारत	82.27
4.	बिहार	52.85
5.	उत्तराखण्ड	95.98

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, गोवा के 100 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं।

### 6.5.8 शिक्षा क्षेत्र

राज्य गठन के पश्चात् राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए तीव्रतर कार्य हुआ है। बड़ी संख्या में विद्यालय खोले गये हैं। 2009-10 में प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन दर 101.76 प्रतिशत और शुद्ध नामांकन दर 99.01 प्रतिशत थी। पाठशाला त्यागने की दर पहले से घटकर मात्र 0.31 प्रतिशत रह गयी है। वर्ष 2001-02 में प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, हाई-स्कूल तथा इण्टर कॉलेज क्रमशः 121, 0, 04, तथा 03 जो 2009-10 में बढ़कर 1518, 1374, 612 तथा 313 हो गये हैं। जो मानव विकास संसाधन की दिशा में बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। 2001 से 2011 तक उत्तराखण्ड में साक्षरता 71.6 प्रतिशत से बढ़कर 79.63 प्रतिशत (अनन्तिम आकड़े) हो गयी हैं। इन दस वर्षों में महिला साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी हैं जो 59.6 प्रतिशत से बढ़कर 70.70 हो गयी है। जबकि पुरुष साक्षरता 83.3 प्रतिशत से बढ़कर 88.33 प्रतिशत हो गयी है। शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश हो जाने के बाद शिक्षण संस्थानों में मात्रात्मक रूप से अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत गुणात्मक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना तक प्रदेश में मात्र 18 पालीटेक्निक संचालित किये जा रहे थे, जबकि 11 वीं पंचवर्षीय योजना की वर्तमान अवधि तक इनकी संख्या 49 हो गई है। इन संस्थाओं के द्वारा पालीटेक्निकों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे वर्तमान औद्योगिक परिवेश के अनुरूप अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

### 6.5.9 जन्म-दर एवं मृत्यु दर

1999-2000 में उत्तराखण्ड में जन्म-दर 26.7 प्रति हजार, मृत्यु-दर 9.0 प्रति हजार तथा शिशु मृत्यु दर 61.0 प्रति हजार थी। दस वर्षों बाद इसमें गिरावट दर्ज की गयी जो क्रमशः 20.1, 6.4 तथा 44.0 हो गयी हैं।

#### उत्तराखण्ड में जन्मदर एवं मृत्युदर

वर्ष	जन्म - दर (प्रति हजार)	मृत्यु - दर (प्रति हजार)	शिशु मृत्यु - दर (प्रति हजार)
1999-00	26.7	9.0	61
2000-01	23.5	6.9	50
2006-07	30.5	7.2	42
2009-10	20.1	6.4	44

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड |

### 6.5.10 मत्स्य

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में प्रदेश के पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाये रखते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय तालाबों का निर्माण/सुधार किया जाना, मत्स्य पालन का आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करना, पर्वतीय क्षेत्रों में रनिंग वाटर यूनिट एवं रेनगेज का निर्माण किया जाना, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन, निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का सामाजिक उत्थान तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का सम्पादन प्रमुख है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 78 किलो० प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से उत्पादन किया गया था जो कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 90 किलो० प्रति हैक्टेयर, प्रति वर्ष तक करना प्रस्तावित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 8163 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 37524 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना अपेक्षित है। विभिन्न निर्माण कार्यों में 29.79 लाख मानव दिवस सृजित किये जा सकते हैं।

### 6.5.11 पेयजल व्यवस्था

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुछ मैदानी क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकतर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता को

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन विधेयक के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज्य संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ-साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। दिनांक 01.04.2010 को कुल 39967 बस्तियों में 787 गैर आबाद बस्तियां तथा 28028 बस्तियों के पूर्ण मानक (40 एल०पी०सी०डी०) से पेयजल आपूर्ति की हैं।

### 6.5.12 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) के अन्तर्गत उन 18 राज्यों पर अधिक बल दिया गया, जिनका जन-स्वास्थ्य सूचकांक एवं आधारभूत ढाँचा कमजोर है इनमें से उत्तराखण्ड राज्य भी एक है। जहाँ पेयजल सफाई तथा स्वच्छता और पोषण के साथ समन्वय कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करावाई जानी हैं। उत्तराखण्ड सरकार ने इसे गम्भीरता से अपने प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। अ-सेवित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा उपचार एवं स्वास्थ्य सेवायें पहुँचायी जा रही हैं। संकट की घड़ी में जनता को आकस्मिक चिकित्सा सहायता पहुँचाने तथा नजदीकी चिकित्सा तक ले जाने में 108 आपातकालीन निःशुल्क सेवा महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

### 6.5.13 पर्यटन

उत्तराखण्ड राज्य को देशी एवं विदेशी सैलानियों से करीब 1800 करोड़ रुपये की आय होती है। यह क्षेत्र उत्तराखण्ड के आर्थिक ढाँचे की रीढ़ की हड्डी माने जाने के साथ रोजगार सृजित करने का प्रमुख साधन है। उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम संभावनाओं के कारण विश्व पर्यटन सम्मेलन के लिए उत्तराखण्ड को परिसर स्टेट के रूप में चिन्हित किया गया है।

## 6.6 उत्तराखण्ड में नियोजन की विफलताएं (Failure of plannings in Uttarakhand)

नियोजन प्रक्रिया राज्य में सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना कायम करने में सफल हो रही हैं और राज्य में शिक्षा के अवसरों का विस्तार भी किया गया है परन्तु यह प्रत्येक योग्य व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाने में विफल हुयी हैं। यह गरीबी दूर करने में तथा आय की असमानता को कम करने में भी असफल रही है। आधारिक आर्थिक संरचना के लाभ सापेक्ष रूप से समृद्ध लोगों को ही उपलब्ध हुए हैं। विनियोग का ढाँचा, विशेषकर सामाजिक आधारिक संरचना, शहरी क्षेत्रों के पक्ष में ही विकसित हुआ है। जनसंख्या के

अनेक कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/जनजाति) को वृद्धि और विकास के लाभों में पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है। नियोजन की विफलता को निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है।

### 6.6.1 निर्धनता

---

समाजवादी आयोजन का मूल लक्ष्य राज्य में न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करना है। योजना आयोग के अनुसार उत्तराखण्ड में 2004-05 में 39.6 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं। आयोजन के इतने वर्षों के बाद भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर गरीबी का अस्तित्व गंभीर चिन्ता का विषय है।

### 6.6.2 बेरोजगारी

---

नियोजन की प्रगति के साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। 1991 में उत्तराखण्ड में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 75 हजार थी जो 2007 में बढ़कर 5.43 लाख हो गयी है, यद्यपि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने का पहला राष्ट्रव्यापी गंभीर प्रयास है परन्तु इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है।

### 6.6.3 आय असमानता

---

समृद्धि का लाभ समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों को ही हुआ है। तेजी से पनप रही काले धन की अर्थव्यवस्था ने कुछ वर्गों के हाथों में आर्थिक शक्ति केन्द्रित कर दी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थों तथा अनिवार्य उपभोग वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आय असमानता को और भी अधिक बढ़ा दिया है।

### 6.6.4 कमजोर वर्गों को एवं आर्थिक सामाजिक लाभ नहीं

---

राज्य में नियोजन की लम्बी प्रक्रिया के बाद भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों को इसका कोई विशेष आर्थिक एवं सामाजिक लाभ नहीं मिला है।

### 6.6.5 क्षेत्रीय असमानताओं में बढ़ोतरी

---

नियोजन प्रक्रिया के स्वरूप के कारण ही राज्य के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय असमानताएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसका प्रमुख कारण संसाधनों का कुशल आवंटन और उनका अनुकूलतम उपयोग न होना है असंतुलित विकास ने उत्तराखण्ड को पर्वतीय बनाम मैदानी क्षेत्रों के रूप में बांट दिया है।

## 6.7 उत्तराखण्ड में नियोजन की समीक्षा (Review of planning in Uttarakhand)

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हमारे सामने उत्तराखण्ड का नियोजन दोहरी तस्वीर प्रस्तुत करता है एक तरफ जनसंख्या की वृद्धि के बावजूद सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय एक सामान्य वृद्धि दर कायम रखी गयी हैं तो दूसरी ओर बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और लगभग 40 प्रतिशत लोग आज भी निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं।

## 6.8 उत्तराखण्ड में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (Eleventh Five Year Plan in Uttarakhand)

एक विश्व की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों तथा निरन्तर बढ़ती बाजारोन्मुखी व्यवस्था द्वारा निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी ओर सरकार लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरन्तर प्रयासरत है। इन्हीं संकल्पनाओं को पिरोकर भारत सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। उत्तराखण्ड में भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की जा चुकी है। जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। भारतीय परिदृश्य पर यद्यपि उत्तराखण्ड एक छोटा सा राज्य है परन्तु इसकी अपनी कुछ विशेषताएं एवं विकास की असीम संभावनाओं ने इसे अन्य पहाड़ी राज्यों से अलग स्थान दिलाया है। मनीआर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से प्रचलित उत्तराखण्ड राज्य में युवाओं को जीवकोपार्जन अवसर उपलब्ध कराना तथा उनके पलायन को रोकना उत्तराखण्ड राज्य के लिए यह एक चुनौती भरा काम था जिसे पूरा करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना की तरह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। जिससे राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में वृद्धि हो, रोजगार सुलभ तथा प्रति व्यक्ति की आय बढ़े जिससे पलायन को रोका जा सके। इसके लिए उत्तराखण्ड सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास की रणनीति पर कार्य कर रही है।

## 6.9 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य (Objectives of the Eleventh Five Year Plan)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं।

1. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 99 प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र

- उद्योग एवं तृतीयक क्षेत्र सेवा की क्रमशः 13 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 11 प्रतिशत वार्षिक औसत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. योजना आयोग के अनुसार राज्य में वर्ष 2006-07 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या 38.8 प्रतिशत थी, जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् वर्ष 2011-12 तक 23.6 प्रतिशत तक लाने का संकल्प व्यक्त किया गया है।
  3. राज्य में कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दरा 2.62 प्रतिशत है, जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 प्रतिशत तक लाने का प्रयास होगा।
  4. विशेष आर्थिक जोनो की स्थापना की ओर ध्यान देने के लिए औद्योगिक नीति तैयार की जायेगी। 'सेज' के मूल्यांकन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का सुझाव रखा गया है।
  5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में 6.41 लाख अतिरिक्ति रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें जायेंगे।
  6. आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कदम उठाये जायेंगे। सड़कों का चौड़ीकरण एवं अपग्रेडेशन किया जायेगा। शहरी विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जे०एन०एन०यू०आर०एम० द्वारा 63 शहरों का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा।
  7. विकास का लाभ सभी वर्गों तथा विषम भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुँचाना है।

## 6.10 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति (Strategies of Eleventh Five Year Plan)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है। ग्यारहवीं योजना की विकास कूटनीति का आधार पिछले वर्षों के लाभों को और आगे बढ़ाना एवं पिछली योजनाओं में उजागर हुयी कमियों को दूर करने का प्रयास करना है। नई चुनौतियों का सामना करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अपनायी गयी रणनीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं –

### 6.10.1

भौतिक एवं आधारीक संरचना की आवश्यकता विकास प्रक्रिया की प्रथम शर्त है। भौतिक सामाजिक संरचना के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, कृषि विपणन सुविधाएं, वित्तीय संस्थाओं के विस्तार पर बल जबकि सामाजिक आधारीक संरचना के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर बल दिया गया है। जिससे विकास हेतु मानव संसाधन को सृजित किया जा सके। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए आधारीक संरचना के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। हिमालय की मध्य तथा ऊपरी हिस्सों में जो बहुत पिछड़े तथा विकास से अछूते हैं, वहाँ सड़कों का जाल बिछाकर बागवानी तथा पर्यटन को प्रोत्साहन देना है जिससे इन छोटे-छोटे गांव की शहरी क्षेत्र एवं मन्डी से आसानी से पहुँच हो जाये। उत्तराखण्ड सरकार अवसंरचना के विकास के लिए पी०पी०पी माँडल्स के अनुसरण का प्रयास करेगी। जिसके अन्तर्गत

आर्थिक क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारियों को कम किया जायेगा। आधारीक संरचना के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा, किन्तु सामाजिक क्षेत्र में सरकार को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

### 6.10.2

ग्यारहवीं योजना की विकास की रणनीति उन क्षेत्रों के विकास को अवश्य सुनिश्चित करेगी, जो रोजगार पैदा करने की संभावना रखते हैं। सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र, निर्माण, पर्यटन, यातायात, लघु उद्योग एवं अन्य नयी सेवाओं आदि को प्रोत्साहित कर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जायेगा।

### 6.10.3

प्रत्यक्ष करों में प्रक्रियात्मक सुधारों का लक्ष्य, कराधान का विस्तार कर अनुपालन में सुधार तथा कर प्रशासन को और अधिक दक्ष बनाया जायेगा।

### 6.10.4

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार किया जायेगा, जो औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास हेतु सरकारी नीतियों में न सिर्फ उदारता लायी जायेगी बल्कि कर छूट में विभिन्नता लायी जायेगी।

### 6.10.5

उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिकी मुख्यतया कृषि आधारित है। जिसमें पशुपालन का ग्रामीण विकास एवं पशु आधारित उत्पादों यथा दूध, अण्डा, मांस एवं ऊन आदि के उत्पादन से राज्य की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाना। पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें रोजगारना। पशुओं के आनुवांशिक गुणों में वृद्धि स्वरोजगार के संसाधन सुलभ करा/ सुरक्षित/करना तथा पशुधन की स्थानीय नस्लों को संरक्षित रखने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना। दूध, अण्डा, कुक्कुट मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना तथा मानव आहार में पशुजन्य प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना। पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण पशुपालकों को पोषण समर्थन एवं उनकी पूरक आय में वृद्धि करना तथा उनके लिए ग्रामीण

परिवेश में रोजगार के संसाधन उत्पन्नमें वृद्धि के लिए पोषण तथा उत्पादन-सृजित करना। पशुओं के भरण/पशु आहार तथा चारा स्रोतों में बढ़ोत्तरी करना और उनके लिए सस्ता पशुआहार विकसित करना।

### 6.10.6

---

उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को देखते हुये इस क्षेत्र के सुनियोजित, त्वरित एवं समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं पर बल दिया जायेगा। संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि, मानव संसाधन विकास, तीर्थाटन विकास, सांस्कृतिक पर्यटन का विकास, ईको टूरिज्म का विकास, ग्रामीण पर्यटन, विश्रामपरक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सोविनियर विकास एवं इनर लाइन पर पुनर्विचार कर पर्यटन का विकास किया जायेगा।

### 6.10.7

---

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को सुधारना, आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना सम्मिलित है।

### 6.10.8

---

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में प्रदेश के पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाये रखते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय तालाबों का निर्माणसुधार किय/ा जाना, मत्स्य पालन का आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करना, पर्वतीय क्षेत्रों में रनिंग वाटर यूनिट एवं रेसवेज का निर्माण किया जाना, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन, निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का सामाजिक उत्थान तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का सम्पादन प्रमुख है।

### 6.10.9

---

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 78 किलो0 प्रति हैं कटेयर प्रति वर्ष की दर से उत्पादन किया गया था जो कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 90 किलो० प्रति हैं कटे, प्रति वर्ष तक करना प्रस्तावित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 8163 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 37524 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना अपेक्षित है। विभिन्न निर्माण कार्यों में 29.79 लाख मानव दिवस सृजित किये जा सकते हैं।

### 6.10.10

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में जलविद्युत परियोजनाओं के अनुसंधान एवं नियोजन, निर्माण एवं रखरखाव कार्य, नहरों एवं गूलों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य, नलकूपों एवं लिट सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव कार्य, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का निर्माण एवं रखरखाव कार्य, जल संसाधन एवं जलविद्युत संरचनाओं के परिकल्पन एवं शोध संबंधी कार्य, जल संसाधन एवं जलविद्युत परियोजनाओं के हाइड्रोमैकेनिकल संयंत्रों का फैब्रिकेशन एवं इरैक्शन कार्य, अभियन्ताओं के लिये प्रशिक्षण एवं प्रत्यास्मरण कार्यक्रम का आयोजन, जल संवर्द्धन एवं संरक्षण के अन्तर्गत जलाशयों का निर्माण, नरेगा के अन्तर्गत झीलों के सौन्दर्यकरण तथा सुदृढिकरण एवं तालो का पुनरोद्धार का कार्य प्रमुख है।

### 6.10.11

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये विभाग द्वाराकेन्द्र - : तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों का परिपालन सुनिश्चित किया जाना है। औद्योगिक न्न योजनाओं को सम्बन्ध में समन्वय एवं स्थिरता बनाये रखने का प्रयास करना। सामाजिक सुरक्षा के विभि क्रियान्वयन करना है।

## 6.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वित्त पोषण (Funding in the Eleventh Five Year Plan)

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित चुनौतियां इंगित की गई हैं -

### 6.11.1

केन्द्र और राज्यों की समस्त योजनाओं के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद के कुल संसाधनों के औसत में वृद्धि करके ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद के औसत में वृद्धि करना।

### 6.11.2

योजना के लिए कुल संसाधनों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और राजकोषीय घाटे को प्रत्येक मद पर 3 प्रतिशत तक कम करना।

### 6.11.3

राज्य के योजना संसाधनों में अनुमानित वृद्धि से अधिक की वृद्धि होनी है। इन लक्ष्यों को उपलब्धि योजना के वित्त पोषण में अति महत्त्वपूर्ण है। असली चुनौती लक्षित व्यय में आ रही कमियों को सुधारने में निहित है ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

## 6.12 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का वित्त प्रबन्ध (Financial management of the eleventh five year plan)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय (वर्ष 2006-07 की कीमतों पर करोड़ में)

क्र०स०	क्षेत्र	कुल परिव्यय	कुल प्रतिशत
1	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	4564.47	10.67
2	ग्रामीण विकास	2483.90	5.80
3	विशेष क्षेत्र कार्य मे	61.12	0.14
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक	2661.10	6.22
5	उर्जा	4966.05	11.60
6	उद्योग एवं खनिज	324.25	0.76
7	परिवहन	8376.66	19.75
8	संचार	0.00	0.00
9	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	590.13	1.38
10	सामान्य आर्थिक सेवायें	1567.35	3.66
11	सामाजिक सेवायें	16547.89	38.67
11.1	शिक्षा	4323.85	10.10
11.2	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2189.01	5.11
11.3	फल आपूर्ति एवं सफाई	2582.72	6.03
11.4	आवसन	417.34	0.98
11.5	शहरी विकास	3502.72	8.18
11.6	अन्य सामाजिक सेवायें	3532.25	8.25
12	सामान्य सेवायें	655.41	1.53

	कुल	42798.25	100.00
--	-----	----------	--------

स्रोत: योजना आयोग, भारत सरकार

तालिका से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं पर 60 प्रतिशत एवं सामाजिक सेवाओं पर 40 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है। आर्थिक सेवाओं में परिवहन तथा ऊर्जा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी है जिन पर क्रमशः 19.57 तथा 11.6 प्रतिशत व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जबकि कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र पर 10.67 प्रतिशत व्यय किया जायेगा। सामाजिक सेवाओं में सर्वाधिक व्यय शिक्षा पर किया जायेगा।

#### ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का वार्षिक परिव्यय

वर्ष	अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय
2007-08	4378.63	3944.88
2008-09	4775.00	3653.57
2009-10 (स्वीकृत)	5800.81	4700.00
2010 - 11 (प्रस्तावित)	6801.00	-

स्रोत: योजना आयोग, भारत सरकार

उत्तराखण्ड राज्य को पहाड़ी राज्य का दर्जा प्राप्त है अतः यह अपने वित्तीय स्रोतों के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भर है। राज्य के अपने करों एवं गैर-करों से प्राप्त राजस्व का भी आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। निम्न तालिका में राजकोषीय संकेतकों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में व्यक्त किया गया है।

### 6.13 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यवर्ती समीक्षा (Mid-term review of the Eleventh Five Year Plan)

कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में खरीफ में विलंबित मानसून के बावजूद में चावल की उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जिसके कारण धान का उत्पादन 6.80 लाख मै0टन प्रतिवेदित हुआ है। इसी प्रकार गेहूँ जो राज्य की मुख्य फसल है, में भी 8.45 लाख मै0टन का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है। प्रतिकूल वातावरण के बावजूद कृषि विभाग ने अपने अथक प्रयासों से कृषि उत्पादनों को प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2008-09 में 17.64 लाख मी0टन तथा वर्ष 2009-10 में 17.94 लाख मी0टन खाद्यान्न उत्पादित किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि के प्रोत्साहन के माध्यम से कृषि उत्पादन की वार्षिक दर 4: तक प्राप्त करना है। वर्ष 2010-11 में 4663 आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 1645 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिसमें 10971 महिलाओं को मानदेय सेवा में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सहायता समूह महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अपने चार वर्ष पूर्ण कर चुकी है। परन्तु उत्तराखण्ड सरकार अपने निर्धारित लक्ष्यों से बहुत दूर है। राज्य के समक्ष यह चुनौती है कि समस्त लक्ष्यों को निर्धारित समय में कैसे पूरा किया जाये।

## 6.14 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

### रिक्त स्थान भरें -

1. अर्थ एवं संख्या निदेशालय का मुख्यालय..... में है।
2. प्राथमिक क्षेत्र को .....क्षेत्र भी कहते हैं ।
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तराखण्ड की ..... प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।
4. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल.....से 31 मार्च तक है।
5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय ..... मद पर किया गया है।

### लघु प्रश्न-

1. उत्तराखण्ड राज्य कब से अलग राज्य बना है?
2. प्राथमिक क्षेत्र के उप-क्षेत्र कौन-कौन से हैं?
3. पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों के लिए बनायी जाती है?
4. प्रतिव्यक्ति आया ज्ञात करने का सूत्र लिखिये ?
5. दसवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तराखण्ड ने कितने प्रतिशत विकास दर प्राप्त की?
6. 2009-10 में उत्तराखण्ड की जन्म दर एवं मृत्यु - दर कितनी है?
7. उत्तराखण्ड के कितने प्रतिशत गांव का विद्युतिकरण हो चुका है?

## 6.15 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं आर्थिक विकास की यात्रा में यदि हम पीछे मुड़कर देखे तो यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि नियोजन के महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए हैं। सवार्धिक अभिप्रेरित लक्ष्य आज भी प्रायः उतने ही दूर दिखाई देते हैं जितने कि वे योजनाबद्ध विकास के मार्ग में हमारी यात्रा के प्रारम्भ में थे। सातवीं योजना के बाद मानव संसाधन का विकास, पूर्ण रोजगार, गरीबी दूर करना, सम-समाज की स्थापना करना हो गया है। इसीलिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में इन्हें प्राथमिकता दी गयी है। बदलते आर्थिक माहौल में आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार एवं निजी सहभागिता आज की प्रथम आवश्यकता हैं। उल्लेखनीय है कि बाजार तन्त्र केवल मांग और पूर्ति में संतुलन बैठाता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यकता और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करती है। उत्तराखण्ड सरकार को अपनी विफलताओं को सामने रखकर पर्वतीय क्षेत्रों से आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गंगा को मैदानी क्षेत्रों की ओर लाना चाहिए। तभी नियोजन सफल नियोजन कहलायेगा।

## 6.16 शब्दावली (Glossary)

- ❖ **जन्म-दर** - किसी क्षेत्र में किसी वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म-दर कहलाती है।

- ❖ **मृत्यु-दर** - किसी क्षेत्र में किसी वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र की मृत्यु - दर कहलाती है।
- ❖ **प्रतिव्यक्ति आय** - किसी एक देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर ज्ञात करते हैं।

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{कुलजनसँख्या}}$$

- ❖ **अध्यात्मिक संरचना** - परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, जल विद्युत, रेल, शिक्षा, चिकित्सा, शोध एवं तकनीकी संस्थाओं आदि को शामिल करते हैं।
- ❖ **राष्ट्रीय आय**-एक वर्ष में एक राज्य द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर जितनी अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उसके मौद्रिक मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पादन कहते हैं।

### 6.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

उत्तर: 1. देहरादून 2. कृषि क्षेत्र 3. 9.9 प्रतिशत 4. 2007 से 2012 5. परिवहन

### 6.18 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- उत्तराखण्ड विकास रिपोर्ट, 2010, योजना आयोग, भारत सरकार।
- राज्य सरकार की वार्षिक योजना 2010-11
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा, भाग-1
- मेहता, जी०एस०, डेवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखण्ड: इश्यूज़ एन्ड प्रेसपेक्टिवस (1999), ए०पी०एच० पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।

### 6.19 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री /Useful/Helpful Text)

- Kapila, Uma (2008-05), India's Economic Development Since 1547, Academic Foundation.
- Mishra, S.K. and V. K. Puri (2010) Problems of Indian Economy, Himalaya Publishing
- Kapila, Uma (2008-05), Indian Economy, Academic Foundation House.

### 6.20 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों को सविस्तार समझाइये?
2. आयोजन की विफलतायें क्या हैं और इसके निराकरण हेतु सुझाव दीजिए?
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पर एक निबन्ध लिखिये ?

---

## इकाई 7: गरीबी और बेरोजगारी (Poverty and unemployment)

---

- 7.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 7.2 उद्देश्य (Objectives)
- 7.3 निर्धनता का अर्थ (Meaning of poverty)
- 7.4 आर्थिक संवृद्धि तथा गरीबी (Economic growth and poverty)
- 7.5 निर्धनता के कारण (Causes of poverty)
- 7.6 उत्तराखण्ड में निर्धनता निवारक कार्यक्रम (Poverty alleviation programs in Uttarakhand)
- 7.7 रोजगार सजित करने वाले कार्यक्रमों का मूल्यांकन (Evaluation of employment generating programs)
- 7.8 बेरोजगारी का अर्थ (Meaning of unemployment)
- 7.9 बेरोजगारी की प्रकृति (Nature of unemployment)
- 7.10. उत्तराखण्ड में बेरोजगारी (Unemployment in Uttarakhand)
- 7.11 बेरोजगारी के कारण (Causes of unemployment)
- 7.12 बेरोजगारी को दूर करने के सुझाव (Suggestions to eliminate unemployment)
- 7.13 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 7.14 सारांश (Summary)
- 7.15 शब्दावली (Glossary)
- 7.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 7.17 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 7.18 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री /Useful/Helpful Text)
- 7.19 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

## 7.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह सातवीं इकाई है। इससे पहले की इकाई के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि नियोजन का अर्थ क्या है? आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां एवं विफलतायें क्या हैं? ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनायी गयी है। उत्तराखण्ड में निर्धनता एवं बेरोजगारी का क्या अर्थ है? निर्धनता एवं बेरोजगारी के क्या कारण हैं? उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये हैं। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखण्ड की निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारणों को समझ सकेंगे तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाये जाने वाले रोजगार कार्यक्रमों का विशद विश्लेषण कर सकेंगे।

## 7.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ बता सकेंगे कि उत्तराखण्ड में निर्धनता एवं बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं।
- ✓ समझा सकेंगे कि किस प्रकार से राज्य में निर्धनता एवं बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।
- ✓ सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का विशद विश्लेषण कर सकेंगे।
- ✓ समझा सकेंगे कि निर्धनता रेखा एवं बेरोजगारी की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है।

## 7.3 निर्धनता का अर्थ (Meaning of poverty)

जब समाज का एक बहुत बड़ा अंग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है और निर्वाह स्तर पर गुजारा - करता है तो यह कहा जाता है कि समाज में व्यापक निर्धनता या गरीबी विद्यमान है।

### 7.3.1 सापेक्ष निर्धनता

सापेक्ष गरीबी के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह स्तर की तुलना करके गरीबी का पता लगाया - स्तर नीचा होता है- जा सकता है। जिस समाज या वर्ग में लोगों का निर्वाह, वे उच्च निर्वाहस्तर वाले लोगों - स्तर को आय-की तुलना में गरीब माने जाते हैं। निर्वाह या उपभोग व्यय के रूप में मापा जाता है।

### 7.3.2 निरपेक्ष निर्धनता

निरपेक्ष निर्धनता से तात्पर्य उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ है, उन परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है।

### 7.3.3 भारत में गरीबी रेखा का अभिप्राय

योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के अनुसार - "ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2,400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2,100 कैलोरी प्रतिदिन का पोषण प्राप्त न करने वाला व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है।" प्रो० डी०टी० लकड़वाला ने अपने फॉर्मूले में शहरी निर्धनता के आंकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्यों हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया है। लकड़वाला फॉर्मूले के तहत सभी राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धनता रेखा निर्धारित की है। इस प्रकार लकड़वाला ने 35 निर्धनता रेखायें बतायी हैं। हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर के सैम्पल के आधार पर 2004-05 में गरीबी के अनुपात 30 दिन की समान स्मरण अवधि को आधार बनाकर तैयार किये गये हैं। 365 दिन के पुनः स्मरण के आधार पर बार-बार क्रय की जाने वाली खाद्य मदों अर्थात् कपड़ा, जूते, चिरस्थायी वस्तुएं, शिक्षा और चिकित्सा और शेष मदों को 30 दिन की पुनः स्मरण अवधि के साथ मिश्रित स्मरण अवधि के आधार पर उपलब्ध है। योजना आयोग ने इस आधार पर गरीबी के निम्न अनुमान तैयार किये हैं।

#### 2004-05 में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों की संख्या और अनुपात (समान पुनः स्मरण अवधि में उपभोग के आधार पर)

राज्य	ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिशत	ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	शहरी व्यक्तियों का प्रतिशत	शहरी व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	कुल व्यक्तियों का प्रतिशत	कुल व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)
उत्तराखण्ड	40.8	211.1	36.5	8.9	39.6	36.0
भारत	28.3	2209.2	25.11	808.0	211.5	30111.2

उपर्युक्त से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-

समान स्मरण अवधि पर आधारित गरीबी के अनुमान के अनुसार 2004-05 में उत्तराखण्ड में ग्राम जनसंख्या का 40.8 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 36.5 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे था, जबकि उत्तराखण्ड में कुल जनसंख्या का 39.6 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे थे। उत्तराखण्ड में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धनता रेखा से नीचे की रहने वालों की आर्थिक गणना अलग से की जाती है। गणना का मुख्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र ही होता है। इस आर्थिक गणना के अनुसार, 1991 में ग्रामीण क्षेत्रों में 36.44 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहते थे जबकि 2002 की आर्थिक गणना में यह अनुपात घटकर 31.48 प्रतिशत रह गया है। इससे पहले की गणना में अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1999-2000 में 32.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। उत्तराखण्ड बनने के बाद दसवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को कम करने के प्रयास किये गये जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 23.6 प्रतिशत तक लाने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

### 7.3.4 गरीबी रेखा की पुनर्परिभाषा

प्रो० सुरेश तेन्दुलकर की अध्यक्षता में गरीबी रेखा के मापन हेतु कार्य पद्धति को पुनर्परिभाषित करने हेतु समिति गठित की गयी। इस समिति ने पुरानी पद्धति को बदलने की इस आधार पर सिफारिश की, कि

- ❖ 1980 के बाद लोगों की उपभोग प्रवृत्तियां बदल गयी है
- ❖ बढ़ती कीमतों का समायोजन नहीं हो पा रहा है।
- ❖ बुनियादी जरूरतों जैसे- शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजी व्यय को शामिल नहीं किया जाता है।

इस आधार पर प्रो० तेन्दुलकर ने यह सुझाव दिया कि न केवल कीमत सूचकांक को अधिक वैज्ञानिक और उपर्युक्त तरीके से उपयोग में लाते हुए गरीबी की रेखा को परिभाषित करने के लिए नयी कार्य पद्धति बनायी जाये और गरीबों को उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को भी वृद्ध किया जाये, ताकि गरीबों द्वारा और स्वास्थ्य पर किये गये व्यय को भी शामिल किया जा सके। सरकार द्वारा प्रो० तेन्दुलकर की सुझावों को द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्रो० तेन्दुलकर की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के निर्धनता के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया है। योजना आयोग द्वारा एन एस एस ओ के विश्लेषण के आधार पर 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्रों में 446.68 प्रतिमाह व शहरी क्षेत्र में 5118.80 ₹ प्रतिमाह से कम उपभोग व्यय करने वाले को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। योजना आयोग ने उत्तराखण्ड के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में 486.24 ₹ प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्र में 602.39 ₹ प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय निर्धारित किया है।

प्रो० तेन्दुलकर की सिफारिशों के आधार पर 2004-05 में ग्रामीण भारत में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 41.8 तथा शहरी क्षेत्रों में 25.11 प्रतिशत तथा कुल 311.2 प्रतिशत है।

#### गरीबों की संख्या का अनुपात

	1993-94			2004-05		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
उत्तराखण्ड	40.8	36.5	32.0	35.1	26.2	32.11
भारत	50.1	31.8	45.3	41.8	25.11	311.2

2004-05 में उत्तराखण्ड में 32.11 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। जबकि पहले के अनुमान के आधार के अनुसार 39.6 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। प्रो० तेन्दुलकर की सिफारिशों को यदि आधार माना जायें तो उत्तराखण्ड में निर्धनता के अनुपात में कमी आयी है। निर्धनता में यह कमी ग्रामीण एवं शहरी अनुपात में भी दिखाई देती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में यह अनुपात पहले क्रमशः 40.8 एवं 36.5 प्रतिशत था जो अब घट कर क्रमशः 35.1 एवं 26.2 प्रतिशत रह गयी है। उल्लेखनीय है कि तेन्दुलकर की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड में 1993-94 की तुलना में 2004-05 में निर्धनता में वृद्धि हुयी है।

#### 7.4 आर्थिक संवृद्धि तथा गरीबी (Economic growth and poverty)

अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि जब विकास की दर बढ़ती है तो गरीबी धीरे-धीरे कम होने लगती है। आर्थिक संवृद्धि का लाभ स्वतः रिस-रिस कर जनसंख्या के सभी वर्गों को प्राप्त हो जाता है जिससे गरीबी अपने-आप कम हो जाती है। इसे रिसाव प्रभाव कहते हैं जबकि अन्य अर्थशास्त्रियों का मत है कि संवृद्धि की दर यदि कम होती है तो रिसाव प्रभाव न्यूनतम होती है। आर्थिक विकास के साथ गरीबी में कम होने वाला प्रतिशत बहुत कम है।

#### 7.5 निर्धनता के कारण (Causes of poverty)

उत्तराखण्ड की प्रारम्भ की योजनाओं में निर्धनता को कम करना प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं था। जबकि पांचवी योजना में यह कल्पना की गयी कि राष्ट्रीय आय की तीव्र वृद्धि दर पूर्ण रोजगार को कायम करेगी और रहन-

सहन का स्तर ऊँचा उठायेगी। परन्तु विकास के साथ-साथ निर्धनता में कोई विशेष कमी नहीं आयी है निर्धनता के प्रमुख कारण निम्न है-

### 7.5.1 पिछड़ी कृषि अवस्था

उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी कुल कार्यकारी जनसंख्या का दो तिहाई कृषि कार्यों से सम्बद्ध है। इसके पिछड़ने का मूल कारण यह है कि राज्य के कृषक आज भी कृषि के पुराने तरीकों द्वारा ही कृषि कार्य करते हैं, उनके कृषि उपकरण भी परम्परागत ही हैं, साथ ही कृषि की सिंचाई भी पुराने साधनों से ही की जाती है।

### 7.5.2 प्राकृतिक प्रकोप

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था प्रकृति की कृपा पर निर्भर है। कोई न कोई प्राकृतिक प्रकोप बना रहता है। कभी राज्य को विकराल सूखे का समाना करना पड़ता है, कभी भूकम्प, तो कभी अतिवृष्टि उसकी फसल को समूल नष्ट कर देती है। कभी कीड़े-मकोड़े और प्रतिकूल जलवायु कृषक को अनाज के दाने-दाने के लिए मोहताज कर देती है।

### 7.5.3 बेरोजगारी

नियोजन काल में बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा इसी के साथ-साथ निर्धनता भी बढ़ती गयी है।

### 7.5.4 असमानता

अल्पविकास और असमानता, निर्धनता के दो जुड़वां कारण हैं। नियोजन काल में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण में वृद्धि के कारण निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात 39.6 प्रतिशत हो गया है।

### 7.5.5 जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर

नियोजन काल में मृत्युदर में तो गिरावट आयी है लेकिन जन्मदर में कोई बहुत अधिक गिरावट नहीं आई। परिणामस्वरूप 60 वर्षों में राज्य की जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हो गयी है, जबकि गरीबी अनुपात में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। इसका मूल कारण यह है कि नियोजित विकास द्वारा राज्य ने जो कुछ भी अर्जित किया है, उसमें से अधिकांश का उपभोग बड़ी हुई जनसंख्या द्वारा कर लिया गया है और आर्थिक विकास के लिए बहुत थोड़े साधन शेष रह जाते हैं।

### 7.5.6 अपर्याप्त विकास दर

अपर्याप्त विकास दर के कारण राज्य में नियोजन निर्धनता को हटाने में विफल रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ हो जाने के बाद भी कृषि विकास की औसत

वार्षिक दर और औद्योगिक विकास की दर की स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है। जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर के कारण प्रति व्यक्ति औसत आय में भी बहुत कम वृद्धि हुई है।

### 7.5.7 पूंजी की कमी

उत्तराखण्ड राज्य में व्याप्त निर्धनता का एक कारण यहाँ पूंजी की कमी होना भी है। पूंजी की यह कमी राज्य के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई है। पूंजी की कमी के अनेक कारण हैं; जैसे- प्रति व्यक्ति न्यून आय, बचत की क्षमता का अभाव, अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं आदि। उत्तराखण्ड में पूंजी उपलब्धियां भी हुई हैं किन्तु उन उपलब्धियों को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

### 7.5.8 अकुशल श्रमिक

उत्तराखण्ड राज्य में अकुशल श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। इससे राज्य का श्रमिक निर्धनता के कारण न तो सामान्य शिक्षा ही प्राप्त कर पाता है और न ही तकनीकी शिक्षा ही ले पाता है, परिणामस्वरूप एक कुशल श्रमिक की तुलना में उसकी कार्यक्षमता अत्यधिक कम होती है। कार्यक्षमता की कमी का प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है, फलस्वरूप वे निर्धनता से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते।

### 7.5.9 यातायात एवं संचार साधनों का अभाव

देश की आजादी के 60 वर्षों के उपरान्त आज भी उत्तराखण्ड राज्य के बहुत से गांव, मुख्य नगरों एवं कस्बों से नहीं जुड़ पाए हैं। राज्य के अत्यधिक पिछड़े हुए गांवों का किसान आज भी अपनी उपज मंडियों एवं बाजारों में नहीं ले जा पाता। अतः उन्हें अपने माल की सही कीमत नहीं मिल पाती जिससे ऐसे किसानों में निर्धनता सदैव बनी रहती है। राज्य के बहुत से गांव आज भी यातायात - संचार के साधनों से पूरी तरह वंचित है।

### 7.5.10 निरक्षरता

भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग निरक्षर है। ये निरक्षरता उनमें अज्ञान को जन्म देती है, अशिक्षित और अज्ञानी व्यक्ति में तार्किक दृष्टिकोण का अभाव होने के कारण वह उचित - अनुचित का चयन करने में समर्थ नहीं होता, इसका परिणाम उन्हें अपने शोषण के रूप में भुगतना पड़ता है।

### 7.5.11 निम्न स्वास्थ्य

उत्तराखण्ड राज्य में आज भी चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव है। जनसंख्या के उस बड़े भाग को जो निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे का जीवनयापन कर रहा है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं

### 7.5.12 सामाजिक कुप्रथाएं

उत्तराखण्ड राज्य में अनेक ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं का प्रचलन है जो इस राज्य के निवासियों को निर्धन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक भारतीय विविध त्योंहारो, विवाह समारोह, मृत्यु भोज एवं अन्य ऐसी ही प्रथाओं पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए धन का अपव्यय करता है। राज्य के अधिकांश लोग यह कार्य कर्ज लेकर करते हैं और कर्ज के भुगतान में ही उनका सम्पूर्ण जीवन और जायदाद समाप्त हो जाती है।

## 7.6 उत्तराखण्ड में निर्धनता निवारक कार्यक्रम (Poverty alleviation programs in Uttarakhand)

गरीबी को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी अनेक गरीबी निवारक कार्यक्रम चलाये हुए हैं जिससे लोगों की आय का सृजन हो। इसमें से अधिकांश कार्यक्रम भौतिक सम्पदा के निर्माण जैसे- ग्रामीण आधारीक संरचना के अन्तर्गत सड़क, पीने को पानी की सुविधाओं, सीवरेज आदि से जुड़े हैं जबकि अन्य को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना तथा व्यापार प्रारम्भ करने हेतु सहायता प्रदान करना है। स्वयं सहायता समूह भी लोगों के सतत् विकास हेतु प्रयत्नशील हैं। गरीबी निवारक कार्यक्रम निम्न हैं-

### अस्थायी रोजगार सृजित करने वाले कार्यक्रम

जवाहर समृद्धि योजना, दस लाख कुआं योजना, रोजगार गारंटी योजना, काम के बदले आनाज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०), भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (एन०आर०ई०जी०पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम (2005 )।

### सतत् रोजगार एवं आय सृजित कार्यक्रम

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयंसिद्धा प्रोजेक्ट, संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण वन प्रबन्धन कमेटी, सूक्ष्म वित्त एवं प्रबन्धन द्वारा लाभार्थी का व्यापक आर्थिक सुधार।

### जीविका की लागत कम करने वाले कार्यक्रम

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वजल धारा (ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की सुनिश्चितता करना), इन्दिरा आवास योजना। इनमें से मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्न है -

### 7.6.1 जवाहर रोजगार योजना

एन०आर०ई०पी० तथा एन०आर०ई०जी०पी० को मिलाकर 1989 में जे०आर०वाई० प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार महिलाओं एवं पुरुषों को ग्रामीण आधारीक संरचना के

द्वारा रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण निर्धनों के अनुपात में ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को संसाधनों का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रमुखता दी गयी है। जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम का लाभ वर्ष में कभी भी, जब कृषि कार्य न हो रहा हो, प्रत्येक परिवार को एक निश्चित अवधि में (3 वर्ष की अवधि) में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को योजना का लक्ष्य बनाया गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खण्ड में रहने वाले ग्रामीण गरीबों में से 30 प्रतिशत को इस योजना के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। योजना में दी जाने वाली धनराशि केन्द्र और राज्य सरकारें 115:25 के अनुपात में विभाजित करेंगी। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं- प्रत्येक विकास खण्ड पर चार या पाँच मुख्य ऐसी गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा करने का प्रावधान है जो स्थानीय संसाधनों, शिल्प और विपणन उपलब्धता के अनुरूप हों, ताकि स्वरोजगारी अपने विनियोग से लाभकारी आय प्राप्त कर सकें। ऐसी मुख्य गतिविधियों द्वारा गरीबों को संगठित करके स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना है। एक स्व-सहायता समूह में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित 10-20 व्यक्ति हो सकते हैं तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। लघु सिंचाई योजनाओं, दुर्गम क्षेत्रों (पहाड़ी इलाकों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों) में तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 तक हो सकती है। इस स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को वरीयता प्रदान की गई है। यह योजना एक ऋण एवं सब्सिडी योजना है, जिसमें ऋण एक प्रमुख तथ्य है, जबकि सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत के एक समान दर पर होगी, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 11500 रुपये होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यह सीमा /50 प्रतिशत या 10,000 रुपये होगी। स्वयं सहायता समूहों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन अधिकतम 1.25 लाख रुपये होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी कार्यान्वयन है।

### 7.6.2 रोजगार आश्वासन योजना

रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों के 2511 जिलों के 1111118 विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई थी। बाद में यह योजना चरणबद्ध रूप से देश की शेष पंचायत समितियों में भी लागू की गई और अन्ततः 1991-98 में इसे सार्वभौमिक कर देश की सभी 5448 ग्रामीण पंचायत समितियों को इसमें शामिल किया गया। सभी विकास खण्डों में चलाई जा रही इस योजना का 1 अप्रैल 1999 से पुनर्गठन किया गया है। अब यह देशभर में जिला/विकास खण्ड स्तर पर चलाए जाने वाला मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसमें मजदूरों के पलायन से ग्रस्त इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जरूरतमन्द प्रत्येक परिवार से अधिकतम दो युवाओं को 100 दिन तक का लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना का दूसरा गौण उद्देश्य पर्याप्त रोजगार तथा विकास के

लिए आर्थिक अधोसंरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। इस योजना का व्यय 115:25 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

### 7.6.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम 2005

नरेगा के नाम से प्रसिद्ध यह योजना रोजगार के अन्य कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह मात्र एक योजना नहीं, बल्कि एक कानून है जो रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुलशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। (प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा इसका विभाजन परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच किया जा सकता है) राज्यों में कृषि श्रमिक के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है जो 100 रुपये से कम नहीं होगी। योजना के तहत 33 प्रतिशत लाभ भोगी महिलाएं होंगी। रोजगार के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा प्रदान किया जाने का प्रावधान है।

### 7.6.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

मनरेगा के नाम से जानी जाने वाली यह योजना राज्य में 2 मार्च, 2006 से संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शारीरिक श्रम रोजगार करने के इच्छुक परिवारों को उनकी मांग के आधार पर 100 दिन का गारण्टी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना प्रथम चरण में राज्य के तीन जनपदों टिहरी, चमोली एवं चम्पावत में संचालित की गयी है। द्वितीय चरण में दो जनपद हरिद्वार और उधमसिंहनगर सम्मिलित किये गये तथा तृतीय चरण में दिनांक 01.04.2008 से राज्य के अन्य आठ जनपदों में योजना संचालित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्राप्त रु 30583.30 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 10 तक रु 24321.23 लाख व्यय किया गया। योजनान्तर्गत 182.39 लाख मानव दिवस सृजित कर श्रमिक परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराया गया

### 7.6.5 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये बी०पी०एल० योजना के राशन कार्डधारी यह योजना सफेद रंग -9000/- या उससे कम वार्षिक आय वर्ग के परिवारों हेतु लागू है। इस योजना में रु0 4.65 प्रति किलो ग्राम की दर से 10.250 किलो गेहूँ एवं रु0 6.15 प्रति किलो की दर से 24.1150 किग्रा चावल तथा हरिद्वार में 19.800 किलो गेहूँ एवं 15.200 किग्रा0 चावल कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में इस योजना के कार्ड धारकों की संख्या 30110114 है।

### 7.6.6 निर्धनतम परिवारों हेतु अन्त्योदय अन्न योजना

इस योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० श्रेणी के लक्षित 190926 परिवारों का चयन किया गया है। जिन्हें गुलाबी रंग के राशन कार्ड जारी किये गये हैं। इन परिवारों को 2.00 रू० प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 10.1150 किग्रा० गेहूँ एवं 3.00 रू० प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 24.250 किग्रा० चावल उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में शासन से आवंटित मात्रा के सापेक्ष वर्ष 2009-2010 में 192114.918 मी०टन गेहूँ एवं चावल 44563.531 मी०टन का उठान उपभोक्ताओं में वितरण हेतु किया गया।

### 7.6.7 उत्तराखण्ड ग्रामीण स्वरोजगार मिशन

उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रदान कराने हेतु वर्ष 2006-011 में उत्तराखण्ड ग्रामीण "त्यन्त महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी हैं। राज्य में वर्षनामक अ "स्वरोजगार मिशन 2009-10 के दौरान उत्तराखण्ड ग्रामीण स्वरोजगार मिशन के अन्तर्गत 211 समूहों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्त पोषित कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2009-10 में शासन स्तर से धनराशि अवमुक्त नहीं हुई गत वर्ष की अवशेष धनराशि रु 480.41 लाख के सापेक्ष रु 263.08 लाख व्यय किया गया।

### 7.6.8 उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना-

उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना वित्तीय वर्ष 2006-011 से राज्य में प्रारम्भ की गयी है। योजना शतप्रतिशत राज्य सेक्टर से संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के इच्छुक नव युवक / नवयुवतियों को शासकीय सहायता एवं बैंकों द्वारा वित्तपोषित कराकर विभिन्न क्रियाकलापों में स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य सेक्टर से आवंटित रु 129.811 लाख के सापेक्ष रु 129.811 लाख व्यय कर विभिन्न क्रियाकलापों के अन्तर्गत 211 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है।

## 7.7 रोजगार सृजित करने वाले कार्यक्रमों का मूल्यांकन (Evaluation of employment generating programs)

केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी गरीबी को कम करने में प्रयासरत है। उत्तराखण्ड राज्य में अस्थायी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। परन्तु नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार जिलों में किये गये अध्ययन कुछ कमियां बताते हैं-

1. कुछ विशेष कार्यों को सभी गांवों में लागू किया गया।
2. गरीबी को कम करने में ये कार्यक्रम कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं।
3. इन कार्यक्रमों के फंड का दोषपूर्ण उपयोग।
4. पारदर्शिता का अभाव।

## 7.8 बेरोजगारी का अर्थ (Meaning of unemployment)

बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है परन्तु उसे काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो -

- ❖ कार्य करने के योग्य हों।
- ❖ कार्य करने के इच्छुक हों।
- ❖ वर्तमान मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो।

“बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं कार्य करने में सक्षम होने पर भी प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिल पाता।” उन व्यक्तियों को जो कार्य करने के योग्य नहीं है, जैसे- बीमार बूढ़े, बच्चों, विद्यार्थी आदि को बेरोजगारी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जो लोग कार्य करना ही पसन्द नहीं करते हैं, उनकी गणना भी बेरोजगारी में नहीं की जाती है। प्रो० पीगू के अनुसार- “एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जायेगा जब उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है परन्तु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है।” भारत एक विकासशील देश है। इस कारण यहाँ बेरोजगारी का स्वरूप उन्नत देशों से काफी भिन्नता लिये हुए है। लार्ड कीन्स के विश्लेषण के अनुसार विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण प्रभावपूर्ण मांग का कम होना है जिससे अस्थायी व चक्रीय प्रकृति की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसके विपरीत भारत जैसे अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी, पूंजी या अन्य अनुपूरक साधनों के अभाव का परिणाम है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ श्रमशक्ति में भी वृद्धि होती है। श्रम की अधिकता के कारण भारत में बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है। तथा अदृश्य बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है।

## 7.9 बेरोजगारी की प्रकृति (Nature of unemployment)

बेरोजगारी का अध्ययन निम्न शीर्षको के अन्तर्गत कर सकते हैं -

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी।
- ❖ नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी।

### 7.9.1 ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी

बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी को कृषि बेरोजगारी भी कहते हैं। यह निम्न दो प्रकार की होती है।

#### 7.9.1.1 मौसमी बेरोजगारी

उत्तराखण्ड में लगभग दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि अधिकतर एक मौसमी उद्योग है। मौसमी बेरोजगारी के अन्तर्गत ग्रामवासी फसल कट जाने के बाद बेकार हो जाते हैं और तब तक खाली रहते हैं, जब तक कि दूसरी फसल का कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो जाता है। भारत में सिंचाई व पूंजी के अभाव के कारण कृषि सहायक व अन्य कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास न होने से लोगों को वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है। मौसमी बेरोजगारी के सम्बन्ध में अलग-अलग अनुमान लगाये गये हैं। रॉयल कमीशन (शाही आयोग) के अनुसार- कृषक वर्ष भर में कम से कम 4-5 माह तक अवश्य ही बेरोजगार रहते हैं। डॉ० राधाकमल मुकर्जी के अनुसार- उत्तर प्रदेश के सघन कृषि क्षेत्रों में किसानों को साल भर में केवल 200 दिन ही कार्य मिलता है। उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य में तो कार्यदिवस अनुपात और घट जाता है।

#### 7.9.1.2 छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी

अदृश्य बेरोजगारी से तात्पर्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम होता है किन्तु उत्पादन में योगदान नहीं के बराबर होता है। तकनीकी अर्थ में अदृश्य बेरोजगार वे व्यक्ति हैं जिनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है।

उदाहरण- 12 श्रमिक मिलकर उत्पादन करते हैं = 100 किलोग्राम

10 श्रमिक मिलकर उत्पादन करते हैं = 100 किलोग्राम

02 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य है, वह अदृश्य बेरोजगार हैं। भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होने के कारण कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, उनकी सीमान्त उत्पादकता बहुत ही कम या शून्य होती है। कृषि में संलग्न इन अतिरिक्त व्यक्तियों को यदि कृषि से हटा दिया जाये और अन्य व्यवसायों में लगा दिया जाये तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी और दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी।

### 7.9.2 नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी

नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है:-

#### 7.9.2.1 औद्योगिक बेरोजगारी

देश में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण श्रमिकों की संख्या भी बढ़ रही है। नगरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही है। यह पलायन उन क्षेत्रों की ओर अधिक होता है जहाँ औद्योगिक केन्द्र अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त, कम काम-काज वाले मौसम में अनेक कृषि श्रमिक रोजगार की तलाश में औद्योगिक केन्द्रों में आते हैं। इस तरह उद्योगों में काम मांगने वाले व्यक्तियों की

संख्या तो बढ़ती जाती है किन्तु औद्योगीकरण की गति धीमी होने के कारण रोजगार के इच्छुक श्रमिक उद्योगों में पूरी तरह खप नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है। उत्तराखण्ड में हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में औद्योगिक बेरोजगारी के प्रमुख उदाहरण हैं।

### 7.9.2.2 शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी

शिक्षा क्षेत्र में संख्या विस्फोट अर्थात् बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं परन्तु उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। माध्यमिक या उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त यह वर्ग सफेद कॉलर रोजगार पसन्द करता है। यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या देश के समक्ष गम्भीर रूप से उपस्थित है।

## 7.10 उत्तराखण्ड में बेरोजगारी (Unemployment in Uttarakhand)

मार्च 2001 में उत्तराखण्ड के 23 रोजगार कार्यालयों में 4.68 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे। 2001 की जनगणनानुसार उत्तराखण्ड में 31.34 लाख श्रमिक शक्ति थी। इनमें से 24.99 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा 6.35 लाख शहरी क्षेत्र में थे।

### मुख्य सीमान्त एवं गैर-सीमान्त श्रम (लाख में)

	कुल	सीमान्त	गैर सीमान्त	ग्रामीण			शहरी		
				सीमान्त	गैर सीमान्त	कुल	सीमान्त	गैर सीमान्त	कुल
कृषक	15.110	5.02	10.68	5.0	10.56	15.56	.02	.12	.14
कृषि श्रमिक	2.60	1.111	1.43	1.12	1.33	2.45	.05	.10	.15
घरेलू औद्योगिक श्रमिक	.112	.23	.49	.19	.311	.56	.04	.12	16
अन्य श्रमिक	12.32	1.69	10.63	1.21	5.20	6.41	.48	5.43	5.91
योग	31.34	8.12	23.22	11.53	111.46	24.99	.58	5.1111	6.35

### स्रोत: योजना आयोग एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

सीमान्त श्रमिक जिसे 6 महीने में ( 180 दिन) से कम दिन काम मिलता है तथा जिन श्रमिकों को 180 दिन से अधिक काम मिलता है उसे गैर सीमान्त श्रमिक माना जाता है। उपर्युक्त तालिका द्वारा उत्तराखण्ड के संदर्भ में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-

1. लगभग 50 प्रतिशत श्रमशक्ति (सीमान्त एवं गैर - सीमान्त) कृषक हैं।
2. लगभग 119 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से हैं।
3. कुल श्रम शक्ति में महिलाओं का योगदान 511 प्रतिशत है।
4. सभी जिलों में गैर-सीमान्त श्रमिकों का अनुपात सीमान्त श्रमिकों से अधिक है।
5. कुल श्रम शक्ति में घरेलू औद्योगिक श्रम शक्ति का अनुपात काफी कम है।
6. सीमान्त श्रमिकों का लगभग 61 प्रतिशत अनुपात कृषक है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनेक स्तरों पर स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के साथ अन्य प्रकारों से रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही गयी है। कृषि क्षेत्र की अपनी सीमाएं हैं अतः उत्तराखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र

द्वारा रोजगार के अवसरों के सृजन की अपार सम्भावनायें हैं। योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 6.41 अतिरिक्त रोजगार के अवसरों की आवश्यकता की बात कही। रोजगार के अवसरों को सृजित पर्यटन एवं बागवानी एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। स्वःसहायता समूह की भूमिका को बढ़ाकर स्वः रोजगार सृजन को बढ़ाया जा सकता है।

## 7.11 बेरोजगारी के कारण (Causes of unemployment)

उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामों में व्याप्त दीर्घस्थायी बेरोजगारी और अल्प- रोजगार की समस्या के लिए निम्न घटक उत्तरदायी हैं-

- ❖ **जनसंख्या में तीव्र वृद्धि:** जनांकिकीय दृष्टि से हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि प्रगति और परिवर्तनों के बावजूद हम आर्थिक दृष्टि से ठहरे हुए जान पड़ते हैं। नियोजन काल में राज्य की जनसंख्या तथा इसके फलस्वरूप श्रम-शक्ति कई गुना बढ़ गयी है। बढ़ती हुई श्रम-शक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न कराये जाने के कारण बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती गई है।
- ❖ **दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली:** उत्तराखण्ड राज्य में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के कारण शिक्षित युवक नौकरी पाने की इच्छा रखते हुए भी शारीरिक श्रम वाले रोजगार से दूर भागते हैं। सरकार अभी तक शिक्षा प्रणाली को आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं ढाल सकी है परिणामस्वरूप करोड़ों शिक्षित युवक और युवतियां रोजगार की तालाब में घूमते फिर रहे हैं।
- ❖ **कुटीर उद्योगों का पतन:** श्रम गहन होने के कारण इन उद्योगों का रोजगार की दृष्टि से विशेष महत्व है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत पूंजी गहन बड़े उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिये जाने के कारण कुटीर और लघु उद्योगों का वांछनीय विकास नहीं हो पाया है। फलतः राज्य में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या निरन्तर गम्भीर होती चली गई है।
- ❖ **कृषि क्षेत्र की उपेक्षा:** निर्धनता के उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थायित्व तथा घरेलू बाजार के विस्तार की दृष्टि से कृषि के महत्व को जानते हुए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बार-बार स्वीकार करते हुए भी नियोजन काल में कृषि क्षेत्र को कुल निवेश योग्य साधनों में से उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। फलतः उत्तराखण्ड के गांवों से शहरों की ओर श्रम शक्ति के पलायन की प्रवृत्ति जोर पकड़ती गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी की समस्या गहन होती चली गई। उत्पादन साधनों का असमान वितरण- उत्तराखण्ड राज्य में भूमि और पूंजी जैसे उत्पादन साधनों का अत्यधिक असमान वितरण, आर्थिक विषमता और बेरोजगारी की समस्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। 20 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या खेतिहर श्रमिकों के रूप में निर्धनता, शोषण, कुपोषण और अल्प रोजगार से ग्रस्त है। उत्तराखण्ड में 110 प्रतिशत किसानों की जोतें अनार्थिक आकार (एक हेक्टेयर से कम) की हैं जिन्हें सम्पूर्ण वर्ष में 5-6 महीने निष्क्रिय रहना पड़ता है। दूसरी ओर बहुत थोड़ी पूंजी वाले इस राज्य में उपलब्ध पूंजी गिने-चुने हाथों में केन्द्रित है। साधन सम्पन्न व्यक्तियों की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण विभिन्न व्यवसायों में श्रम की बचत करने वाल गहन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
- ❖ **अविकसित सामाजिक दशाएं:** देश की दोषपूर्ण सामाजिक संस्थाएं (जाति -प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, छुआछूत, बाल-विवाह, परदा प्रथा आदि) बेरोजगारी की समस्या को उग्र बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हुई है। जनसाधारण की निरक्षरता, अन्धविश्वास और भाग्यवादिता ने भी युवकों को निष्क्रिय बनाये रखने में सहयोग दिया है। श्रम शक्ति का असन्तुलित व्यावसायिक

- वितरण, व्यावसायिक शिक्षण एवं शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता, श्रम शक्ति में गतिशीलता का अभाव आदि कारणों ने भी बेरोजगारी और बेरोजगार की समस्या को गम्भीर बना दिया है।
- ❖ **तकनीकी शिक्षा का अभाव:** आज अधिकांश शिक्षा ऐसी दी जाती है कि केवल सैद्धान्तिक ज्ञान तक ही सीमित है और जिसका जीवन में अधिक उपयोग नहीं है। बी०ए०, एम०ए० करने के बाद भी लड़को को यह भी पता नहीं हो पता है कि अब उसे क्या करना है। तकनीकी शिक्षा के पूर्ण अभाव के कारण वह अपना कोई छोटा-मोटा व्यवसाय भी नहीं कर सकता।
  - ❖ **पूंजी निर्माण की धीमी गति:** बेरोजगारी में वृद्धि होने के कारण प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम होती जा रही है, परिणामस्वरूप बचत एवं विनियोग की दर में भी कमी हो रही है। इससे पूंजी निर्माण की गति बहुत धीमी हो गयी है जिसका प्रभाव उद्योग, व्यापार एवं अन्य सेवाओं पर पड़ रहा है और उनका विस्तार नहीं हो पा रहा है। इस चक्र के प्रभाव से बेरोजगारी की संख्या में और अधिक वृद्धि हो रही है।
  - ❖ **स्वरोजगार के प्रति उपेक्षा:** उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने के मूल में यह कारण निहित है कि प्रत्येक युवा अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में जुट जाता है। उसमें स्वयं का व्यवसाय करने की भावना का अभाव रहता है, परिणामस्वरूप बेरोजगारों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है।

## 7.12 बेरोजगारी को दूर करने के सुझाव (Suggestions to eliminate unemployment)

तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के प्रति अर्थशास्त्री, राजनेता, चिन्तक और विद्वान सभी चिन्तित हैं। बेरोजगारी की इस गम्भीर समस्या ने अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म दिया है जिनका समाधान खोज पाना अत्यधिक दुष्कर हो गया है। यदि समय रहते सुरसा की भांति मुँह बाये खड़ी बेरोजगारी के समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किये जा सके तो देश एवं समाज का विघटन अवश्यम्भावी है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं -

- ❖ **तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण:** बेरोजगारी की गम्भीर समस्या के हल के लिए सर्वप्रथम राज्य में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की गति को नियन्त्रित किया जाना अति आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण किये बिना बेरोजगारी की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।
- ❖ **छोटे उद्योग धन्धों का विकास :** बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटे-छोटे उद्योग धन्धों का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक यह होगा कि सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को अत्यधिक सुविधाजनक शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराये जायें और बेरोजगारों द्वारा स्थापित उद्योगों के उत्पादन की बिक्री की समुचित व्यवस्था की जाये। कृषि से सम्बद्ध उद्योगों का विकास उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रधानता प्राप्त है किन्तु राज्य का कृषि व्यवसाय मात्र ऋतुपरक या मौसमी रोजगार उपलब्ध कराता है। वर्ष के मात्र छः- सात माह के लिए कृषक और कृषि श्रमिक के पास रोजगार की व्यवस्था रहती है। शेष समय में कृषक और श्रमिक बेरोजगार रहते हैं, अतः इस खाली समय के उपयोग के लिए कृषि से सम्बद्ध सहायक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए; जैसे- दूध का व्यवसाय, मुर्गीपालन, पशुपालन आदि।
- ❖ **ग्रामों में रोजगार उन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन:** उत्तराखण्ड राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनायें भी बहुत अधिक हैं। सरकार

को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार कराना चाहिए जो ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो सकें। इन योजनाओं का क्रियान्वयन भी अत्यधिक प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।

- ❖ **रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली:** उत्तराखण्ड राज्य की प्रचलित वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूरी तरह सैद्धान्तिक है। यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता नहीं करती। अतः सरकार को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि युवक स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूर्ण होने के बाद स्वयं का कोई व्यवसाय या रोजगार स्थापित करने में समर्थ व सक्षम हो सके।
- ❖ **उद्योगों की पूर्ण क्षमता का उपयोग:** उत्तराखण्ड राज्य में यद्यपि उद्योग तुलनात्मक रूप से कम लगे हुए हैं तथा उनका पूर्ण दोहन भी नहीं हो पा रहा है और आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ उद्योगों की संख्या को ही न बढ़ाया जाये बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता का भी पूर्ण उपयोग होना चाहिए।
- ❖ **विनियोग ढांचे में परिवर्तन:** आधारिक संरचना को मजबूत बनाकर विनियोग को प्रेरित किया जा सकता है जिससे रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी तथा अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विस्तार भी होगा।
- ❖ **तकनीकी को प्रोत्साहन:** नई तकनीकी का इस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए जिससे रोजगार पर कोई विशेष फर्क न पड़ते हुए उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी हो।
- ❖ **जनशक्ति नियोजन:** राज्य में बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि जनशक्ति का वैज्ञानिक ढंग से नियोजन होना चाहिए। जिससे जनशक्ति का गुणात्मक पक्ष मजबूत होगा और इसके लिए भौतिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा संगठनात्मक पहलुओं स्वस्थ आधारों पर विकसित किया जाये। जनशक्ति का व्यवसाय वितरण, व्यवसायिक ढांचा, रोजगार की सम्भावनाओं की स्थिति तथा जन- वृद्धि में होने वाले परिवर्तन आदि के बारे में विस्तृत एवं पूर्ण सूचनायें एकत्रित की जाये।
- ❖ **अन्य सुझाव:** भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय श्रम ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु अनेक सुझाव दिये हैं; जैसे- देश में रोजगार के लिए एक राष्ट्रीय नीति सुनिश्चित की जाये, अखिल भारतीय स्तर पर मानव शक्ति सेवा का गठन किया जाये, शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन किये जाये और उसे रोजगारोन्मुख बनाया जाये, औद्योगिक सेवाओं को सुदृढता प्रदान की जाये तथा देश के प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में कम से कम एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की जाये।
- ❖ **उत्पादक गतिविधियों की पुनर्संरचना** द्वारा उत्पादन में वृद्धि लाकर सरकार द्वारा रोजगार सृजन की प्रक्रिया तो जारी है ही, किन्तु साथ ही सरकार प्रत्यक्ष रूप से युवाओं एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चला रही है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी रोजगार सृजन कार्यक्रमों का विवरण निर्धनता के अन्तर्गत उल्लेख किया जा चुका है।

## 7.13 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थान भरें -

1. उत्तराखण्ड में ..... प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
2. गरीबी रेखा की पुनर्परिभाषा हेतु .....की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है।

3. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 जनवरी ..... से प्रारम्भ हुई थी।
4. वह व्यक्ति जिसकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है उसे ..... बेरोजगार कहते हैं।
5. निर्धनता रेखा मापने का कैलोरी मापदण्ड..... द्वारा दिया गया है।

### 7.14 सारांश (Summary)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं उत्तराखण्ड की आर्थिक समस्याओं में सर्वाधिक प्रमुख समस्या निर्धनता एवं बेरोजगारी है यद्यपि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नवीन अवसर पैदा करने तथा युवाओं की आय में सकारात्मक वृद्धि करने के प्रयास कर रही है। तथापि इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को अभी और गम्भीरता से अपने प्रयासों को लागू करना होगा।

### 7.15 शब्दावली (Glossary)

- **बी० पी०एल०** - गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बी० पी०एल० कहते हैं।
- **प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी** - यह इस प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से बेरोजगार प्रतीत नहीं होते, वे काम पर तो लगे हुए होते हैं, किन्तु उस काम में उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है। ऐसे लोगों को यदि काम से हटा दिया जाए, तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है।

$$\text{बेरोजगारी की दर} = \frac{\text{बेरोजगारों की संख्या}}{\text{कुल श्रम शक्ति}} \times 100$$

### 7.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

उत्तर :1. 39.6, 2. प्रो० सुरेश तेन्दुलकर, 3. 1996, 4. अदृश्य बेरोजगार, 5. योजना आयोग

### 7.17 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- शर्मा, टी०आर० एवं वाष्णोय, जे०सी०, विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, साहित्य भवन, आगरा।
- मामोरिया, चतुर्भुज, भारत की आर्थिक समस्याएं, साहित्य भवन, आगरा।
- झिंगन, एम०एल०, विकास अर्थशास्त्र एवं आयोजन, वृंदा पब्लिकेशन प्रा० लि०, नई दिल्ली।
- सिंह, एम०पी०, आर्थिक विकास एवं नियोजन, एस० चंद एण्ड कं० लि०, नई दिल्ली।
- दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस० चंद एण्ड कं० लि०, नई दिल्ली।

### 7.18 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री /Useful/Helpful Text)

- [www.ibef.org/economy/agriculture.aspx](http://www.ibef.org/economy/agriculture.aspx)
- [www.economywatch.com/database/agriculture](http://www.economywatch.com/database/agriculture).
- [business.gov.in/indian\\_economy/agriculture](http://business.gov.in/indian_economy/agriculture).
- आर्थिक सर्वेक्षण (विभिन्न अंक), वित्त मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

- कुरूक्षेत्र (विभिन्न अंक), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- योजना योजना आयोग (अंक विभिन्न), नई दिल्ली।

---

### 7.19 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

---

1. गरीबी का अर्थ अथवा धारणा को स्पष्ट करते हुए गरीबी के अनुमानों की विवेचना कीजिए।
2. गरीबी के निराकरण हेतु सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं को संक्षेप में लिखिए।
3. बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की व्याख्या कीजिए तथा इसके निदान के उपाय बताइए।

---

## **इकाई 8 : क्षेत्रीय असमानता एवं जनजातीय विकास (Regional inequality and tribal development)**

---

**8.1 प्रस्तावना (Introduction)**

**8.2 उद्देश्य (Objectives)**

**8.3 क्षेत्रीय असमानता अर्थ एवं स्वरूप (Regional inequality- meaning and form)**

**8.4 उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति (Situation of regional inequality in Uttarakhand)**

**8.5 क्षेत्रीय असमानता के कारण (Causes of regional disparity)**

**8.6 क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपाय (Suggestions to remove regional inequality)**

**8.7 जनजातीय विकास: अर्थ (Tribal Development: Meaning)**

**8.8 उत्तराखण्ड में जनजातियां (Tribes in Uttarakhand)**

**8.9 उत्तराखण्ड में जिलावार जनजातियों की संख्या (District wise number of tribes in Uttarakhand)**

**8.10 उत्तराखण्ड में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम (Tribal Welfare Program in Uttarakhand)**

**8.11 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)**

**8.12 सारांश (Summary)**

**8.13 शब्दावली (Glossary)**

**8.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)**

**8.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)**

**8.16 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री Useful/Helpful Text)**

**8.17 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)**

## 8.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित यह आठवीं इकाई है। इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि उत्तराखण्ड में नियोजन किस प्रकार का है? नियोजन की उपलब्धियाँ क्या-क्या हैं? उत्तराखण्ड की नियोजित व्यवस्था में विकास की दौड़ में कौन से क्षेत्र और वर्ग पिछड़ गये हैं जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गयी हैं। प्रस्तुत इकाई में क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों और उसके उपयों का विश्लेषात्मक अध्ययन प्रस्तुत है तथा जनजातीय विकास के कार्यक्रमों की भी व्याख्या प्रस्तुत है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप क्षेत्रीय असमानताओं का सम्यक विश्लेषण कर सकेंगे तथा जनजातीय विकास के महत्व को समझा सकेंगे।

## 8.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ बता सकेंगे कि क्षेत्रीय असमानताएँ क्या हैं और यह क्यों उत्पन्न होती हैं।
- ✓ समझा सकेंगे कि क्षेत्रीय असमानताओं को किन रणनीतिक उपायों से कम किया जा सकता है।
- ✓ जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के उद्देश्यों को श्रेणीबद्ध कर सकेंगे।

## 8.3 क्षेत्रीय असमानता अर्थ एवं स्वरूप (Regional inequality- meaning and form)

यदि किसी देश में तुलनात्मक रूप से अत्यधिक विकसित राज्यों या प्रदेशों तथा आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए क्षेत्रों या राज्यों का सहअस्तित्व हो तो उस स्थिति को क्षेत्रीय असंतुलन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए किसी प्रदेश में अधिक उद्योग होते हैं तो किसी प्रदेश में काफी कम। इसी प्रकार किसी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं तो किसी प्रदेश में कम। इसी को हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन अन्तर्राज्यीय भी हो सकता है अथवा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य असंतुलन हो सकता है। भारत जैसे संघीय राज्य में जहाँ अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं, क्षेत्रीय विषमताएं अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं। क्षेत्रीय असंतुलन के मुख्यतः दो कारण हैं-

- ❖ प्राकृतिक कारण
- ❖ मानव निर्मित कारण

क्षेत्रीय असंतुलन प्राकृतिक साधनों के असमान वितरण से हो सकता है अथवा जब संसाधनों और तकनीकी सीमितता के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने विभिन्न क्षेत्रों के मध्य प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे निकल जाते हैं तो कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। जिससे क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन क्षेत्रों पर ध्यान न दिया जायें तो आर्थिक असमानताओं के साथ-साथ सामाजिक असमानताएँ भी उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य संतुलित प्रादेशिक विकास होता है।

संतुलित प्रादेशिक विकास का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक क्षेत्र या राज्य आत्मनिर्भर हो और न ही इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक प्रदेश में औद्योगिकरण का स्तर समान हो या आर्थिक ढांचा एक जैसा हो; बल्कि इसका अर्थ है कि आर्थिक रूप से जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक उद्योगों का पिछड़े प्रदेशों में दूर-दूर तक फैलाव करना है। अन्ततः लक्ष्य यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा कर उन्नत क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर तक लाया जाये, चाहे ऐसा कृषि उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के माध्यम से किया जाये। शेष भारत की तरह उत्तराखण्ड में भी अनेक प्रकार की आर्थिक-सामाजिक असमानताएं पायी जाती हैं उसमें प्राकृतिक कारण मुख्य रूप से भूमिका अदा कर रहे हैं। भौगोलिक असमानताओं के कारण भी उत्तराखण्ड पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों के रूप में विभाजित हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न जिलों के मध्य असमानताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। तेरह जिलों में से चार जिलो-नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर का अधिकांश भाग मैदानी है सामाजिक सूचकांकों पर ये चार जिले अन्य जिलों की तुलना में अधिक विकसित हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान अवसर तथा जीवन की गुणवत्ता स्तर भी असमान हैं। इन सामाजिक समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया जा सकता है। लम्बे समय से इन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव एवं शोषणपूर्ण व्यवहार होता रहा है जिसका प्रमुख कारण पहाड़ों में प्राप्त होने वाली जीवन की मूलभूत सुविधाएं कुछ वर्ग लोगों तक ही सिमट कर रह गयी हैं।

### 8.3.1 क्षेत्रीय असंतुलन के सूचक निम्नवत हैं-

- ❖ प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्यीय घरेलू उत्पाद के आधार पर।
- ❖ शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर के आधार पर।
- ❖ आधारीक रचना सम्बन्धी असमानताएं।
- ❖ मानवीय विकास सम्बन्धी असमानताएं।
- ❖ औद्योगिक असंतुलन के आधार पर असमानता।
- ❖ कृषि क्षेत्र में असंतुलन के आधार पर असमानता।
- ❖ जनसंख्या का घनत्व एवं साक्षरता के अनुपात के आधार पर असमानता।

## 8.4 उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति (Situation of regional inequality in Uttarakhand)

हाल ही में योजना आयोग द्वारा अन्तर-जिला असमानता विषय पर अध्ययन किया गया है। जिसमें 24 सामाजिक संकेतकों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि तीन जिलों- देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में सापेक्षिक रूप से उच्च स्तर का विकास हुआ है, जबकि तीन जिलों- टिहरी गढ़वाल, चंपावत एवं चमोली में सापेक्षिक रूप से निम्न स्तर का विकास हुआ है। अन्तर-राज्य असमानता के अन्तर्गत पहली तालिका में विद्युत सड़क एवं सिंचाई के विभिन्न आधारों पर आधारीक संरचना को लिया गया है। पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के बीच असमानताओं को स्पष्टतः देखा जा सकता है। यह असमानताएं पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की आय एवं जीवन निर्वाह के स्तरों को भी स्पष्ट करती हैं कि मैदानी क्षेत्र सापेक्षिक रूप से पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक सम्पन्न एवं विकसित है।

तालिका -1: आधारिक संरचना के आधार पर जिलावार असमानता

क्र०सं०	जिला	परिवारों का प्रतिशत जिनके पास विद्युत सुविधा है	पक्की सड़क (किमी० में) शुद्ध बोये गये क्षेत्र की ल० प्रति 1000 किमी० फुट	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचाई का प्रतिशत
1	उत्तरकाशी	412.1212	133.9	15.1
2	चमोली	53.52	139.1	4.12
3	टिहरी गढ़वाल	412.79	4120.5	14.4
4	पौड़ी गढ़वाल	56.72	649.5	10.1
5	रूद्रप्रयाग	46.72	247.5	13.5
6	पिथौरागढ़	51.55	96.0	10.5
7	अल्मोडा	50.10	5012.12	6.4
12	बागेश्वर	43.43	2123.12	17.0
9	चम्पावत	40.77	329.4	12.7
10	देहरादून	123.76	9012.4	45.9
11	हरिद्वार	60.55	7412.7	124.6
12	नैनीताल	67.65	943.0	61.5
13	ऊधमसिंह नगर	47.49	599.7	97.0
14	पहले आठ पर्वतीय जिलों का औसत	50.43	3112.712	10.52
15	बाद के चार मैदानी जिलों का औसत	70.11	799.95	121.06

स्रोत: भारत की जनगणना एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड

तालिका -2 : सामाजिक संरचना के आधार पर जिलावार असमानता

क्र०सं०	जिला	परिवारों का प्रतिशत जिनके पास अहाते के अन्दर शौचालय सुविधा है	परिवारों का प्रतिशत जिनके पास अहाते के अन्दर पेयजल सुविधा है
1	उत्तरकाशी	32.123	29.15
2	चमोली	212.123	22.59
3	टिहरी गढ़वाल	31.19	21.512
4	पौड़ी गढ़वाल	31.77	25.36
5	रूद्रप्रयाग	26.25	15.54
6	पिथौरागढ़	29.33	25.66

7	अल्मोड़ा	30.10	112.00
12	बागेश्वर	24.112	13.32
9	चम्पावत	212.96	26.92
10	देहरादून	71.45	612.127
11	हरिद्वार	55.52	67.14
12	नैनीताल	60.46	51.73
13	ऊधमसिंह नगर	53.37	75.96
14	पहले आठ पर्वतीय जिलों का औसत	29.1212	22.24
15	बाद के चार मैदानी जिलों का औसत	60.34	67.112

स्रोत: भारत की जनगणना एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड

\* जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की जीवन-निर्वाह गुणवत्ता की स्थिति काफी निम्न है। यह तालिका 2 से स्पष्ट है। जीवन की गुणवत्ता को जानने हेतु दो सूचक घर में शौचालय और पीने के पानी की सुविधा को लिया गया है।

### 8.5 क्षेत्रीय असमानता के कारण (Causes of regional disparity)

आर्थिक सुधारों से पहले उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था के विकास की दर 3.5 प्रतिशत थी, जो 2000-01 में बढ़कर 11 प्रतिशत हो गयी। स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पहुँच गयी। विकास का सर्वाधिक लाभ मैदानी क्षेत्रों तक सिमट गया जबकि संरचनात्मक समस्याओं के कारण पर्वतीय क्षेत्रों का विकास पीछे छूट गया वर्तमान में सरकार के समक्ष यह चुनौती है कि सम्भावित विकास किस प्रकार से किया जाये कि पर्वतीय क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सके। 8.5.1 इन क्षेत्रों के विकास की प्रमुख बाधा हिमालय की भौगोलिक स्थिति है। आयताकार उत्तराखण्ड की भू-गर्भीय संरचना और धरातलीय विन्यास में विविधता पायी जाती है। उच्च हिमालय का पर्वतीय भाग, जो 41200 से 6000 मीटर तक ऊँचा है, सदैव हिमाच्छादित रहता है। उत्तराखण्ड में वर्षा में विभिन्नता, प्राकृतिक वनस्पति एवं जैव विविधता में भिन्नता के कारण क्षेत्रीय एवं मानवीय क्रियाकलापों में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है। 8.5.2. यह भी एक विडम्बना ही है कि उत्तराखण्ड नदियों का जाल बिछा होने के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में पीने का पानी एवं सिंचाई एक समस्या है। 8.5.3 उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में जनसंख्या घनत्व पूरे देश की तुलना में सर्वाधिक निम्नतम है। 120 प्रतिशत से भी अधिक ऐसे पर्वतीय गांव है जिनकी जनसंख्या 500 से भी कम है और पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 0.5 प्रतिशत से भी कम ऐसे गांव है जिनकी जनसंख्या 200 से अधिक है।

**जनसंख्यानुसार वर्गीकृत आबाद ग्राम एवं नगर**

जनसंख्या का वर्गीकरण	आबाद ग्रामों की संख्या (वन बस्तियों सहित)	नगरों की संख्या
1-200	7797	-
201-500	4902	01
501-1000	112712	02
1001-2000	752	04
2001-5000	350	11
5001-10000	122	212
10001-20000	-	16
20001-50000	-	16
50001-100000	-	05
100001 से अधिक	-	03
योग	15761	126

**स्रोत: भारत की जनगणना 2001**

**8.5.4** पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में कम जनसंख्या का जो अधिक फैलाव है; के विकास हेतु न्यूनतम स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार आधारित संस्थाओं की कमी है। जिसके कारण इनके सामाजिक विकास की गति में भी कमी आयी है।

**8.5.5** पर्वतीय क्षेत्र में बिखरी और छोटी बस्तियों के समक्ष विकास कार्यक्रमों एवं बाजार विकास की दृढ़ चुनौतियां हैं। गांव एवं कृषि क्षेत्र न केवल बिखरें हैं बल्कि सड़क और बाजार से भी दूर हैं।

**8.5.6** सड़कों की कमी और यातायात सुविधाओं की कमी इस समस्या को अधिक गम्भीर बना देती है। वर्तमान समय में यातायात कठिन एवं महंगा है।

**8.5.7** पर्वतीय क्षेत्र की संरचनात्मक समस्या वृहद उत्पादन, मशीनीकरण और आदान आधारित कृषि आदि के मार्ग में बाधा है। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों में जो थोड़ी बहुत जो नकद फसलें होती हैं, यातायात और लेन-देन की लागत अधिक होने के कारण छोटे किसानों के लिए लाभकारी नहीं रहजाती है। इन पिछड़े क्षेत्रों में नकद फसलों के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है।

**8.5.8** वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन किसानों की सुरक्षा एवं विकास हेतु ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती है। खाद्य सुरक्षा की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। अधिकांश खेती योग्य भूमि का जीवननिर्वाह - योग्य कृषि में प्रयुक्त होती है। कृषि का अलाभकारी होना, रोजगार के अवसरों को न्यूनतम कर देता है। यहीं कारण है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों के युवा सैनिक, अर्द्धसैनिक बल तथा अन्य शहरों की ओर रोजगार हेतु पलायन हो रहा है। अपने परिवारों के पोषण हेतु मनीआर्डर भेजते हैं। जिसके कारण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को मनीआर्डर अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पुरुषों के पलायन के परिणामस्वरूप इन पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात भी अधिक है।

## **8.6 क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपाय (Suggegtions to remove regional inequality)**

**8.6.1** उत्तराखण्ड के ग्रामीण हिमालय क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नियोजन की दीर्घकालीन रणनीति बनानी होगी जिससे इन क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण हो सके। इसके लिए सर्वप्रथम उन क्षेत्रों का विकास करना होगा जिनमें तुलनात्मक लाभ अधिक है। बागवानी तथा पर्यटन दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें तुलनात्मक लाभ अधिक है।

**8.6.2** आधारिक संरचना में सिंचाई, विद्युत, सड़क आदि का विकास इन पर्वतीय पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जहाँ तक सड़कों का सम्बन्ध है, मौजूदा बुनियादी ढांचा अत्यधिक अपर्याप्त है इसलिए इस क्षेत्र में दोनों छोटे और बड़े निवेश की गुंजाइश है। भौतिक आधारिक संरचना के अन्तर्गत सड़क और परिवहन व्यवस्था, विद्युत, सिंचाई, बाजार तंत्र और वित्तीय संस्थाओं का विकास सुदृढ़ता के साथ होना चाहिए। पहाड़ पर रेल से जाने की कल्पना को साकार रूप देने की दिशा में तीव्रता से प्रयास होने चाहिए। विभिन्न पर्वतों को आपस में जोड़ते हुए रोपवे बनाये जाने चाहिए जिससे किसानों की अपने खेतों, विभिन्न गांवों और मण्डियों तक पहुँच आसानी से हो जायेगी। परिवहन, ऊर्जा और तकनीकी संसाधनों का विकास पर्यावरण के हितों और हिमालय क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए आधारिक संरचना का विकास किया जाना चाहिए।

**8.6.3** भारी वर्षा के कारण छोटी सिंचाई परियोजनाओं हेतु टैंक तथा जलाशय बनाये जाने चाहिए। हिमालय की नदियां एवं जलप्रपात जल विद्युत परियोजनाओं के असीमित अवसर प्रदान करते हैं।

**8.6.4** बागवानी का विकास इन पर्वतीय क्षेत्रों हेतु खास उपयोगी है। इन क्षेत्रों की जलवायु फलों, फूलों और सब्जियों की उत्पादकता एवं उनकी विविधता के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यहाँ तक कि यह पर्वतीय क्षेत्र बे-मौसम की सब्जियों के उत्पादन के अत्यन्त योग्य है, जिनकी मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक मांग होती है। दिल्ली और अन्य उत्तरी भारत के शहरों में फलों एवं सब्जियों की बढ़ती मांग का सापेक्षिक तुलनात्मक

लाभ लिया जा सकता है। फलों एवं सब्जियों का विपणन, मण्डी तक पहुँच, कोल्ड स्टोरेज, संभावित लाभ वाले बाजारों की सूचना आदि जानकारियां किसानों को तीव्रता से मिलना चाहिए, जिससे प्रतिवर्ष होने वाले फलों और सब्जियों के नुकसान को बचाया जा सके। इसके लिए उत्तराखण्ड में कृषि एवं बागवानी से जुड़ी समस्त जानकारियों का सूचना तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

**8.6.5** उत्तराखण्ड में पर्यटन का विकास आंशिक रूप से ही हुआ है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन का विकास अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। पर्यटन की विभिन्न प्रकारों के रूप में विकसित किया जा सकता है।

- पर्यटन क्षेत्रों पर अवकाश पर्यटन।
- धार्मिक पर्यटन (जैसे- चारधाम यात्रा)।
- साहसिक पर्यटन (स्कीइंग, ट्रेकिंग इत्यादि)।
- प्रकृति एवं वन्यजीव पर्यटन (केन्या मॉडल की तरह)।

विभिन्न ट्रेवल एजेंसियों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टूर आयोजित करने हेतु छूट देकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साक्षरता दर का अधिक होना भी इस क्षेत्र के विकास के लिए लाभकारी होगा।

**8.6.6** उत्तराखण्ड में बैंक की जमा निकासी अनुपात 2004 में मात्र 0.23 (व्यापारिक बैंकों में) था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 0.512 है इसलिए वित्तीय संस्थाओं का विस्तार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का खाता बैंक में अवश्य होना चाहिए। इसके लिए समस्त वित्तीय लेन-देन बैंकों के माध्यम से ही हो।

**8.6.7** मानव विकास हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण अट्रिम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

**8.6.8** पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों तक कृषि तकनीकी की पहुँच हो जिससे वे कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, दुग्ध विकास तथा रेशम से सम्बन्धित उत्पादों के विपणन के अवसर प्राप्त हो सके तथा कृषि उत्पाद कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। उल्लेखनीय है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तराखण्ड देश में चौथे स्थान पर है। यद्यपि इस क्षेत्र में स्वःरोजगार हेतु स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति को उँचा उठाने में प्रयास कर रहे हैं परन्तु इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि द्वारा बुनयादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की है। ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी तथा औद्योगिक विकास को रीढ़ मानते हुए इन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अधिक लाभदायक एवं रोजगारपरक बनाने का प्रयास जारी है। आवश्यकता है तो इस बात की, कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में आपसी तालमेल व समन्वय होना चाहिए जिससे इन कार्यक्रमों का गुणात्मक लाभ लोगों को प्राप्त हो सके।

## 8.7 जनजातीय विकास:अर्थ (Tribal Development: Meaning)

उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार जनजातीय लोगो के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनके सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र सरकार के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सदियों से पिछड़े तथा उपेक्षित, असहाय एवं दुर्बल लोगों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए कई प्रकार के संरक्षण प्रदत्त है। भारतीय संविधान के भाग - 11 13 में राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत उनके संरक्षण के लिए कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 312 में उल्लिखित है कि "राज्य यथासम्भव प्रभावी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था गठित एवं विकसित करने का प्रयास करेगा, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं का रूप धारण करेगा"। अनुच्छेद 46 के अनुसार, "राज्य देश के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से विकसित करेगा तथा सामाजिक अभाव एवं समस्त प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।"

## 8.8 उत्तराखण्ड में जनजातियां (Tribes in Uttarakhand)

राज्य की जनजातियों का गैर-जनजातियों के सम्पर्क में आने के बाद गैर-जनजाति संस्कृति का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है जिससे इन जनजातियों की सभ्यता, संस्कृति, परम्परा और रीति-रिवाज़ भी प्रभावित हुए हैं लेकिन सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समूह सामाजिक-आर्थिक स्तर पर पिछड़ेपन के बावजूद आज भी अपनी अलग पहचान बनाये हुए हैं। उत्तराखण्ड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों का विवरण निम्न है-

- ❖ **बुक्सा जनजाति** के डोईवाला देहरादून -, सहसपुर तथा विकास नगर खण्डों, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकास खण्ड, ऊधमसिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर, रामनगर तथा गदरपुर विकास खण्डों में निवास करती है नैनीताल के जिले के विभिन्न विकास खण्डों में इनकी संख्या सर्वाधिक है।
- ❖ **थारू जनजाति** -यह जनजाति नैनीताल से लेकर टनकपुर तक फैली है।
- ❖ **भोटिया जनजाति** अलग नामों से जाना जाता है। -अलग क्षेत्रों में अलग-इस जनजाति को अलग - यह अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चमोली जनपदों में रहते है।
- ❖ **जाड़**- उत्तरकाशी जिले में भगीरथी की ऊपरी घाटी में रहने वाली भोटिया जनजाति को ही जाड़ कहा जाता है।
- ❖ **खस जनजाति**- इस जनजाति का नामकरण खस नामक पहाड़ से हुआ है। देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करते है।
- ❖ **राजी जनजाति**-इस जनजाति को बनरौत के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति पिथौरागढ़ - पावत जिले में जिले के धारचूला एवं डिडीहाट विकास खण्डों एवं चंरहते है। उत्तराखण्ड में इस जनजाति के मात्र 164 परिवार है।
- ❖ **जौनसारी जनजाति** - यह जनजाति गढ़वाल की एक प्रमुख जनजाति है। यह मुख्य रूप से भाबर क्षेत्र में रहते (देहरादून का चकराता एवं कालसी ब्लॉक) हैं। उत्तरकाशी एवं टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में

भी निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुक्सा एवं राजी जनजातियों सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में रखा गया है।

## 8.9 उत्तराखण्ड में जिलावार जनजातियों की संख्या (District wise number of tribes in Uttarakhand)

उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 3 प्रतिशत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मिजोरम है जबकि उत्तराखण्ड देश में 25वें स्थान पर है। राज्य विधानसभा में इनके लिए तीन क्षेत्र (चकराता, खटीमा एवं धारचूला) आरक्षित है। त्रिस्तरीय पंचायतों में भी आरक्षण दिया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 63.2 प्रतिशत है।

### जिलावार अनुसूचित जनजाति की स्थिति

जिला	पुरुष	महिलाएँ	योग	प्रतिशत	ग्रामीण	नगरीय
उत्तरकाशी	1,414	1,271	2,6125	0.91	2,449	236
चमोली	5,0123	5,401	10,4124	2.123	7,730	2,754
रूद्रप्रयाग	106	120	1126	0.012	157	29
टिहरी गढ़वाल	517	174	691	0.11	273	4112
देहरादून	51,922	47,407	99,329	7.712	94,910	4,419
गढ़वाल	121212	706	1,594	0.23	1,3412	246
पिथौरागढ़	9,422	9,1257	19,279	4.17	14,934	4,345
बागेश्वर	1299	1,044	1,943	0.712	1,619	324
अल्मोडा	461	417	12712	0.14	41212	390
चम्पावत	3125	355	740	0.33	573	167
नैनीताल	2,5612	2,393	4,961	0.65	3,962	999
ऊधमसिंह नगर	55,941	54,2120	1,10,220	12.92	1,012,12012	1,412
हरिद्वार	1,7212	1,411	3,139	0.22	2,9512	1121

### स्रोत: जनगणना 2001

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ऊधमसिंह नगर तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रूद्रप्रयाग है।

## 8.10 उत्तराखण्ड में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम (Tribal Welfare Program in Uttarakhand)

आर्थिक विकास का प्रथम एवं अन्तिम उद्देश्य सर्वांगीण कल्याण है। व्यक्ति का कल्याण, परिवार का कल्याण, समुदाय का कल्याण और सम्पूर्ण समाज का कल्याण, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विपन्नता को दूर कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए आर्थिक विकास की

विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनजातियों के कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। कुछ कार्यक्रमों का वित्त पोषण जिला योजना द्वारा भी किया जाता है। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को दिये गये विभिन्न संरक्षणों के कार्यान्वयन का अवलोकन करता है। वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया। यह निगम अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों एवं सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार एवं आय सृजन के अवसर प्रदान करता है। आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करता है। मानव संसाधन विकास सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार से व्यय किया जायेगा -

### ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में व्यय (करोड़ में)

राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र	1745.00
केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	110.00
जिला योजना	400.00
कुल	2255.00
जनजातीय उप योजना	120.00
अनुसूचित जनजाति उप योजना	220.00
कुल	340.00
महायोग	2595.00

#### स्रोत: योजना आयोग

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिनमें केन्द्र सरकार की मदद भी शामिल है-

**8.10.1** संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों में जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधा के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 में उक्त योजनान्तर्गत ₹0 20.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2007 में विहित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु गठित समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों को वृहत प्रशिक्षण अधिनियम/नियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु व्यय की गई है। वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत ₹0 120.00 लाख धनराशि की

वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें स रू0 109.64 लाख की धनराशि एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्यालय, कालसी जनपद देहरादून में बालक छात्रावास के भवन निर्माण तथा कक्षा-6 के संचालन हेतु रू0 10.36 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में रू0 733.00 लाख की धनराशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

**8.10.2** अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र विद्यार्थियों को जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिक के बाद अपनी शिक्षा को जारी रखने, जिसमें व्यवसायिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल है, के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत 46161 छात्र / छात्राओं को लाभान्वित किए जाने किया जाना प्रस्तावित है।

**8.10.3** अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक व तकनीकी विकास हेतु 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, 03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व 04 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें बालिकाओं हेतु 4 हाईस्कूल स्तर तक, 1 जूनियर हाईस्कूल तथा 1 प्राइमरी स्तर तक है। इसी प्रकार बालकों हेतु 12 हाईस्कूल स्तर तक तथा 1 जूनियर हाईस्कूल स्तर तथा 1 प्राइमरी स्तर के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा एवं गूलरभोज तथा जनपद देहरादून के चकराता में 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें मुख्यतः हिन्दी आशुलिपि, फिटर, कोपा (कम्प्यूटर) व्यवसाय, कंटीग एवं टेलरिंग का व्यवसाय, वेल्डर, इलैक्ट्रीशियन तथा मोटर मैकेनिक के व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन संस्थाओं में निःशुल्क भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, औषधि आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए काशीपुर एवं खटीमा (ऊधम सिंह नगर), धारचूला (पिथौरागढ़) तथा गोपेश्वर (चमोली) में छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक छात्रावास में 50 छात्रों की क्षमता है, जिसमें छात्रों हेतु निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था है। वर्ष 20012-09 में उक्त योजनाओं में 12127.63 लाख की धनराशि व्यय की गई है, वर्ष 2009-10 मंप उक्त योजनाओं में 1026.41 लाख की धनराशि व्यय की गई हैं तथा 11 वीं पंचवर्षीय

योजना में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में 71237.123 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

**8.10.4** इसके अतिरिक्त ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रूचि लेते हैं और प्राइमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते हैं एवं ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के हेतु वाचनालयों/ पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते हैं, उन्हें भी अनुदान दिया जाता है। अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या अनुपात में 50 प्रतिशत से कम न हो। वर्ष 20012-09 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 141.14 लाख तथा वर्ष 2009-10 में रू0 156.05 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में रू0 437.75 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

**8.10.5** जनजाति विकास की उपयोजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु न सिर्फ विद्यालयों का उद्घाटन किया जायेगा बल्कि अनुसूचित जनजाति प्रधान क्षेत्रों में नये माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हो चुके हैं। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत 11 माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। 2010-11 में इस उपयोजना हेतु 2412 लाख रू0 स्वीकृत किये गये हैं। जनजाति की उपयोजनाओं के अन्तर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय, आई०टी०आई० की आधारिक संरचना में वृद्धि के प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं।

**8.10.6** अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर "गौरा देवी" कन्याधन के रूप में 25,000.00 की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 20012-09 में गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत 1120.25 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 721 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है, वर्ष 2009-10 में गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत 1912.00 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 792 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत 41200 बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में 1200.00 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

**8.10.7** जनजातीय उप योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) 100 प्रतिशत अनुदान है जिसमें अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अभिमुखी आय-सृजन योजनाओं के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएं शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना राज्य स्तर पर उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि., देहरादून द्वारा संचालित की जा रह रही है। योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्षों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित न किए जाने के कारण वर्ष 20012-09 में भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि जारी नहीं की गई। वर्ष 2009-10 में 1012.135 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई जिसके सापेक्ष जनपद ऊधम सिंह नगर में पशुपालन संर्वधन योजनान्तर्गत 34.94 लाख की धनराशि व्यय की गई हैं, वर्ष 2010-11 हेतु 150.00 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में 750.00 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

**8.10.8** महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे का सृजन, समुदाय आधारित कार्यकलापों के लिए स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, आदिम जनजाति वर्गों (पी. टी.जी.) यथा बुक्सा एवं राजी के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 20012-09 में भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई हैं वर्ष 2009-10 में उक्त योजनान्तर्गत 100.14 लाख की धनराशि भारत सरकार से बुक्सा एवं राजी आदिम जनजाति के आवास निर्माण हेतु प्राप्त हुआ थी जिसके सापेक्ष 7.70 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय की जानी प्रस्तावित है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना में योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में 999.41 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

**8.10.9** प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है। उनकी आर्थिक दशा सुधाराने के उद्देश्य से कृषि एवं बागवानी हेतु अनुदान प्रदान किये जाते हैं। गरीबी निवारण एवं आर्थिक रूप से ऊँचा उठाने के हेतु अनुसूचित जनजातियों को स्वरोजगार हेतु बैंक एवं सहाकारी समितियों द्वारा विशेष अनुदान सहित ऋण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। 2010-11 की वार्षिक योजना में 10 लाख रूपये प्रस्तावित है।

**8.10.10** जनजाति विकास की उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के वह किसान जो जैव ऊर्वरक, जैव कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषण तत्वों और उपकरणों को खरीद पाने में सक्षम नहीं है, पादप संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें 90 प्रतिशत (65 प्रतिशत राज्य आयोग एवं 25 प्रतिशत मैक्रो मैनेजमेंट स्कीम द्वारा) अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। यह योजना 2005-06 से लागू है।

**8.10.11** राज्य में तकनीकी हस्तांतरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रशिक्षण भी दि जाता है जिसके अन्तर्गत परम्परागत कृषि में किस प्रकार सुधार किया जाये। फसल उत्पादन तकनीकी क्या-क्या है? तथा नयी फसल प्रौद्योगिकी से किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है। राज्य में यह कार्यक्रम 2005-06 से जनजाति विकास की उपयोजना के तहत लागू है।

**8.10.12** जनजाति विकास की उपयोजना के अन्तर्गत ही भूमि संरक्षण, सिंचाई आदि के तहत जनजातीय किसानों की मदद की जा रही है। 2010-11 की वार्षिक योजना के तहत जनजाति विकास की उपयोजना में 1912.05 लाख रुपये व्यय का प्रावधान है।

**8.10.13** अनुसूचित जनजाति के कलाकारों एवं दस्तकारों के लिए शिल्पी ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत परम्परागत दस्तकारी को प्रशिक्षण एवं विपणन के द्वारा बाजार से जोड़ा जा सके। उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा हथकरघा एवं हस्तशिल्प को विपणन एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से राज्य के विभिन्न जनपदों तथा विभिन्न राज्यों में पारम्परिक मेलों का भी आयोजन किया जाता है।

**8.10.14** अनुसूचित जनजाति के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की पुत्री की शादी हेतु ₹0 10000.00 तथा बीमारी हेतु सहायता प्रदान करने हेतु ₹0 2000.00 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 20012-09 में उक्त योजनान्तर्गत ₹0 17.44 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 1121 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया, वर्ष 2009-10 में ₹0 14 12 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 171 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनान्तर्गत 3114 लाभार्थियों बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में ₹0 1200.00 लाख की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

**8.10.15** अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं एवं राज्य सरकारों द्वारा दिल्ली एवं देहरादून में निःशुल्क कोचिंग दी जाती है।

**8.10.16** अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 20012-09 से अटल आवास योजना का प्रारम्भ किया गया। इस योजना के लिए ऐसे अनुसूचित जनजाति के परिवार पात्र होंगे जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹0 32000.00 अथवा इससे कम होगी (इस हेतु तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा) अथवा अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवार भी योजना के लिए पात्र होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में आवास की लागत ₹0 312500.00 तथा मैदानी क्षेत्रों में ₹0 35000.00 निर्धारित की गई है। वर्ष 20012-2009 में उक्त योजनान्तर्गत ₹0 32.40 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा वर्ष 2009-10 में 112.30 लाख की धनराशि व्यय की गई है। 2010-11 की वार्षिक योजना में 100 लाख रुपये प्रस्तावित है।

**8.10.17** संस्कृत कला केन्द्र, हल्द्वानी, अनुसूचित जनजातियों की कला और संस्कृति को रखने हेतु प्रयत्नशील है। इनके मेलो एवं वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा वार्षिक योजना में मदद भी दी जाती है।

**8.10.18** सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज जनजाति के लोग विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं। जौनसारी जनजाति सहित अन्य जनजातियों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्तर ऊँचा उठा है, परन्तु यह विकास कुछ सीमित लोगो तक ही सीमित है। राजि एवं बुक्सा जनजातियों इक्कीसवीं सदी में भी विकास से कोसो दूर है। अनुसूचित जनजातियों के विकास योजनाओं को अधिक संवेदनशीलता एवं गम्भीरता से लागू करना होगा जिससे विकास का लाभ सीमांत व्यक्ति तक पहुँच सके।

## 8.11 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

1. उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजातियां कौनकौन सी हैं-?
2. उत्तराखण्ड की आदिम जनजातियों के नाम लिखिये?
3. देहरादून, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर जनपदों में कौनकौन सी जनजातियां निवास करती हैं-?
4. जनजातियों की संख्या दृष्टिकोण से सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनजातियों वाले जिले कौनकौन से हैं-?

## 8.12 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि उत्तराखण्ड के असंतुलित विकास के कारण पर्वतीय क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ चुके हैं। इससे क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गयी हैं। क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों की पहचान की जा चुकी है जिससे उत्तराखण्ड सरकार असंतुलित विकास से संतुलित विकास के मार्ग की ओर बढ़ी है। इसी क्रम में समाज के सबसे पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं जिससे इन्हें भी विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। इस इकाई के अध्ययन से आप क्षेत्रीय असमानताओं एवं जनजातीय विकास के संदर्भ में अपने मत को अभिव्यक्त कर सकेंगे।

## 8.13 शब्दावली (Glossary)

- ❖ संतुलित प्रादेशिक विकास: अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान विकास।
- ❖ जनजाति (Tribe): वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर हैं

## 8.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- उत्तराखण्ड विकास रिपोर्ट, 2010, योजना आयोग, भारत सरकार।
- राज्य सरकार की वार्षिक योजना 2010-11
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा, भाग-1
- मेहता, जी०एस०, डेवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखण्ड: इश्यूज एन्ड प्रेसपेक्टिवस (1999), ए०पी०एच० पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली।

## 8.16 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- ठाकुर, सुदीप व अन्य (संपादक) (2010), उत्तराखण्ड उदय : एक दशक की यात्रा (2000 से 2010), अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, नॉएंडा बलूनी, विध्या दत्त, उत्तराखण्ड : एक सम्पूर्ण अध्ययन, अरिहंत पब्लिकेशन्स प्रा. लि. मेरठ
- पाण्डेय, अशोक कुमार, उत्तरांचल : सम्पूर्ण अध्ययन, उपकार प्रकाशन, आगरा

## 8.17 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. क्षेत्रीय असमानता क्यों उत्पन्न होती है? इन असमानताओं को दूर करने के उपाय उत्तराखण्ड के संदर्भ में समझाइए?
2. उत्तराखण्ड की जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की विवेचना किजिए?
3. उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजातियां कौनकौन सी हैं? उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को समझाइए?